सूचना का अधिकार 2005 के अधीन Uptodate 23-07-2020
लोक प्राधिकारी द्वारा, प्रकाशित सूचना
निबंधक, फर्म सोसाइटीज एंव चिट्स, उत्तराखण्ड
अनिकेत विहार दून यूनिवर्सिटी रोड, पो0ओ0 डिफेन्स कालोनी देहरादून

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	मैनुअल - 01 (संगठन की विशिष्टियाँ)	पृष्ठ 03 से 07 तक
2	मैनुअल - 02 (अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य)	पृष्ठ 08 से 17 तक
3	मैनुअल - 03	पृष्ठ 18 से 24 तक
4	मैनुअल - 04 (सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क)	पृष्ठ 25 से 26 तक
5	मैनुअल - 05 (कार्यालय अभिलेख तथा सूचना का अधिकार)	पृष्ठ 27 से 33 तक
14	मैनुअल - 06 (दस्तावेज आदि)	पृष्ठ 113 से 116 तक
15	मैनुअल - 07	पृष्ठ 117
16	मैनुअल - 08	पृष्ठ 118
17	मैनुअल - 09 (अधिकारियों कर्मचारियों की निर्देशिका आदि।	पृष्ठ 119 से 120 तक
18	मैनुअल - 10 (अधिकारी कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक आदि)	पृष्ठ 121
19	मैनुअल - 11 (बजट)	पृष्ठ 122
20	मैनुअल - 12	पृष्ठ 123
21	मैनुअल - 13	पृष्ठ 124
22	मैनुअल - 14	पृष्ठ 125
23	मैनुअल - 15	पृष्ठ 126
24	मैनुअल - 16 (लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पते)	पृष्ठ 127 से 128 तक

(मैनुअल संख्या-01)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

(The particulars of its organisation, functions and duties)

- प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना नागरिकों की पहुंच तक सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार की व्यवहारिक शोषण पद्धति स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिएभारतीय संविधान के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है। इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निबंधक, फम्र्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड के संगठन का स्वरूप, विषेषतायें और कर्तव्य की संरचना अग्रवत हैः-
- उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य की स्थापना दिनांक ़09-11-2000 को की गयी। जिसमें राज्य की विभिन्न कार्यकारी व्यवस्थाओं के अधीन उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन निबंधक, फम्र्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड के कार्यालय के सृजन का निर्णय लिया गया जो , अनिकेत विहार, दून यूनिवर्सिटी रोड,पो0ओ0 डिफेन्स कालोनी, देहरादून में स्थापित है।

राज्य स्तरीय मुख्यालय देहरादून

कार्यालय निबन्धक,
फम्र्स सोसाईटीज एण्ड चिट्स, उत्तराखण्ड
अनिकेत विहार, दून यूनिवर्सिटी रोड़, देहरादून।

निबन्धक/अपीलीय अधिकारी- श्री भूपेश चन्द्र तिवारी
उप निबंधक-श्री संजीव कुमार सिंह

दूरभाष : 9410789438

वेबसाइट- http:society.uk.gov.in

मेल- regfscddn@gmail.com

जनपदीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है:-

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

क्र.स.	अधिकारी का नाम	ढाॅंचे के अनुसार स्वीकृत पद नाम	कार्यालय का पता/दूरभाष संख्या
1	श्री राम कुमार सिंह	लोक सूचना अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी	अनिकेत विहार, दून यूनिवर्सिटी रोड देहरादून 9410789438, मेल - drfscddn@gmail.com
2	श्री शंकर सिंह गब्र्याल	लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सहायक	हीरा नगर,निकट विद्युत कार्यालय एवं उत्थान मंच मुखानी हल्द्वानी 05946-254301
3	श्री सुशील कुमार गुप्ता	लोक सूचना अधिकारी/ लेखाकार	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, हरिद्वार 01334-239581
4	श्री रोमिल चैधरी	उपनिबंधक/लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, टिहरी 01376-232612
5	श्री लखेन्द्र ढांैठियाल	उपनिबंधक/लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, पौेड़ी 01368-222396
6	कु0 हिमानी स्नेही	प्रभारी उपनिबंधक निबंधक/ लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, उत्तरकाशी 01374-222308
7	श्रीमती शशि सिंह	उपनिबंधक निबंधक/ लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, रूद्रप्रयाग 01364-233544
8	श्री सत्य प्रकाश गौड़	लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, चमोली 01372-252333
9	श्री गिरीश चन्द्र आर्य	लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, ऊधमसिंह नगर 05944-250426
10	श्री चितरजंन प्रसाद वर्मा	लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, अल्मोड़ा 05962-230187
11	श्री सुन्दर बोनाल	लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, बागेश्वर 05963-220543
12	डा0 पंकज कुमार शुक्ला	उप निबंधक /लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, पिथौरागढ़ 05964-225331
13	श्री हेमेन्द्र गंगवार	उप निबंधक /लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फम्र्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, चम्पावत 05965-230440

संस्थाओं, फर्मों तथा चिट्स का पंजीकरण, नवीनीकरण का कार्य उपरोक्त दिए गए सहायक/उपनिबन्धकों द्वारा जनपदवार सम्पादित किए जाते है।

निबन्धक,फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स,उत्तराखण्ड, के अन्तर्गत सृजित

पदों का विवरण)

क्र0सं0	पदनाम	निबन्धक कार्यालय	क्षेत्रीयकार्यालय, देहरादून	क्षेत्रीयकार्यालय हल्द्वानी	वेतनमान एंव ग्रेड वेतन रूपये मे (दिनांक 1-1-2016 से पुनरीक्षित)
1	2	3	4	5	6
1	निबन्धक	01	-	-	131100-216600, लेवल 13क
2	उप निबन्धक	01	-	01	67700-208700, लेवल 11क
3	सहायक निबन्धक	01	-	-	56100-177500, लेवल 10क
4	प्रशासनिक अधिकारी	01	-	-	44900-142400, लेवल 7क
5	प्रधान सहायक	-	01	01	35400-112400, लेवल 6क
6	वरिष्ठ सहायक	02	01	01	29200-92300, लेवल 5क
7	चिट् आॅडिटर	-	01	01	25500-81100, लेवल 4क
8	आशुलिपिक	-	01	01	25500-81100, लेवल 4क
9	कनिष्ठ सहायक	-	03	03	21700-69100, लेवल 3क
10	कार्यालय सहायक सह डाटा इन्ट्रीआॅपरेटर	01	-	-	19900-63200, लेवल 2क
11	फोटो मशीनआॅपरेटर	-	01	01	18000-56900, लेवल 1क
12	अनुसेवक	-	03	02	18000-56900, लेवल 1क
13	चैकीदार	01	01	01	18000-56900, लेवल 1क
	योग:-	07	13	12	

- निबन्धक संगठन के विभागाध्यक्ष तथा सूचना का अधिकार हेतु अपीलेंट अथोरिटी हैं। वर्तमानसमय में निबंधक तथा सहायक निबंधक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का एकीकृत कार्यालय (Integrated Office)जो अनिकेत विहार, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून में स्थित है। उपनिबन्धक क्षेत्रीय कार्यालय

कुमांऊ मण्डल वर्तमान में हीरा नगर,निकट विद्युत कार्यालय, उत्थान मंच मुखानी हल्द्वानी जनपद नैनीताल मंे स्थित है। शेष 11 अन्य जनपदों में अधिष्ठान संबंधी कोई पद नही है, इन जनपदों में कोषागार के नियमित कार्मिको के द्वारा ही इस विभाग का कार्य किया जा रहा है, जिनके लिए शासन द्वारा निर्धारित रू 175/- प्रति कार्मिक मानदेय दिया जा रहा है।

संगठन के कृत्य और कत्र्तव्य

- यह संगठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तथा चिट्स फण्ड एक्ट 1982 के अधिनियमों के अन्र्तगत अपने कार्यों का निर्वहन करता है। वर्तमान समय में, इस संगठन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तथा चिट्स फण्ड एक्ट 1982 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही संस्थाओ, फर्मों तथा चिट्स का पंजीकरण तथा नवीनीकरण किया जाता है।

- सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 एक केन्द्रीय एक्ट है तथा इस एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न प्रकारकी चैरिटेबल एवं अब्यवसायिक संस्थायें पंजीकृत की जाती है। यह एक्ट पूरे भारतवर्ष में समान रूप सेलागू है तथा इसमें समय- समय पर राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन आदि किया जाता है।प्रत्येक राज्य की नियमावली भी अलग- अलग है। उत्तराखण्ड राज्य में भी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में प्रचलित नियमावली के साथ उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा संशोधित नियम भी लागू है । इस अधिनियम के अन्तर्गत चैरिटेबिल संस्थाओं का पंजीकरण होता है।

निबन्धक (Registrar) :-

(1) निबन्धक (रजिस्ट्रार) संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं।

(2) निबन्धक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी से सूचना मंगाने, सोसाइटी के अभिलेखों की जांच तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(3) कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रार को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने तथा सोसाइटी के विघटन की संस्तुति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होती है।

(4) रजिस्ट्रार को विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी सोसाइटी के काम काज का अन्वेषण करने,सोसाइटी के किसी अधिकारी/कर्मचारी को बुलाकर शपथ के आधार पर उनका परीक्षण करने काअधिकार प्राप्त होता है।

(5) उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की नीति आदि का निर्धारण विभागाध्यक्ष/निबंधक द्वारा किया जाताहै

उप निबंधक/सहायक निबंधकः-

(1) उप निबन्धक/सहायक निबंधक अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष होते हैं। उन्हेंशासन द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को समय-समय पर स्वीकृत किये गये सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारप्राप्त होते हैं।

(2) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 तथा इंडियन पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के प्राविधानों के अन्तर्गत सोसाइटी तथा फर्मों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त उन्हें पंजीकृत करते हुये पंजीकृत प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ ही सोसाइटी द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त पांच साल की आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करके नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

(3) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटीज के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध यदि कोई आक्षेप अथवा आपत्ति हो तो ऐसे आक्षेपों/आपत्तियों के सही पाये जाने की स्थिति में सोसाइटी केरजिस्ट्रेशन को नियमानुसार अस्वीकार कर सकते है तथा उन्हें सोसाइटी को ऐसे आक्षेपों/आपत्तियों का निराकरण करके रजिस्ट्रेशन हेतु संशोधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करने का अधिकार है।

(4) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटी के नाम के परिर्वतन का रजिस्ट्रीकरण नियमानुसार उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अस्वीकृत कर सकते हैं।

(5) कतिपय परिस्थितियों में सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को प्राप्त हैं। सोसाइटी के विघटन की नियमानुसार प्रक्रिया प्रारम्भ करवाने की शक्ति भी उन्हें प्राप्त है।

(6) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर लिखित सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं तथा लेखा परीक्षा रिर्पोट आदि जांच एवं परीक्षण हेतु मंगा सकते हैं।

(7) अधिनियम की धारा 22 के अधीन उप निबंन्धक/सहायक निबंधक किसी भी सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण कर सकते है तथा अन्वेषण के प्रयोजन हेतु सोसाइटी के अभिलेखों का अधिग्रहण कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने तथा विधि के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा सोसाइटी का विघटन करवा सकते है।

(8) यदि कोई सोसाइटी इस तरह से संचालित की जाती है जिससे सोसाइटी के उद्देश्य विफल होते हों अथवा सोसाइटी कुप्रबन्धित होती हेै या सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा वैश्वासिक भंग अथवा सदृष्य आध्यताओं के भंग द्वारा क्षतिग्रस्त होती है तो उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को यह शक्तिप्रदत्त है कि वह सोसाईटी के कामकाज का अन्वेषण अथवा सोसाइटी की किसी संस्था का निरीक्षण करे तथा शपथ के आधार पर सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का परीक्षण करने के लिये उसे बुलाये अथवा सोसाइटी के लेखा-पुस्तक सहित किन्हीं अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण करे। किसी कमी अथवा अनियमितता को दूर करने के लिये कोई निर्देश दे, जिसे न करने पर सहायक/उप रजिस्ट्रार धारा 12-घ अथवा 13-ख के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने/सोसाइटी के विघटन की कार्यवाही कर सकते हैं।

(9) निबंधक/संयुक्त निबंधक/उप निबंन्धक/सहायक निबंधक की समस्त शक्तियों के विषय में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(10) कार्यालय में तैनात कर्मचारियों में विभाग के कार्यो का आवंटन करना।

(मैनुअल संख्या-02)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कत्र्तव्य

(The powers and duties of its officers and employees)

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित है और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये अभिव्यक्त किये जायेंगे।संविधान के अनुच्छेद 154 के अन्तर्गत और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को कुछ सीमा तक और ऐसे प्रतिबंधों के साथ-साथ जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझें अथवा जो संविधान या शासन के नियम अथवा आदेशों या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के उपबंधों द्वारा पहले से लगाये गये हों, प्रतिनिहित किये जा सकते हैं । अतःराज्य के वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन विभागाध्यक्षों को किया गया है।

इस संगठन में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी राजकीय कर्मचारी हैं तथा कुछ कर्मचारियों को उपनल/पीआरडी से संविदा के आधार पर भी लिया गया है। संगठन के शीर्ष अधिकारी/विभागाध्यक्ष निबन्धक (रजिस्ट्रार) हैं। संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विवरण मैनुअल संख्या-09 में दिया गया है। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कत्र्तव्य निम्न प्रकार से हैंः-

निबन्धक, (Registrar):-

(1) निबन्धक (रजिस्ट्रार) संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं।

(2) निबन्धक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी से सूचना मंगाने, सोसाइटी के अभिलेखों की जांच तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(3) कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रार को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने तथा सोसाइटी के विघटन की संस्तुति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होती है।

(4) रजिस्ट्रार को विशिष्ठ परिस्थितियों में किसी भी सोसाइटी के काम काज का अन्वेषण करने,सोसाइटी के किसी अधिकारी/कर्मचारी को बुलाकर शपथ के आधार पर उनका परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है।

(5) उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की नीति आदि का निर्धारण विभागाध्यक्ष/निबंधक द्वारा किया जाता है तथा इस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा 19 के अनुसार विभागाध्यक्षों को निम्न अधिकार प्रदत्त हैंै।:-

वाल्यूम -1 मंे विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हैंै।

1.उनके अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयांे के प्रयोग के लिए पुस्तकें समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य प्रकाशन खरीदने का पूर्ण अधिकार ।

2.संदर्भ पुस्तकें व शुद्धि पत्र उनके अपने कार्यालयों में तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रयोग के लिए राजकीय मुद्रणालय से सीधे प्राप्त करना कुछ शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार।

3 विभागीय कार्य यथा निविदा, विभागीय सूचना आदि के विज्ञापन के लिए व्यय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है।

4.शासन द्वारा पटटे पर ली गयी भूमि के किराये का भुगतान स्वीकृत करना। (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट 10 में दी हुयी शर्तों के अधीन रहते हुए)।

5. आवश्यक प्रयोजनों (गोदामों को छोडकर) के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना ।

6.शासनादेश संख्या 129/XXVII(7)32/2007 वित्त अनुभाग-7, दिनांक 14/7/2017 रु0 2.50 लाख तक लेखन सामग्री क्रय किये जाने का अधिकार है।

लेखन सामग्री एंव अन्य सामग्री क्रय करनाः-एक बार में रु0 तीन लाख तक (रु0 25,000/- तक बिना कोटेशन के, रु025001/- से रू 2,50,000/- तक कोटेशन के आधार पर तथा रु0 2,50,000/- से अधिक टेण्डर आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार)। इस प्रकार वित्तीय नियमों में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है ।

उक्त के क्रम में किसी मानक मद में बजट कम होने पर पुनर्विनियोग के माध्यम से या अतिरिक्त मांग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजकर धनराशि पुनः आवंटन करने का अनुरोध किया जाता है तथा अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर ही आवश्यक अतिरिक्त भुगतान किये जाने की प्रक्रि्या है। समय-समयपर शासन द्वारा वेतन एवं तद्संबंधी भत्तों का बजट आवंटन की प्रतीक्षा में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है अथवा वेतन से संबंधित सभी मानक मदों में उपलब्ध बजट को जोडकर कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि वेतन वितरण में विलम्ब न हो।

नियमगत शक्तियों और कर्तव्य का विवरणः-

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग -1 में विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों को प्रदत्त दायित्व का निर्वहन तथा निर्धारित प्रपत्रों पर लेखा सम्बन्धी विवरण तैयार करना तथा यथा आवश्यक वांछित स्तरों को सूचना भेजने को प्रावधान किया गया है।

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के प्राविधानों के अधीन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी की यात्राओं को अनुमोदित करना तथा देय यात्रा व्यय एवं अन्य भत्तों को भुगतान अधिकृत करने की व्यवस्था की गयी है।

3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5 भाग 2 एवं टेजरी रुल्स के प्राविधानों के अनुसार कोषागार से वित्तीय व्यवहरण किया जाता है।

4. सेवा सम्बन्धी प्रकरण तथा तद्विषयक वेतन एवं भत्तों हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 स े4 के अनुसार यथा वांछित कार्यवाही करने तथा आदेश पारित करने की व्यवस्था की गयी है।

5.विभाग हेतु लागू सेवा नियमावलियों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के दायित्व का निर्वहन तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति/ प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जाते हैे।

6. भविष्य निधि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों को अस्थाई/स्थाई अग्रिम स्वीकृत करना तथा अन्तिम निष्कासन का प्राधिकार-पत्र जारी करना।

7. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण तैयार कर वित्त विभाग तथा महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भेजना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान करना।
8. बजट मैनुअल के अनुसार निर्धारित तिथि पर बजट प्राकलन (इस्टीमेट) तथा नई मांग (यदि आवश्यक हो) शासनको भेजना, अधीनस्थ कार्यालयों को समय से बजट आवंटन, अधीनस्थकार्यालयों अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा समय से आदेशों का सही अनुपालन न कियाजाय तब तथ्यों पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही करना।
9. आचार संहिता, वित्तीय अनियमित्ता, किसी अपराधिक कृत्य की स्थिति मे अधीनस्थ कर्मचारियांे के विरुद्ध स्थापित प्रक्रिया के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
10. जनहित या प्रशासनिक आधार पर यथावश्यक अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण /पटलपरिवर्तन/ कार्य विभाजन सभी आदेश निर्गत करना।
11. विभाग में कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों के रख रखाव हेतु सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध करना तथा अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन करना।
12. अधिकारियांे/कर्मचारियों की समस्याओं का नियमानुसार समय से समाधान करना तथा शासनद्वारा मान्यता प्राप्त संधो से नियमित अन्तराल पर विचार विमर्श करना एवं उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराना।
13. विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में औपचारिकतायें पूर्ण होने पर नियमानुसार समय बद्ध कार्यवाही करना।

14. शासन के कार्मिक विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य शासन के विभागों द्वारा दिये गये विधि अनुरुप आदेशों का समय से अनुपालन सुनिष्चित करना।

15. किसी विशेष परिस्थिति या जहां नियमों/ प्रक्रियाओं से लोकहित के कार्यो में गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, शासन के संज्ञान हेतु पूरी सूचना भेजना।

16. विभाग से सम्बन्धित मुकदमों के प्रकरण में शासन से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित न्यायालय को समय से स्थिति स्पष्ट करना तथा प्रभावी पैरवी करना।

17. विभाग के प्रकरण में लागू मैनुअल आफ गवनर्ामैन्ट आडर्स तथा अन्य अधिनियमों, नियमों,प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना । अधीनस्थ कार्यालयों एवं नियमों मे प्राविधान के अनुसार निर्दिष्ट कार्यालयों का निरीक्षण करनातथा निरीक्षण आख्या पर अनुपाल सुनिश्चित कराना।

(ख) उप निबंधक/सहायक निबंधकः-

(1) उप निबन्धक/सहायक निबंधक अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष होते हैं। उन्हें शासन द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को समय-समय पर स्वीकृत किये गये सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं।
(2) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 तथा इंडियनपार्टनरशिप अधिनियम 1932 के प्राविधानों के अन्तर्गत सोसाइटी तथा फर्मों द्वारा निर्धारित शुल्कजमा करने के उपरान्त उन्हें पंजीकृत करते हुये पंजीकृत प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ ही सोसाइटी द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त पांच साल की आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करके नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

(3) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटीज के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध यदि कोई आक्षेपअथवा आपत्ति हो तो ऐसे आक्षेपों/आपत्तियों के सही पाये जाने की स्थिति में सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को नियमानुसार अस्वीकार कर सकते है तथा उन्हें सोसाइटी को ऐसे आक्षेपों/आपत्तियों का निराकरण करके रजिस्ट्रेषन हेतु संशोधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करने का अधिकार है।

(4) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटी के नाम के परिर्वतन का रजिस्ट्रीकरण नियमानुसार उपयुक्त
न पाये जाने की स्थिति में अस्वीकृत कर सकते हैं।

(5) कतिपय परिस्थितियों में सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को प्राप्त हैं। सोसाइटी के विघटन की नियमानुसार प्रक्रिया प्रारम्भ करवाने की शक्ति भी उन्हें प्राप्त है।

(6) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर लिखित सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं तथा लेखा परीक्षा रिर्पोट आदि जांच एवं परीक्षण हेतु मंगा सकते हैं।

(7) अधिनियम की धारा 22 के अधीन उप निबंन्धक/सहायक निबंधक किसी भी सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण कर सकते है तथा अन्वेषण के प्रयोजन हेतु सोसाइटी के अभिलेखों का अधिग्रहण कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने तथा विधि के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा सोसाइटी का विघटन करवा सकते है।

(8) यदि कोई सोसाइटी इस तरह से संचालित की जाती है जिससे सोसाइटी के उद्देश्य विफल होते हों अथवा सोसाइटी कुप्रबन्धित होती हेै या सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा वैश्वासिक भंग अथवा सदृश्य आध्यताओं के भंग द्वारा क्षतिग्रस्त होती है तो उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह सोसाईटी के कामकाज का अन्वेषण अथवा सोसाइटी की किसी संस्था का निरीक्षण करे तथा शपथ के आधार पर सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का परीक्षण करने के लिये उसे बुलाये अथवा सोसाइटी के लेखा-पुस्तक सहित किन्हीं अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण करे। किसी कमी अथवा अनियमितता को दूर करने के लिये कोई निर्देश दे, जिसे न करने पर सहायक/उप रजिस्ट्रार धारा 12-घ अथवा 13-ख के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने/सोसाइटी के विघटन की कार्यवाही कर सकते हैं।

(9) निबन्धक /संयुक्त निबंधक/उप निबंन्धक/सहायक निबंधक की समस्त शक्तियों के विषय में सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1860 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(10) कार्यालय में तैनात कर्मचारियों में विभाग के कार्याेंं का आवंटन करना।

(ग) प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक /कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के कत्र्तव्य एवं दायित्वः-

(1) सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों को सोसाइटियों के रजिस्टर प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रीकृत करना तथा रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त प्रपत्रों का अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच एवं परीक्षण करके निबंधक/उप निबंन्धक/सहायक निबंधक की अनुमति के पश्चात निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के उपरान्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना तथा सोसाइटी के उक्त रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करना।

(2) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन-पत्र को नवीनीकरणों से सम्बन्धित रजिस्टर में तुरन्त प्रविष्टि करना। यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से ठीक पाया जाता है तो निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना तथा संदर्भित रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना।

(3) कार्य आवंटन आदेश के अनुसार दैनिक प्राप्तियों का रजिस्टर, रसीद बहीं, निरीक्षणों का रजिस्टर,जारी की गयी प्रतियों का रजिस्टर, निक्षेपों के सत्यापन का रजिस्टर आदि नियमानुसार बनाना वअद्यतन प्रविष्टियां करना।

(4) सोसाईटी/फर्मों से सम्बन्धित सभी पत्रावलियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार पत्रावलियां कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना तथा निर्देशित पत्रालेख तैयार करके निर्गत करना।

(5) कार्यआवंटन के अनुसार कैश बुक तथा कैश की सुरक्षित अभिरक्षा रखना तथा नियमानुसार प्राप्त कैश को राजकोष में जमा करना।
(6) कार्य आवंटन के अनुसार कार्यालय सम्पत्ति का लेखा जोखा रखना तथा अनुश्रवण करना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा 19 के अनुसार विभागाध्यक्षों को निम्न अधिकार प्रदत्त हैं:-

1. उनके अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य प्रकाशन खरीदने का पूर्ण अधिकार।

2. शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ व उनके पुस्तकालयों हेतु कक्षा शिक्षण पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदने का पूर्ण अधिकार।

3. भारत के अन्य राज्यों को विभागीय प्रकाशनों की निःशुल्क सप्लाई तथा उन्हें इन प्रकाशनों के

विनिमय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उन शर्तों के अधीन यदि कोई हों, जो विभागीय नियम संग्रह आदि में दिये हुए हों।

4. संदर्भ पुस्तकें व शुद्धि पत्र उनके अपने कार्यालयों में तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रयोग के

लिए राजकीय मुद्रणालय से सीधे प्राप्त करना कुछ शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार।

5. (क) निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री से पूर्व परामर्श किये बिना निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/अपंजियत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्य (जैसे नक्षे नोटिस आदि) का मुद्रण कराना प्रत्येक मामले में रू0 15,000 तक।

(ख) विभागीय कार्य यथा निविदा, विभागीय सूचना आदि के विज्ञापन के लिए व्यय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है।

6. शासन द्वारा पट्टे पर ली गयी भूमि के किराये का भुगतान स्वीकृत करना। (वित्तीय नियम संग्रहखण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट 10 में दी हुयी शर्तों के अधीन रहते हुए)।

7. .आवश्यक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना।

उक्त के क्रम में किसी मानक मद में बजट कम होने पर पुनर्विनियोग के माध्यम से या अतिरिक्त मांग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजकर धनराशि पुनः आवंटन करने का अनुरोध किया जाता है तथा अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर ही आवश्यक अतिरिक्त भुगतान किये जाने की प्रक्रिया है। समय-समय पर शासन द्वारा वेतन एवं तद्संबंधी भत्तों का बजट आवंटन की प्रतीक्षा में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है अथवा वेतन से संबंधित सभी मानक मदों में उपलब्ध बजट को जोड़कर कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है,ताकि वेतन वितरण में विलम्ब न हो।

नियमगत शक्तियों और कर्तव्य का विवरणः-

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग-1 में विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों को प्रदत्त दायित्व का निर्वहन तथा निर्धारित प्रपत्रों पर लेखा सम्बन्धी विवरण तैयार करना तथा यथावश्यक वांछित स्तरों को सूचना भेजने का प्रावधान किया गया है।

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के प्राविधानों के अधीन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी की यात्राओं को अनुमोदित करना तथा देय यात्रा व्यय एवं अन्य भत्तों का भुगतान अधिकृत करने की ब्यवस्था की गयी है।

3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग 2 एवं टे[a]जरी रूल्स के प्राविधानों के अनुसार कोषागार सेवित्तीय व्यवहरण किया जाता है।

4. सेवा सम्बन्धी प्रकरण तथा तद्विषयक वेतन एवं भत्तों हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2से 4 के अनुसार यथा वांछित कार्यवाही करने तथा आदेश पारित करने की ब्यवस्था की गयी है।

5. विभाग हेतु लागू सेवा नियमावलियों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के दायित्व का निर्वहन तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जाते हैं।

6. भविष्य निधि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों को अस्थाई/स्थाई अग्रिम स्वीकृत करना तथा अन्तिम निष्कासन का प्राधिकार-पत्र जारी करना।

7. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण तैयार कर वित्त विभाग तथा महालेखाकारको निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भेजना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान करना।

8. बजट मैनुअल के अनुसार निर्धारित तिथि पर बजट प्राकलन (इस्टी मेट) तथा नई मांग (यदि आवश्यक हो) शासन को भेजना, अधीनस्थ कार्यालयों को समय से बजट आवंटन, अधीनस्थ कार्यालयों अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा समय से आदेशों का सही अनुपालन न किया जाय तब तथ्यों पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही करना।

9. आचार संहिता, वित्तीय अनियमितता, किसी अपराधिक कृत्य की स्थिति में अधीनस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध स्थापित प्रक्रिया के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

10. जनहित या प्रशासनिक आधार पर यथावश्यक अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण/पटल परिवर्तन/कार्य विभाजन सभी आदेश निर्गत करना।

11. विभाग में कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों के रख-रखाव हेतु सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध करना तथा अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन करना।

12. अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं का नियमानुसार समय से समाधान करना तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संघों से नियमित अन्तराल पर विचार विमर्श करना एवं उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराना।

13. विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में औपचारिकतायें पूर्ण होने पर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही करना।

14. शासन के कार्मिक विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य शासन के विभागों द्वारा दिये गये विधि अनुरूप आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करना।

15. किसी विशेष परिस्थिति या जहां नियमों/प्रक्रियाओं से लोकहित के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, शासन के संज्ञान हेतु पूरी सूचना भेजना।

16. विभाग से सम्बन्धित मुकदमों के प्रकरण में शासन से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित न्यायालय को समय से स्थिति स्पष्ट करना तथा प्रभावी पैरवी करना।

17. विभाग के प्रकरण में लागू मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आडर्स तथा अन्य अधिनियिमों, नियमों, प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

18. अधीनस्थ कार्यालयों एवं नियमों में प्राविधान के अनुसार निर्दिष्ट कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण आख्या पर अनुपालन सुनिश्चित कराना।

स्थापनाः-

समाज के विभिन्न वर्गो, समुदायो या जन सामान्य के कारण हेतु व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के साथ-साथ सामूहिक प्रयास भी किये जाते रहे है। उन्हीं सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप स्वैच्छिक संगठन या समितियाॅं बनायी जाती है। समितियो को व्यवस्थित करने एवं इनके संबंध में कानून बनाने के ध्येय से ही वर्ष 1860 मे सोसाइटी रजिस्टे[a]शन ऐक्ट 1860 बनाया गया था। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो सम्पूर्ण भारत वर्ष में समान रूप से लागू किया गया।

उक्त अधिनियम पारित होने के बाद सम्भवतः केन्द्रीय ऐक्ट होने के कारण समितियों के पंजीकरण के कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत स्थापित कार्यालय रजिस्ट्रार ज्वाइन्ट स्टाफ कम्पनीज उ0प्र0 को प्राधिकृत किया गया था। वर्ष 1932 में, भागीदारी फर्मो के संबंध में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 पारित हुआ तथा इस ऐक्ट के अन्तर्गत, रजिस्ट्रार के अधिकार तथा इसको क्रियान्वयन हेतु रजिस्ट्रार ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी को अधिकृत किया गया।

इसी मध्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 की कतिपय धाराओ में वर्ष 1975 में संशोधन किये गये तथा कुछ आवश्यक धाराएंॅ जोड़ी गई। यह संशोधन उ0प्र0 संशोधन, 1975 के रूप में किये गये। उ0प्र0 सोसाइटी रजिस्टे[a]शन रूल्स 1976 भी बनाया गया। उ0प्र0 चिट फण्ड ऐक्ट 1975 को समाप्त करके उसके स्थान पर चिट फण्ड अधिनियम 1982 बनाया गया जो कि एक केन्द्रीय ऐक्ट है। इस अधिनियम हेतु उ0प्र चिट फण्ड नियमावली 1988 बनायी गयी है।

कार्यकलापः-

रजिस्ट्रार फम्र्स, सोसाइटीज तथा चिट्स उत्तराखण्ड कार्यालय के द्वारा मुख्य निम्न तीन अधिनियमो के क्रियान्वयन का कार्य होता है।

1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860
2. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932
3. चिट फण्ड अधिनियम 1982

उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निम्न कार्य इस विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैः-

क. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860

इस अधिनियम के अन्तर्गत शैक्षणिक, धमार्थ, ज्ञान प्रकार एवं जन कल्यार्थ हेतु निर्मित समितियो के पंजीकरण, प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंजीकृत समितियो के नवीनीकरण का कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। संस्थाओ की प्रबंधसमिति की वा◌ार्षिक सूची की पंजीकरण तथा संस्था द्वारा अपने पंजीकृत उद्देश्यों या पंजीकृत विधान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संस्था अपने नाम में परिवर्तन की कार्यवाही प्रस्तुत किये जाने पर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के सुसंगत नियमो के अन्तर्गत पंजीकरण का कार्य किया जाता है। संस्थाओं के द्वारा वित्तीय अनियमिताओं की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के लेखो की जांच एवं संस्था के कार्य कलापों का निरीक्षण भी किया जाता है। अधिनियम की धारा 4(1)के परंतुक के अन्तर्गत यदि चुनावोपरान्त पिछली कमेटी के पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य आपत्ति प्रस्तुत करते है तो रजिस्ट्रार द्वारा आपत्तियाॅं आमन्त्रित करके उस पर सो0रजि0ऐक्ट के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आदेश पारित किये जाते है। यहा यह उल्लेखनीय है कि यदि संस्था की प्रबंध समिति मेंचुनाव विवाद विद्यमान है तो अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत प्रकरण विहित प्राधिकारी के सन्दर्भित किये जाने की व्यवस्था है। यदि विहित प्राधिकारी द्वारा संस्था के चुनावो को निरस्त किया जाता है अथवा रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाय कि किसी संस्था के चुनाव संस्था के पंजीकृत विधान के अनुसार समय से नही हुए है तथा प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी है तो रजिस्ट्रार - संस्था की प्रबंधसमिति के चुनाव अपनी देख-रेख में सम्पन्न कराते है। संस्था द्वारा यदि पंजीकरण /नवीनीकरण प्रमाण/पत्र गलत तथ्यो को प्र्रस्तुत करके फर्जी प्रपत्रो के आधार पर प्राप्त किया जाता है, अथवा संस्था के क्रियाकलाप जन विरोधी है, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 12 डी (1) के अन्तर्गत पंजीकरण/ नवीनीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त किये जाने के आदेश संस्था को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित करना होता है।

ख. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

इस अधिनियम के अन्तर्गत भागीदारी फर्मो के पंजीकरण, पंजीकरण के पश्चात फर्म के व्यवसाय के परिवर्तन, पंजीकृत फर्म के ब्रान्च खोलने या बन्द करने की सूचना, किसी भागीदार का भागीदारी फर्म की भागीदारी में शामिल होने या पृथक होने की सूचना अथवा फर्म के विघटित होने की सूचना तथा अव्यस्क जो पूर्व से किसी पंजीकृत भागीदारी में लाभाषं हेतु भागीदार है, के वयस्क होने पर शामिल होने की सूचना जो उ0प्र0 भारतीय भागीदारी रूल्स 1933 में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करने पर उसकी सूचना पंजीकृत करने एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक अलग-2 प्रपत्रों पर कार्यवाही हेतु संबंधित शपथ पत्र भी आवेदक को देना होता है।

ग. चिट फण्ड अधिनियम 1982:

यू0पी0 चिट फण्ड ऐक्ट 1975 को उक्त अधिनियम की धारा 90 के अन्तर्गत रिपील करके एक केन्द्रीय ऐक्ट चिट फण्ड अधिनियम 1982 बनाया गया। उ0प्र0 शासन के वर्ष 1988 में उ0प्र0 चिट फण्ड नियमावली 1982 बनायी। इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले, व्यक्तिगत, भागीदारी फर्मो या कम्पनियो को अपने नाम में चिट, चिट फण्ड, कुरी या चिटी का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। एक समय में व्यक्तिगत द्वारा 25000/- भागीदारी फर्मो द्वारा रू0 1,00000/- तथा कम्पनियों द्वारा अपने नेट ओन फण्ड के दस गुना तक के चिट ग्रुपो के संचालन का अधिकार है।

चिट गुरप संचालन के लिये चिटग्रुप की धनराशि के बराबर की निर्धारित शुल्क जमा करके पूर्व अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब परीक्षणोपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व अनुमति प्रार्थना पत्र एवं प्रतिभूति पर्याप्तता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

उसके पश्चात चिटग्रुप संचालक द्वारा दो प्रतियो में चिट एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करने पर परीक्षणोपरान्त चिट एग्रीमेन्ट की पंजीकरण करके रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

चिट संचालन हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना तथा निधरित शुल्क प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षणोपरान्त चिट प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

चिट प्रारम्भ करने के पश्चात फोरमैन को प्रतिमाह मिनट की प्रतियां प्रेषित करना होता है। चिटग्रुप समाप्त होने पर फोरमैन द्वारा प्रतिभूति अवमुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रार द्वारा यह जांच करने के पश्चात कि प्रत्येक सदस्य को चिट धनराशि की भुगतान हो गया है तथा सम्पूर्ण भुगतान सुनिश्चित होने के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा संबंधक प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त कर दी जाती है।

यदि चिटग्रुप के सदस्यो द्वारा चिट धनराशि का भुगतान नही किया जाता है तो इस अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत फोरमेन द्वारा आर्विटेशन केस संस्थित किया जाता है जिसकी सुनवाई के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा एवार्ड किया जाता है तथा यदि फिर भी चिट धनराशि का भुगतान सदस्यों द्वारा नही कया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

मैनुअल संख्या-3

(विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।)

लोक प्राधिकारी तथा उसके अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 तथा इडियन पार्टनरशिप अधिनियम, 1932, चिट्स फण्डएक्ट 1982 तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेशों, वित्तीय नियमों व अन्य निर्देशों एवं नियमों के आधार पर किया जाता है। इनसे सम्बन्धित अभिलेखों की सूचना बेवसाइट हवअण्नंण्दपबण्पद?ेवबपमजल पर उपलब्ध है। इन सभी अधिनियमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी श्संलग्नक पर दी गयी है। विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु स्पष्ट कार्य बंटवारा किया गया है।कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट रुप से कार्यों का आबंटन किया गया है।

प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक/आदि को स्पष्ट निर्देश हैं किउन्हें जो अभिलेख परीक्षण के लिये दिये जाते हैं उन्हें स्थापित नियमावली, प्रक्रिया,अधिनियमों, शासानादेश या परिपत्र के प्राविधानों के अनुसार शत प्रतिशत परीक्षण करने के उपरान्त ही अपनी स्पष्ट आख्या सहित पत्रावलियं ा उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इन कार्यों के लिये उन्हें कार्यालय में रखे गये आदेशों, निर्देशों की गार्ड फाइल का निरन्तर अन्तराल पर अध्ययन करने, आवश्यक आदेशों की एक छाया प्रति अपने पास भी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। परीक्षणोपरांत अभिलेखों का नियमानुसार यथा आवश्यक कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री करना तथा सावधानी की दृष्टि से पुनः परिवेक्षण हेतु उन्हें अभिलेख सहायक निबंधक/उप निबंधक को प्रस्तुत करना चाहिये। अभिलेख पर अन्तिम रूप से आदेश पारित करने या हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी सामान्य सोच (ब्वउउवद च्तनकमदबम) से परीक्षण का अनुमोदन या आवश्यक टिप्पणी लिखते हैं। अन्तिम अनुमोदन /आदेश के बाद जिस माध्यम से अभिलेख आता है उसी माध्यम से वापस इस आश्य से किया जाता है, ताकि उक्त आदेश से सम्बन्धित स्तर से अवगत हो जाए । अन्ततः अभिलेख/पत्र अन्तिम गन्तव्य को भेज दिया जाता है।विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य स्पष्ट है, परन्तु आहरण वितरण अधिकारी का प्रतिनिधायन किया गया है । अतः शासन द्वारा नियुक्त आहरण वितरण अधिकारी अर्थात निबंधक का यह दायित्व है कि जो भी प्रस्ताव पत्रावली पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय उसका विधिवत परीक्षण कर लें ताकि कोई अनियमितता न हो क्योंकि नियमानुसार अन्तिम दायित्व शासन द्वारा नियुक्त डी0डी0ओ0 का ही है । वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग-1 के प्रस्तर-47 (जी) के नीचे लिखी टिप्पणी के क्रम में प्रतिनिधानित अधिकार के अधिकारी का दायित्व है कि निर्धारित प्रपत्रों पर ही बिल पंजी, नियंत्रक पंजी, देयक, देयक पंजी (प्रपत्र 11-सी),कोषागार पंजी (ट्रेजरी प्रपत्र-1), कैश बुक आदि का सही रख-रखाव करे। यदि किसी मद में कोई सरकारी धनराशि प्राप्त की जाय तब अनिवार्य रूप से प्रपत्र-385 पर प्राप्ति रसीद दी जाय ।आयकर सम्बन्धी सभी विवरण समय से सही प्रारूप में तैयार कर सम्बन्धित व्यक्ति/प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। जिस कर्मचारी द्वारा ऐसे अभिलेख तैयार किये जाय वह उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव, सफा करने (इरेजिंग) या किसी प्रकार के फेर बदल या गायब करने की कार्यवाही नहीं करेंगे । यदि कहीं कोई परिवर्तन आवश्यक हो तब उस अधिकारी से ऐसे परिवर्तन प्रमाणित कराना अनिवार्य है।

कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिकायें विशेषकर भण्डार पंजिका, सम्पति पंजिका, स्टेशनरी पंजिका, आकस्मिक/अर्जित/चिकित्सा अवकाश पंजी, सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पासबुक तथा तद्सम्बन्धी लेजर, सामूहिक बीमा के भुगतान सम्बन्धी पंजी0 जैसे अभिलेखों पर उप निबंधक जिसके पास कार्यालयाध्यक्ष का प्रभार है सीधा नियंत्रण रखने का दायित्व है। निबंधक के नियंत्रणाधीन उनके मुख्य सहायक की अभिरक्षा में अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि की गार्ड फाइल रखी जाती है । मुख्य सहायक का निजी दायित्व है कि वह निबंधक के निर्देशों को यथावत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को सूचित करे तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को जब तक किसी विरोधाभाष का आभास न हो मुख्य सहायक द्वारा दी गयी सूचना निबंधक का निर्देश/आदेश मानना चाहिये और यदि कहीं संशय हो तो निबंधक से सीधे वार्ता करना चाहिए । वैयक्तिक सहायक का दायित्व है कि यदि किसी स्थान से निबंधक हेतु कोई सूचना प्राप्त हो तब उसे दूरभाष पर या लिखकर अवगत कराना चाहिए । यदि निबंधक किसी कारण उपलब्ध न हो सके तब तत्कालिक महत्व की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को दिया जाना चाहिए।

अधीनस्थ कर्मचारी बिना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की अनुमति के निजी प्रकरण में शासन स्तर से पत्राचार नहीं कर सकते तथा बिना पूर्व अनुमति के शासन के अधिकारी या विभागाध्यक्ष से मिलने हेतु यात्रा नहीं कर सकते। सेवा सम्बन्धी तथा ट्रान्सफर के प्रकरण में प्रतिवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करने तथा राजनैतिक दबाव डालना आचार संहिता का उल्लंघन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का आधार माना जा सकता है।

कार्यालय में नियुक्त वर्ग "घ " के कर्मचारी द्वारा नियत समय से आधा घन्टे पूर्व आकर कार्यालय खोल दिया जाता है तथा कार्यालय की मेज, कुर्सी, अलमारी, कम्प्यूटर कक्ष आदि की सफाई की जाती हैं। यदि कार्यालय परिसर में कोई संदेहात्मक/आपत्ति जनक सामग्री या कोई विषेष घटना हुयी हो तो तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों दी जानी चाहिये। कार्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था, बैठकों आदि के अवसर पर चाय/जलपान की व्यवस्था, कार्यालय कार्यकाल में संबंधित अधिकारियों के आदेश पर गन्तव्य स्थल पर डाक या अन्य शासकीय सामग्री पहुंचाने तथा लाने हेतु भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं। इसी प्रकार कार्यालय बन्द करने के विषय में भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं ताकि कार्यालय भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कार्यालय भवन की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पी0 आर0 डी0 के जवानों की व्यवस्था अलग से की गयी है। वर्तमान समय में कार्यालय भवन की सफाई हेतु पार्ट टाइम सफाई कर्मी की व्यवस्था अलग से की गयी है।

उपरोक्त कत्र्यो के निवर्हन के लिए निबंधक/उप निबंधक/सहायक निबंधक तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर जो अधिनियम, नियमावली, मैनुअल, वित्तीय नियम संग्रह आदि प्रयोग में लाये जाते हैं, उनकी सूची तथा संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

क. सं.	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन से सम्बन्धित नियमावली।
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4	सेवा से सम्बन्धित नियमावली। जैसे वेतन निर्धारण, अवकाश आदि।
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3	यात्रा भत्ता नियमावली।
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1	लेखा नियमावली, लेखा से संबंधित प्रपत्रों का प्रारूप।
5	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के विषय में।
6	कोषागार मैनुअल	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी0डी0ओ0 से जुड़ हुए हैं।
7	उत्तरांचल कोषागार नियमावली	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंशजो डी0डी0ओ0 से जुडे हुये हैं।
8	बजट मैनुअलबजट प्रक्रिया के विषय में।	
9	यू0पी0रिटायरमेन्ट्सबेनिफिट्स	वर्तमान में मात्र संदर्भ हेतु, क्योंकि इस कार्यरूल्स-1961हेतु अलग से नियमावली बनायी गयी है
10	यू0पी0 रिटायरमेन्ट्स बेनिफिट्स रूल्स	सेवानैवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया- 1965
11	उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्ससेवानैवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।	(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979
12	मैनुवल आॅफ गर्वनमेंट आर्डस शासनादेशों का संग्रह -	
13	उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली	सरकारी सेवकों के व्यवहार एवं आचरण नियमावली, 1956 सम्बन्धी मानक तथा सिद्वान्त।
14	उत्तरांखण्ड कर्मचारी आचरण के प्राविधानों का प्रख्यापन	उत्तराखण्ड नियमावली, 2002 द्वारा अपने नियमों का प्रख्यापन।
15	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली,	शासन द्वारा मृत संवर्ग घोषित है।
16	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा	सामूहिक बीमा निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्रयोजना निधि नियमावली, 2003तथा दायित्व।
17	उत्तरांचल कर्मचारी सामान्य भविष्य नियमावली 2006	सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रक्रिया,निधिप्रपत्र
18	उत्तराखण्ड सेवा नियमावली	यह नियमावली सेवा में प्रवेश की आयु,अराजपत्रित सेवा नियमावली 2005.योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, प्रोन्नति का आधार एवं संवर्ग की संरचना आदि के विषय में बनायी गयी है।
19	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860	एक केन्द्रीय एक्ट है तथा इस एक्ट केअन्तर्गत विभिन्न प्रकार की चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक संस्थायें पंजीकृत की जाती है। यह एक्ट पूरे भारतवर्ष में समान रूप से लागू है तथा इसमें समय-समय पर राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन आदि किया जाता है।
20	उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1976	प्रत्येक राज्य की नियमावली अलग-अलग है उत्तरांचल राज्य में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में प्रचलित नियमावली ही लागू है।
21	इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932	दो या दो से अधिक व्यक्ति भागीदार व्यवसाय के लिए फर्म मे शामिल होते हैंऔर इस एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण कराते हैंै।
22	चिट फण्ड एक्ट 1982	इसके प्राविधानों के अन्तर्गत चिट्स का पंजीकरण किया जाता है।

टिप्पणी- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस आशय का प्राविधान किया गया हेै कि उत्तर प्रदेश के अधिनियम/ नियम/शासनादेश/ प्रक्रिया तब तक लागू रहेंगे जब तक ऐसे अधिनियम/नियम/शासनादेश /प्रक्रिया उत्तरांचल अलग से संशोधित/प्रख्यापित नहीं करती है।

विभाग द्वारा सोसाइटी रजि0एक्ट 1860 के अन्तर्गत संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण आदि कार्यों का तथा सम्बन्धित प्रक्रियाओं का सक्षिप्त विवरण निम्नवत संलग्नक 2 में दिया गया है।

नोट - कृपया नियमावलियों तथा एक्ट की पुष्टी मूल पुस्तक से कर लिया जाए।

संलग्नक

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की विभिन्न धाराओं के अन्त्रगत कार्य निस्तारण के सम्बन्ध में

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी सम्बन्धी निम्न कार्य किये जाते हैं-

1. **संस्था का पंजीकरण**: -सर्वप्रथम आवेदन कर्ता समिति के पंजीकरण हेतु बजेण्नाण्हवअण्पदध्ेवबपमजल पर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किसी संस्था का पंजीकरण अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत किया जाता है । पंजीकृत की जाने वाली संस्था के प्रपत्र नियमानुसार पाये जाने पर, पंजीकरण शुल्क रू. 5500/का चालान तथा संस्था के पूर्व पंजीकृत न होने की नोटरी शपथ पत्र (अधिनियम की धारा 3(2) के पालन में जमा करती है। प्रपत्र पूर्ण व शुद्ध होने पर संस्था का पंजीकरण, पंजीयन दिनांक से पांच वर्षों के लिए किया जाता है।

2. **प्रमाण पत्र का नवीकरण (अधिनियम की धारा-3ए व 3ए (5)** -प्रत्येक पंजीकृत संस्था के प्रमाण-पत्र का नवीकरण पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर अगले पांच वर्षों हेतु सोसाइटीरजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-3ए के अन्तर्गत शासन के द्वारा निर्धारित आनलाॅईन प्रक्रिया से किया जाता है। विधिमान्यता तिथि तक शुल्क जमा करनेपर 1000/- नवीकरण शुल्क, मूल पंजीकरण अथवा नवीकरण प्रमाण पत्र, प्रबन्ध निकाय की सूची,चुनाव बैठक की कार्यवाही एवं बैलेन्सशीट आदि जमा करने पर किया जाता है। प्रपत्र पूर्ण होने पर नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अथवा प्रपत्रों को पूर्ण कराने हेतु आपत्ति पत्र भेजा जाता है। कोई भी संस्था निर्धारित तिथि से एक वर्ष की अवधि तक बिलम्ब शुल्क प्रथम माह में 200 रुपये तथा अगले माहो में 100-प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करके नवीकरण करा सकती है। किन्तु एक वर्ष के बाद उक्त संस्था अपंजीकृत मानी जाती है। उसके नवीकरण हेतु अधिनियम की धारा 3ए (5) में यह व्यवस्था है कि ऐसी संस्था नवीकरण हेतु नवीकरण न करा पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए रू 800/- अनुमति शुल्क के साथ आवेदन करेगी। यदि रजिस्ट्रार बिलम्ब के कारणों से संतुष्ट है तो वे नवीनीकरण की अनुमति प्रदान करते हुए वांछित शुल्क एवं अन्य देय प्रपत्रों को जमा करने के निर्देश देंगे, तभी निर्धारित तिथि से अगले पांच वर्षों हेतु नवीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

3. प्रबन्ध समिति की सूची, बैलेन्सशीट एवं चुनाव कार्यवाही को पंजीकृत किया जाना(अधिनियम की धारा-4(1) व 4(2))। प्रत्येक पंजीकृत संस्था को प्रबन्ध समिति की सूची,वर्षवार चुनाव की बैठक की कार्यवाही, संस्था के आय-व्यय का संतुलन पत्र, चुनाव हुआ हो तो चुनाव दिनांक से 14 दिन के भीतर, यदि चुनाव न हुआ हो तो पिछले चुनाव की पुष्टि दिनांक से 14 दिन के भीतर आनलाॅईन प्रक्रिया से प्रस्तुत करना होता है। प्रपत्र टंकित हो तथा मंत्री एवं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित होने चाहिए।

4. संस्था के पंजीकृत विधान अथवा पते में परिर्वतन (अधिनियम की धारा-4(ए)। संस्था के विधान में परिर्वतन, पंजीकृत विधान में दी गयी व्यवस्थानुसार विधान परिर्वतन का प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव की प्रति, संशोधित विधान की प्रति रूपये 800/- शुल्क के साथ बैठक दिनांक से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार कार्यालय में आनलाॅईन प्रक्रिया से प्रस्तुत कर देना चाहिए। स्थान परिवर्तन की कार्यवाही भी उपरोक्तानुसार संशोधित स्मृति-पत्र व संशोधित नियमावली के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।प्रपत्र टंकित एवं मंत्री तथा तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित होने चाहिए।

5. संस्था की सम्पत्ति हस्तान्तरण पर रोक (अधिनियम की धारा-5(ए)। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 5 ए में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कानून, संविदा या नियम विरूद्ध शर्ते सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्त्रगत पंजीकृत संस्था की प्रबन्ध समिति अथवा इसके सदस्यों के लिए सहायक नही हो सकती जब तक कि संस्था की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की पूर्व अनुमति न्यायालय से न प्राप्त कर ली जाये। हस्तान्तरण का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-

(क) बन्धक रखना, बेचना, उपहार देना या अदल-बदल करना।
(ख) लीज की अवधि पांच वर्ष से अधिक होना।
(ग) अथवा अपरिवर्तनीय लाईसेंस देना।

6. संस्था के पंजीकृत उद्देश्यों में परिर्वतन (अधिनियम की धारा-12) अथवा संस्थाओं के विलीनीकरण आनलाॅईन प्रक्रिया से किया जाता है। पंजीकृत संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन हेतु प्रबन्ध समिति की बैठक में उद्देश्य परिवर्तन पर विचार करने के पश्चात कम से कम 10 दिन के बाद साधारण सभा की बैठक में 3/5 बहुमत से उद्देश्य परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। साधारण सभा की ही विशेष बैठक जो कि पिछली साधारण सभा की बैठक के कम से कम एक माह के बाद बुलाई जायेगी में उद्देश्य परिवर्तन की पुष्टि का प्रस्ताव 3/5 बहुमत से पारित होगा। पुष्टि दिनांक से 30 दिन के भीतर तीन बैठकों की कार्यवाही टंकित एवं मंत्री तथा तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से संशेधित स्मृति-पत्र रूपये 800/- शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त प्रक्रि्यानुसार कोई दो या दो से अधिक संस्थाओं का विलीनीकरण किया जा सकता है।संस्था के पंजीकृत नाम में परिर्वतन (अधिनियम की धारा-12ए व 12बी)। पंजीकृत संस्थाके नाम में परिर्वतन की कार्यवाही अधिनियम की धारा 12ए के अनुसार साधारण सभा की बैठक में2/3 बहुमत से पारित करके बैठक कार्यवाही की टंकित प्रति, मंत्री एवं तीन सदस्यों के हस्ताक्षरसे बैठक दिनांक से 30 दिन के भीतर संशोधित स्मृति-पत्र एवं संशोधित नियमावली रूपये1600/- शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर बैठक कार्यवाही एवं संशोधित स्मृति-पत्र एवं संशोधित नियमावली पंजीकृत करते हुए नाम परिवर्तन का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। परन्तु अधिनियम की धारा 12 सी के अनुसार नाम परिवर्तन की पूर्व अनुमति आनलाॅईन प्रक्रिया से प्राप्त करना आवश्यक है।

7. संस्था के प्रमाण-पत्र अथवा नवीनीकरण प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के सम्बन्ध में (अधिनियम की धारा-12डी व 12डी (2))। यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाय कि किसी संस्था ने पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा नवीनीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा-12डी (1), ए,बी या सी में उल्लिखित आधार जैसेः-(ए)- संस्था का पंजीकरण या इसका नाम परिवर्तन इस अधिनियम अथवा अन्य किसी प्रभावी अधिनियम के विरूद्ध हो।(बी)- इसके कार्यकलाप या उद्देश्य नियम विरूद्ध या जन विरोधी हों।

(सी)- रजिस्ट्रेशन अथवा नवीनीकरण प्रमाणपत्र छल, प्रपंच और धोखा देकर प्राप्त किया गया हो। रजिस्ट्रार
ऐसी संस्था को कारण बताओ नोटिस देकर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करेगा। संस्था के द्वारा प्राप्त उत्तर के आधार पर समीक्षोपरान्त प्रमाणपत्र के पंजीकरण अथवा निरस्तीकरण के आदेश अधिनियम की धारा -12डी(1) के अन्तर्गत पारित कियेजायेगें। अधिनियम की धारा 12डी(2) में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 12 डी (1)के विरूद्ध पारित आदेश की अपील संबधित मण्डलायुक्त के यहां आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है।

8. संस्था का विघटन (अधिनियम की धारा-13 व 14)। अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 किसी संस्था के कम से कम 3/5 सदस्य एक विशेष बैठक इसी प्रयोजन हेतु बुलायेगें और संस्था के विघटन का प्रस्ताव पारित करेंगें। संस्था के सम्पत्ति के निस्तारण एवं व्यवस्थित होने के संबंध में कार्यवाही करेगें तथा इसके दायित्वों एवं दोषों ;ब्संपउेद्धका संस्था के नियमों के अनुसार निपटारा करेंगें। यदि कोई विवाद होता है तो उसे जिला सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जायेगा। परन्तु इस मामले में सरकार सदस्य हैं तो बिना शासन की अनुमति के विघटन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इसी अधिनियम की धारा 13ए (1) में दिया है कि यदि रजिस्ट्रार का यह मत है कि धारा 13 बी(1) में दिया गया कोई कारण विद्यमान है जो निम्न हैः-

(क) संस्था ने इस अधिनियम का या किसी अन्य प्रभावी अधि0 का उलंघन किया हो।
(ख) संस्था में सात से कम सदस्य रह गयें हों।
(ग) संस्था अपने व्यय को पूर्ण करने में या दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ है।
(घ) संस्था के प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण अधिनियम की धारा-12डी (1) के अन्तर्गत किया जा चुका
हैं ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार संस्था को इस आशय की नोटिस भेजेगें कि क्यों न संस्था को विघटित कर दिया जाय।

9. अधिनियम की धारा-13ए(2) में दिया गया है कि यदि संस्था उत्तर देने में असमर्थ होती है तो रजिस्ट्रार मामला न्यायालय को सन्दर्भित करेगा जो कि संस्था के विघटन का आदेश पारित किया जाये। इसी अधिनियम की धारा -13(बी) में दिया गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा-13ए या अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देने पर या सदस्यों के 1/10 सदस्योेंं के प्रार्थना पत्र मामला कोर्ट में भेजा जायेगा और संस्था के विघटन के आदेश उपरोक्त वर्णित 13बी (1) ए से य तक दिये कारणों के आधार पर पारित किया जायेगा। अधिनियम की धारा 13 बी (2) में दिया गया है कि धारा 13(1) के आधार पर या अधिनियम की धारा 12डी के आधार पर या जिलाधीश के प्रार्थना-पत्र के आधार पर कि इस संस्था के कार्य-कलाप जनता में असन्तोष उत्पन्न करेंगें कोर्ट आदेश पारित करेगा। अधिनियम की धारा 13बी (3) में दिया गया है कि संस्था के सभी प्राप्तियों एवं देयता का निर्धारण कोर्ट के आदेशानुसार होगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-14 में दिया गया है कि विघटित संस्था की सम्पत्ति संस्था के सदस्यों के बीच नहीं वितरित की जायेगी।

10. सदस्यता का निर्धारण। अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत संस्था की सदस्यता का निर्धारण का मानदण्ड दिया गया है जैसे संस्था के किसी सदस्य की निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा हो और तीन माह से अधिक सदस्यता शुल्क बकाया न हो। उसका नाम सदस्यता रजिस्ट्रर में अंकित होना चाहिए तथा उसने सदस्यता से त्यागपत्र न दिया हों।

11. पदाधिकारी बनने की अयोग्यता। अधिनियम की धारा 16ए में दिया गया है कि किसी संस्था के पदाधिकारी की अयोग्यता का यह प्रावधान है कि वह आपराधिक मामलों का दोषी हो या संस्था के नियमों के विरूद्ध आचरण का दोषी हों।

12. संस्था के अभिलेखों का निरीक्षण एवं नकल जारी करना। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-19 में अभिलेखों के निरीक्षण का प्रावधान है। कोई व्यक्ति संस्था के अभिलेखों का निरीक्षण रू 300/- निरीक्षण शुल्क जमा करके कर सकता है। यदि वह किसी अभिलेख की प्रमाणित प्रति चाहता है तो वह रू 100/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से नकल शुल्क प्रत्येक अभिलेख हेतु रू 10 का जनरल स्टाम्प पेपर जमा करेगा। अर्जेन्ट नकल हेतु दो गुनी फीस जमा करने पर क्रमशः 8 घन्टे व 24 घन्टे में नकल प्रदान की जायेगी (यदि बीच में अवकाश दिवस हो तो अवकाश दिवस को छोडकर)।

13. संस्थाऐं जिनका रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम के अन्तर्गत होता है।इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता हैः-

पूर्त सोसाइटियां, सेना अनाथ निधि अथवा भारत की विभिन्न प्रेसिडेंसियों में स्थापित की गई सोसाइटियां, विज्ञान, साहित्य अथवा ललित कला के संवर्द्धन के लिए, उपयोगी जानकारी के अनुदेश, प्रसार के लिए, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए, सदस्यों के सामान्य उपयोग अथवा साधारण व्यक्तियों के उपयोग के लिए पुस्तकालयों अथवा वाचनालयों अथवा लोक संग्रहालयों और चित्रकला दीर्घाओं और अन्य कलाकृतियों के प्रतिष्ठापन अथवा अनुरक्षण, नैसर्गिक इतिहास के एकत्रण, यांंित्रक और दार्शनिकअविष्कारों, दस्तावेज या परिकल्पना के लिए स्थापित की गई सोसाइटियां उद्देश्यों से बनायी गयी संस्थाओं का पंजीकरण होता है।

14. रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रतिनिधायन। अधिनियम की धारा-21 में व्यक्त किया गया है कि रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रतिनिधायन संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार इस अधिनियम के क्रियान्वयन से करते है। इस हेतु गजट संख्या आडिट-4902/ दस-506 (46)-79 दिनांक07-01-2002 को जारी किया गया।

15. अभिलेख को प्रस्तुत करने के निर्देश। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-22 में उल्लिखित है कि रजिस्ट्रार 15 दिन का समय देकर लिखित आदेश देकर किसी भी संस्था को लिखित सूचना या कोई भी संस्था के अभिलेख प्रस्तुत करने को कह सकता है।

16. संस्था के लेखों का आडिट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-23(1) में उल्लिखित है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के सोसाइटी रजिस्टे[a]षन एक्ट की धारा-4(2) या अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार यह समझता है तो वह संस्था को लिखित आदेष दे सकता है कि वह अपने लेखा अभिलेखों को या आय-व्यय के संतुलन-पत्र को (विशेष वर्ष का) चार्टड एकाउन्टेन्ट से सम्पेरक्षित प्रस्तुत करें या किसी को आडिट करने हेतु आदेशित करें। अधिनियम की धारा 23(2) में यह व्यवस्था है कि यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि संस्था इन अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह उस वर्ष या वर्षों के अभिलेखों को जब्त करके आडिट करने हेतु दे सकता है तथा उस आडिट के व्यय को संस्था से वसूल कर सकते हैं।

यदि संस्था इन लेखों-अभिलेखों को या अन्य अभिलेखों को उपलब्ध कराने से इन्कार करती है तो उसके लिए धारा-23(3) के अनुसार अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत निरीक्षण करना चाहिए।

17. संस्था के कार्यकलापों की जांच। इस अधिनियम की धारा 24 में संस्थाओं के कार्यकलापों की जांच का प्राविधान है। यदि अधिनियम की धारा-22 या धारा-23(3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार यह पाता है कि संस्था के कार्यकलापों की जांच आवश्यक है तो वह स्वयं या किसी को संस्था के कार्यकलापों की जांच के लिए कह सकता हैं।

18. संस्था की प्रबन्ध समिति में विवाद का निस्तारण। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-25(1) में यह दिया गया है कि यदि रजिस्ट्रार को समाधान हो जाय कि किसी पद पर अथवा प्रबन्ध समिति के प्रबन्धकत्व को लेकर विवाद है तो प्रकरण संबंधित परगना मजिस्ट्रेट को भेजे जाने की व्यवस्था हैं।

19. संस्था की प्रबन्ध समिति की कालातीत होने पर चुनाव। यदि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-25(1) के अन्तर्गत किसी संस्था के चुनाव निष्प्रभावी ;ैमज.ंेपकमद्धकिये गये हो या प्रबन्ध समिति कालातीत हो जाय तो रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम कीधारा-25(2) के अन्र्तगत चुनाव कराये जाय।

(मैनुअल संख्या-4)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः-

1. संगठन द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम 1860, भारतीय भागिता अधिनियम 1932, तथा चिट फन्डस अधिनियम 1982, के प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत किया जाता है ।

2. वर्तमान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, के अन्तर्गत विभिन्न कार्य हेतु निर्धारित शुल्कनिम्नवत् शासनादेश सं0 04 xxvii(6)-चार-1545.200-2015 वित्त अनुभाग-6 , दिनांक 27/8/2015 के अनुसार निम्नवत है।

क्र0 सं0	विवरण	रू0
क - पंजीकरण		
1	सोसाइटी पंजीकरण	5500
2	सोसाइटी पंजीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह /सामुदायिक	50
ख - नवीनीकरण		
1	सोसाइटी नवीनीकरण	1000
2	सोसाइटी पंजीकरण युवक /महिला मंगल दल/महिला समूह /सामुदायिक	50
3	विलम्ब शुल्क प्रथम माह में	200
4	विलम्ब शुल्क अन्य माह में प्रतिमाह	100
	नवीनीकरण अनुमति शुल्क	800
ग - प्रतिलिपि		
1	सोसाईटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र /सामान्य	200
2	सोसाईटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) आवश्यक ;अर्जेन्ट)	400
3	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि सामान्य	100 प्रति पृष्ठ
4	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवश्यक (अर्जेन्ट)	200 प्रति पृष्ठ
घ - निरीक्षण		
1	पत्रावली निरीक्षण	300

	धारा. 4 (1) के प्रपत्र दाखिला शुल्क उक्त धारा के अन्तगत जो प्रपत्र (प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय व्यय लेखे आदि) रजिस्ट्रार कार्यालय को दाखिल किए जाने अनिवार्य है उनकी देय तिथि से एक माह के पश्चात दाखिल करने पर निम्नवत शुल्क प्रस्तावित है।	
1	प्रथम तीन माह तक	200
2	अगले 6 माह तक	300
3	अगले 9 माह तक	400
4	अगले 12 माह तक	500
5	एक वर्ष बाद वार्षिक देय शुल्क वर्ष के किसी अंश पर	600
च - संशोधन शुल्क		
1	स्मृति .पत्र	800 प्रत्येक अवसर पर
2	नियमावली	800 प्रत्येक अवसर पर
छ -अ दस्तावेज पंजीकरण शुल्क		
1	सदस्यता सूची	200 प्रत्येक अवसर पर
ज – सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण निर्देशिका आवेदन पत्र सहित		50 प्रति

भवदीय,

(एम.सी. जोशी)
सचिव।

संख्या-04 (1)/ XXVII (6)-चार-1545-2006/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. रजिस्ट्रर फम्र्स सोसाटीज एवं चिट्स देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त उपनिबन्धक फम्र्स सोसाटीज एवं चिट्स।
5. समस्त विरष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव

(मैनुअल संख्या-5)

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये नियम, विनियम, उददेश्य, निर्देशिका और अभिलेख

इस संगठन द्वारा सोसाइटियों से सम्बन्धित निम्न लिखित दस्तावेज रखे जाते हैं-

सोसाइटियों का रजिस्टर।

नवीनीकरणों का रजिस्टर।

दैनिक प्राप्तियों का रजिस्टर।

रसीद बही।

निरीक्षण रजिस्टर।

जारी की गयी प्रतियों का रजिस्टर।

सोसाइटियों एवं फर्मों की पत्रावलियां।

कार्यालय में प्रायः दो श्रेणी के अभिलेख रखे जाते हैं०:-

दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख (फाइल, सोसाइटी पंजीकरण, नवीनीकरण, सोसाइटी प्रतिलिपि रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, फर्म पंजीकरण, चिट फण्ड पंजीकरण, विवाद, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाइल, कार्य विवरण चार्ट इत्यादि), अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेख जैसे संस्थाओं की मूल पत्रावलियां, सोसाइटी व फर्म के पंजीकृत अभिलेख आदि।

कार्यालय में रखे जाने वाले अन्य अभिलेख/ पंजिकायें आदि निम्नलिखित हैं०:-

पंजिकाओं की पंजिका।

उपस्थिति पंजिका।

आकस्मिक अवकाश पंजिका।

डाक प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका।

स्थानीय डाक वही पंजिका।

पत्रावलियों की पंजिका।

नवीनीकरण पत्रावली अनुक्रमणिका पंजिका।

भण्डारण अनुक्रमाणिका पंजिका।

अधिष्ठान आदेश पंजिका।

डैड स्टाक पंजिका।

लेखन सामग्री पंजिका।

सरकारी वाहन हेतु लाग पंजिका।

आडिट आपत्ति पंजिका।

वेतन बिल पंजिका।

कोषागार पंजिका।

फार्म दो (सी) पंजिका।

कैश बुक।

खर्चो पर नियन्त्रण के लिए फार्म बी0एम0-8 पंजिका।

ज्ी0पी0एफ0 लेजर एवं पास बुक।

कागज का अपना जीवन काल होता है अतः स्थायी अभिलेखों की भी अधिकतम अवधि 35 वर्ष निर्धारित है । शासनादेश संख्या 244 XXXI(2) G/2005 दिनांक 23 अप्रेल 2005 द्वारा अभिलेखों को अभिलेखन (रिकार्डिंग) करने एवं उन्हें नष्ट करने के संबंध में निर्धारित अवधि का विवरण दिया गया है। इस विभाग से सम्बन्धित मुख्य अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र0 सं0	अधिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए/नष्ट किया जाए।
1	2	3
क सामान्य पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां		
1	उपस्थिति पंजी	एक वर्ष
2	आकस्मिक अवकाश पंजी	समाप्त होने के एक वर्ष बाद
3	आडिट/महालेखाकार द्वारा की गयी आडिट पत्रावलियां	आपत्ति्ायों के अंतिम समाधान के बाद अगले आॅडिट होने तक
4	आय-व्ययक अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष
5	सरकारी धन, भण्डार का आहरण, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियां	अंतिम निर्णय व वसूली, राइट आॅफ के पश्चात तीन वर्ष
6	डेड स्टाक, क्षय शील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तिकों आदि के पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां	स्टाक बुक में प्रविष्टि, विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष
7	निरीक्षण टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र-व्यवहार की पत्रावलियां	उठाये गये बिन्दुओं, दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक
8	अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियां	स्थायी रूप से
9	प्रपत्रों के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावलियां	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष
10	लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग.पत्र (इन्डेन्ट)	तीन वर्ष तक
11	दौरों के कार्यक्रम तथा टूअर डायरी, यदि कोई	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद, जो भी पहले हो, किन्तु यदि निर्धारित हो
12	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी
13	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/ प्रतिवेदन	छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष
14	विधान सभा/लोक सभा व राज्य सभा के पांच वर्ष,	किन्तु आश्वासन समितियों को दिये
15	प्रश्नों की पत्रावलियंा	आश्वासनों की पूर्ति के पांच वर्ष बाद
16	नियमावलियोंए नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया पद्धति तथा उनकी व्याख्या तथा नियमों में संशोधन संबंधी पत्रावलियां	स्थाई रूप से
17	कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी शासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थाई रूप से
18	पुर्नसंशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति	पुर्नसंशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक
19	शासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्ड फाईल	स्थाई रूप से
20	प्राप्त एवं प्रेषण पंजी/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स पत्रावली	पच्चीस वर्ष तक
21	पंजी/फाइल रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20, 21, 26 आदि)।	रजिस्टर में दर्ज अस्थाई रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद
22	स्थाई पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थायी रूप से
23	प्ीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं0 51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
24	आवधिक/सामयिक विवरण-पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट आॅफ पीरियाडिकल रिपोटस एण्ड रिटर्नस)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक
25	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रानतीय फार्म नं0 52) अंकित अवधि की आॅडिट आपत्ति्ायाों के	समाप्त होने के तीन वर्ष तक अथवा उसमें समाधान के पश्चात एक वर्ष

26	सरकारी गजट डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर, जहां गजट स्थायी रूप से रखा जाता है,	शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक
27	सरकारी वाहनों की लाग-बुक तथा रनिंग वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारारजिस्टर निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने केपश्चात	एक वर्ष बाद तक, यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो
28	गार्ड फाइल्स	स्थाई रूप से

ख. स्थापना/अधिष्ठान सम्बन्धी पत्रावलियों एवं रजिस्टर

1	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजि पत्रावलियां (व्यक्तिगत पत्रावलिया)	पेंशन की अन्तिम स्वीकृति के पष्चात् पांच वर्ष तक
2	अस्थाई/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थनापत्रों/प्राप्त आवेदन-पत्रों की पत्रावलियां	पांच वर्ष (चुने गये/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों को छोड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे)
3	वाहन, साइकिल, गृह निर्माण, सामान्य सामान्य भविष्य अग्रिम की राषि ब्याज सहित, यदि कोई हो, तोनिर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य उसके भुगतान के पश्चात एक वर्ष।	अग्रिमों से सम्बन्धित पत्रावलियां
4	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां बंद।	पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पांच वर्ष
5	सेवा पुस्तिकाये/सेवा नामावलियां वित्तीय नियम-संग्रह	खण्ड दो, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136-ए के अनुसार
6	स्थापना आदेश पंजीस्थायी रूप से	
7	गोपनीय चरित्र पंजिकायें/गोपनीय आख्यायें	सेवा निवृत्ति/पद त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष तक
8	अनुशसनिक कार्यवाही रजिस्टर	सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष तक
9	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर (1) लेजर (2) ब्राडशीट (3) इन्डेक्स (4) पासबुकें	सभी दर्ज कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के मामले अवशेष न रह गये हों। तदैव तदैव तदैव (सेवा निवृत्ति के बाद संबंधित कर्मचारीको उसकी प्रार्थना पर दे दी जाय)
10	सेवाओं में आरक्षण (1) विभिन्न संवर्गों के रोस्टर्स	स्थायी रूप से

ग. बजट एवं लेखा संबंधी पत्रावलियां/रजिस्टर

1	यात्रा भत्ता प्रकरण आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद	
2	टी0ए0 बिल तथा टी0ए0 चैक रजिस्टरआडिट हो जाने के	तीन वर्ष बाद
3	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की महालेखाकार से	अन्तिम सत्यापन व समायोजन पत्रावलीहो जाने के एक वर्ष बाद
4	प्रासंगिक व्यय पंजी आडिट के पांच वर्ष बाद यदि कोई आडिट	आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो
5	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेन्स पैंतीस वर्ष। वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच रोल)	(वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड पांच, भाग एक का पैरा 85, परिषिष्ट 16 के अनुसार भाग-एक का पैरा 138, फार्म, 11 बी)
6	बिल रजिस्टर 11 सी वित्तीय नियम-संग्रह, आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद	खण्ड पांच, भाग-एक का पैरा 139
7	कैरश बुकआडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई	आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवषेष न हो
8	टे[a]जरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 2158/ पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष)	सोलह (71)/68 डी.टी. दिनांक 7-5-1970 द्वारा बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो निर्धारित
9	टेलीफोन टं[a]ककाल रजिस्टर पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा	कोई बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दशा में एक वर्ष
10	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम	समायोजन के पश्चात दो वर्ष
11	बिल इनकेशमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट खण्ड पांच भाग एक का पैरा 47 ए आपत्ति निस्तारण हेतु	अवशेष न हो और किसी धनराशि के अपहरण, चोरी, डकैती आदि की घटना घटी हो
12	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निर्धारित	एलाटमेंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला
13	विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो रसीद बुक, ईशू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं. 385 दस वर्ष, यदि किसी रसीद बुक के खो जाने	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हों पैरा 26)तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो

अध्याय-1

जन-सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुॅंच

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (परिशिष्ट-6)

1. प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य करण में पारदर्शिता और उत्तर अधिनियम दायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन (परिशिष्ट-6) सूचना तक पहुॅंच के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के उद्देष्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर,2005 अस्तित्व में है।

2. निबन्धक फम्र्स सोसाइटी एवं चिट्स में अधिनियम की धारा 5(1), धारालोक सूचना अधिकारी, एवं 5(2) एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत क्रमषः लोक सूचना अधिकारियों, एवं अपीलीय अधिकारी (मैनुअल अपीलीय अधिकारी का नामांकन किया गया है।
सं0-16)

सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण

3. नागरिको से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पाश्र्वाकित शासनादेश में दिये गये किसी एक प्रारुप में किया जायेगा निबन्धक फम्र्स सोसाइटी एवं चिट स्तर पर सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें सूचना हेतु प्राप्त अनुरोधविभिन्न लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने पत्रों का पंजीकरण एवंकी स्थिति में, उसे लोक सूचना अधिकारी को शीध्रताशीघ्र परन्तु विलम्बतः निस्तारण 5 दिन के अंदर निर्धारित प्रारुप में अग्रेषित किया जाता है।

शासनादेश सं 146 /सु0/XXXI(3)G/2006 दिनांक 22 मार्च,3.1अनुरोध कर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जाता है यदि अनुरोध कर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

3.2 अधिनियमकी धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव शीध्रता से, और किसी भी दषा में अनुरोध प्राप्ति के तीसदिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये
या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा. यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अविधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है
तो, यह समझा जायेगा कि अनुरोध को नामंजूर कर दियाहै.।

सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम 2005

4. अधिनियमकी धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छाया प्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पाश्र्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

अधिसूचना ए0-266/XXII /205-9(31)दिनांक 13 अक्टूबर 2005(परिषिष्ट-7) एवं सं्ाशोधित अधिसूचना सं0165/ ew/XXXI (13)G-2(2)/2006 दिनांक 31 मार्च, 2006 (परिषिष्ट-8)

5. यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बधित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है. तो ऐसी दषा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रुप से सूचना देगा और इस बारे में सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नही, लिखित रुप में या मौखिक रुप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्ष कार को आमंत्रित करेगा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा.

पर व्यक्ति सूचना

5.1 तीसरे पक्ष कार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्ष कार से सम्बंधित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जायें या नहीे ं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्ष कार को भी देगा. लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है.

प्रथ्म अपील धारा-19 (1) 6. अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अथवा लोक सूचना अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथिसे 30 दिनों अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है.सम्बंधित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विष्वास हो जाता है कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपील कर्ता अपनी याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है.

6.1 सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बंधितसूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश सेप्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनांे के अंदर विभागीय अपीलीयअधिकारी के यहाॅं अपील कर सकता है।

6.2 निबन्धक फम्र्स सोसाइटी एवं चिट्स के विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील कानिस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा.

सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन फम्र्स सोसाइटी एवं चिट परिपत्र सं065/उ.सू.आ/मु.सु.आ./2005 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005)

7. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन विभाग जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगेउक्त सभी मैनुअल पर सी.

डी. तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी. विभाग (फम्र्स सोसाइटी एवं चिटस के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी.

7.1 उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अधावधिक किए जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगें।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

8. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25 (3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ड) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुआंे पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगें।

विभाग के निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर फम्र्स किया जाना होगा।

8.1 फम्र्स सोसाईटी एवं चिट्स इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करंेगा.

9. जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने

सूचना पटों को करना — प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पद नाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित

प्रदर्शित करते हुये सूचना पटट लगाये जायेंगे.

	10. आयोग में धारा 18(1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को
लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही	प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय-समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा।
द्वितीय अपील 11. सूचना आयोग प्रक्रिया) नियम 2005	अधिनियम की धारा 19 (3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील राज्य दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का (अपील पालन किया जायेगा।

अधिसूचना सं0305/ XXII/2005-9(33)2005 दिनांक 13दिसम्बर, 2005(परिशिष्ट-10)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार,07 मार्च, 2019 ई0

फाल्गुन 16, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 69 / XXXVI(3)/2019/11(1)/2019

देहरादून, 07 मार्च 2019

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण(उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर दिनांक 05 मार्च 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2019 के रूप में सर्व साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधि्रियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2019)

उत्तराखण्ड राज्य में अपनी प्रवृति के संबंध में सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1860) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है-

सं्क्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2019 है। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2- सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगी, अर्थातः-

धारा 1 का प्रतिस्थापन- 1 संगम ज्ञापन के माध्यम से गठित सोसाइटी और उसका रजिस्ट्रीकरणः- किसी साहित्यिक,वैज्ञानिक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिए अथवा इस अधिनियम की धारा 20 में यथावर्णित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए सहयुक्त कोई सात अथवा उससे अधिक व्यक्ति संगम ज्ञापन एवं नियमावली के आनलाईन प्रारूप में अपने नामों के डिजिटल हस्ताक्षर करके और रजिस्ट्रार के पास आनलाईन दाखिल करके इस अधिनियम के अंतर्गत एक सोसाइटीज के रूप में अपने को संगठित कर सकेगें।

3- मूल अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः-

धारा 3 का संशोधन 3 रजिस्ट्रीकरण और फीसः- (1) ज्ञापन में प्रतिश्रुत करने वाले व्यक्तियों की और से सोसाइटीज के सचिव द्वारा सोसाइटीज के कार्यालय का पता,जो रजिस्ट्रीकृत पते पर होगा,के विवरणों सहित ऐसा ज्ञापन और इसी डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रति दाखिल किए जाने पर, रजिस्ट्रार अपनें डिजिटल हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि सोसाइटीज इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है। प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को पाॅंच हजार पाॅंच सौ पचास रूपय की फीस अदा की जायेगी। प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकरण हेतु युवा/महिला मंगलदल,महिला समूह/सामुदायिक समूह हेतु रूपये पचास की फीस अदा की जाएगीः

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय-समय पर,सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन संदेय फीस बढा सकेगी।

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार अपने से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्व आपेक्ष,यदि कोई हो, को आमंत्रित करते हुए, आफलाईन सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हे वह उपयुक्त समझे, को आॅंफलाईन सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपो पर विचार कर सकेगा, जिन्हे वह सोसाइटीज को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करें।

सोसाइटीज के रजिस्ट्रार के द्वारा, पंजीकरण हेतु आॅंनलाईन स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त,निर्धारित फीस को आफनलाईन जमा कराने के उपरान्त डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त सोसाइटीज पंजीकरण प्रमाण पत्र को आवेदक के द्वारा,डाउनलोड किया जा सकेगा।

4 मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात निम्नवत धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात -

धारा 5 क का अंतःस्थापना 5-क सम्पत्ति के अन्तरण पर निर्बन्धन-

(1) किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लिखित में किसी बात के होते हुए भी, इस अधि्नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज से संबंधित किसी स्थावर सम्पत्ति का अंतरण करना विधिपूर्ण नही होगा।

(2) उपधारा(1) के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अंतरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिये न्यायालय शब्द का अर्थ वही होगा जो कि धारा 13 में समनुदेशित किया गया है।

स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजनों के लिये अन्तरण शब्द से अभिप्रेत हैः-

(क)- बंधक,प्रभार,विक्रय,दान अथवा विनिमय,

(ख)- पांच वर्षो से अधिक की अवधि के लिये पट्टा, अथवा

(ग)- अप्रतिसहरणीय अनुज्ञप्ति।

5 मूल अधिनियम की धारा 19 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः-

धारा 19 का प्रतिस्थापन 19 दस्तावेजो का निरीक्षण,प्रमाणित प्रतियोंः-

कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण,प्रत्येक निरीक्षण के लिए तीन सौ रूपयें की फीस अदा करके, कर सकेंगे, और कोई व्यक्ति दस्तावेजों अथवा किसी दस्तावेज के किसी भाग की किसी प्रति अथवा उद्धरण को (रूपये सौ प्रति पृष्ठ सामान्य फीस तथा रूपये दो सौ प्रति पृष्ठ आवश्यक फीस) अदा करके रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रति उसमें अंतर्विष्ट मामलों के लिए सभी विधिक कार्यवाहियों के लिए प्रथम दृष्ट्ता साक्ष्य होगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय-समय पर,सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन संदेय फीस बढ़ा सकेगी।

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला,

प्रमुख सचिव।

No.69/xxxvi(3)/2019/11(1)/2019
Dated Dehradun, March 07,2019
NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor in pleased to order the publication of the following English translation of The Societies Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2019 (Act No. 04 of 2019).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assenterd to by the governor on 05 march 2019.

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTARAKHAND AMENDMENT) ACT,2019

(Uttarakhand Act No.04 of 2019)

An

Act

Further to amend the societies registration act,1860 (Act no.21 of 1860) in its application to the state of uttarakhand.

IT IS HEREBY enacted by the uttarakhand state legislative assembly in the seventieth year of the republic of india as follows:-

Short title, extent and commencement 1. (1) This Act may be called the societies registration (uttarakhand amendment) Act,2 019.

(2) it extends to the whole of the state of uttarakhand .

(3) it shall come into force at once.

2. in societies registration act, 1860, (which is hereinafter referred to as principal act) the sections 1 shall be substituted as follows, namely:-

S**ubstitution of section1 1.** Societies formed by memorandum of association and registration:- any seven or more persons associated for any literary, scientific or charitable purpose, or for any such purpose as is described in section 20 of act , may, by digital signature of their name in online form of memorandum of association and rules filling the same online with the registrar form themselves into a society under this Act.

3. in principal act sub section 1 of section 3 shall be substituted as follows, namely-

Amendment of section 3 3. Registration and fees (1)- upon such memorandum and its digitally signed copy being filed along with particulars of the address of society office which will be registered address, by the secretary of the society on behalf of the persons subscribing to the memorandum, the registrar shall certify under his figital signature that the society is registered under this act. For every such registration fees of five thousand five hundred and fifty rupees shall be paid to registrar. For every such registration for youth/women mangal dal, women group/community froup fees of fifty rupees shall be paid.

Provided further that the state government may, by notification in the official gazette, increase from time to time the fee payble under this sub-section.

Provided further that the registrar may, in his discretion, issue public offline notice or issue offline notices to such persons as he thinks fit inviting offline objections , if any against the proposed registration and consider all objections that may be received by him before registering the society.

The prescribed fee of registration shall be submitted online after the online approval of registration by the registrar. After depositing the prescribed fees, the digitally signed society registration certificate shall be downloaded by the applicant.

4. in principal act after section 5 the following section shall be inserted, namely-

Insertion of section 5 A "5 A. restriction on transfer of property-

(1) Notwithstanding anything contained in any law, contract or other instrument, it shall not be lawful for the governing body of a society registered under this act or any of its members to transfer, without the previous approval of the court, any immovable

(2) Every transfer made in contravention of sub section .

(1) Shall be void.

Explanation-I- for the purpose of this section the word court shall have the meaning assigned to it in section 13.

Explanation-II- for the purposes of this section the word court shall have the meaning assigned to it in section 13.

Explanation-III- for the purposes of this section the word transfer means-
(d) a mortgage, charge, sale, gift or exchange.
(e) lease for term exceeding five years; or
(f) Irrevocable licence."
5. in principal act section 19 shall be substituted as follows, namely-
Substitution of section 19 19- inspection of documents, certitied copies:- any person may inspect all document files with the registrar under this act on payment of a fee of three hundred rupees for each inspection; and any person may require a digitally signed copy or extract of any documents or any part of any documents, to be digitally certified by the registrar on payment of rupees one hundred as ordinary fee and rupees two hundred as urgent fee for every A4 size page of such copy or extract and such digital signed copy shall be prima facie evidence of the matters therein contained in all legal proceedings whatever.
Provided further that the state government may, by notification in the official gazette, increase from time to time the fee payable under this sub-section.

By order,
D.P. GAIROLA,
Principal Secretary.

सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में संशोधन किये जाने विषयक ज्ञापन

कारण एंव उद्देश्य

1 सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 की धारा 5 क राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 की तर्ज पर पूर्व में दिनांक 02-07-2014 को निरसित कर दी गयी थी। वर्तमान में उक्त धारा के निरसित किये जानें से सोसाइटियों की प्रबंधकारिणी एंव सदस्यों के मध्य परिसंपत्ति के अनावश्यक विवादों को रोकनें के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 5क को अंतःस्थापित किये जानें का प्रस्ताव प्रसंतुत किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त ईज आॅफ डुईंग बिजनेस(Ease of doing busines) के अंतर्गत वर्तमान में फम्र्सए सोसाइटीज एंव चिट्स के कार्यो को आॅनलाईन किया जा चुका हैए जिस कारण वर्तमान में विभाग के समस्त पंजीकरणध्नवीनीकरण आदि समस्त कार्य आॅलाईन सम्पादित किये जा रहे है। इस प्रकार सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियमए1860 के कतिपय प्राविधान को संशोधित किया जाना आवश्यक हैए जिस कारण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

2 प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रकाश पंत
मंत्री

<u>सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860</u>

<u>(1860 का अधिनियम संख्या 21)</u>

साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित अधिनियम

उद्देशिका:- अतः यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान अथवा ललित कला की प्रोन्नति के लिए,अथवा उपयोगी जानकारी के प्रसार (राजनैतिक शिक्षा के प्रसार) के लिए अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित

सोसाइटियों की विधिक शर्त में सुधार करने के लिए उपबन्ध किया जाए। यह निम्नलिखित रूपमें अधिनियमित किया जाता है-

1. संगम ज्ञापन के माध्यम से गठित सोसाइटी और उसका रजिस्ट्रीकरण-किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिए अथवा इस अधिनियम की धारा 20 में यथा वर्णित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए सहयुक्त कोई सात अथवा उससे अधिक व्यक्ति एक संगम ज्ञापन में अपना नाम हस्ताक्षरित करके और संयुक्त स्टाॅक कम्पनी रजिस्ट्रार (इस स्थान पर पहले ''1857 का अधिनियम संख्या 19'') शब्द और अंक लिखे गए थे- जिन्हें अब अनुसूची भाग-प् के साथ पठित निरसन अधिनियम, 18741की धारा 1 के तहत हटा दिया गया है) के पास उसे दाखिल करके इस अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में अपने को संगठित कर सकते हैं।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-''संयुक्त स्टाॅक कम्पनी रजिस्ट्रार ' 'शब्दों के स्थान पर 25-8-1958 से प्रभावी ' 'रजिस्ट्रार ' ' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

2. संगम ज्ञापन-संगम ज्ञापन में निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगे (अर्थात्)-

सोसाइटी का नाम;

सोसाइटी के उद्देश्य;

उन व्यवस्थापकों, परिषद्, निर्देशकों, समिति , अथवा अन्य शासी निकाय के नाम और व्यवसाय,जिन्हें सोसाइटी के नियमों के अधीन इसके कामकाज का प्रबन्धन न्यस्त किया गया है।

सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, शासी निकाय के तीन सदस्यों से कम नहीं,सत्य प्रति को प्रमाणित कराकर, संगम ज्ञापन के साथ दाखिल किया जाएगा।

3. **रजिस्ट्रीकरण और फीस**-ऐसा ज्ञापन और प्रमाणित प्रति दाखिल किए जाने के बाद, रजिस्ट्रार अपने हाथ से प्रमाणित करेगा कि सोसाइटी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार के प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को पचास रूपये की फीस, या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित उससे कम फीस अदा की जाएगी; और इस प्रकार संदत्त की गई पूरी फीस राज्य सरकार के लेखा में रखी जाएगी।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-(क) धारा 3 के स्थान पर 10-10-1975 से प्रभावी नई धाराएँ 3 और 3-क प्रतिस्थापित की जा जाएँ जो निम्नानुसार हैं-

' '3(ं1) ज्ञापन में प्रतिश्रुति करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय का पता, जो रजिस्ट्रीकृत पते पर होगा, के विवरणों सहित ऐसा ज्ञापन और

.....

1. 1958 का उ0प्र0 अधिनियम सं0 25 की धारा 2.

इसकी प्रमाणित प्रति दाखिल किए जाने पर, रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की दी गई है। प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को 1(एक हजार रूपए) की फीस (अथवा किसी सोसाइटी वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित छोटी फीस) अदा की जाएगी।

2 ''परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन संदेय फीस को बढ़ा सकती है:

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध आक्षेप, यदि कोई हो,को आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपों पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करे। ‘ ‘

(2) उपधारा (1) में कुछ होते हुए भी रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकारकर देगा, यदि ऐसे इंकार के विरूद्ध कारण स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के बाद वह सन्तुष्ट होता है कि-

(क) सोसाइटी का नाम इस अधिनियम के अधीन पहले रजिस्ट्रीकृत की गई किसी अन्य सोसाइटी के नाम के तद्रूप है;
(ख) उस सोसाइटी, जिसका रजिस्ट्रीकरण इप्सित है, के नाम में इन शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात् ‘यूनियन (संघ)‘, ‘स्टेट (राज्य)‘, ‘लैण्ड मा◌ॅर्गेज (भूमि बंधक)‘, ‘लेण्ड डेवलपमेंट (भूमिविकास)‘, ‘को-आपरेटिव (सहकारी)‘, ‘गांधी ‘, ‘रिजर्व बैंक या कोई शब्द जो केन्द्रीय या किसी राज्यसरकार की मंजूरी, अनुमोदन या प्रश्रय अभिव्यक्त या विवक्षित करे या कोई शब्द जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या उतनी समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी निगम या निकाय से संसंगइंगित करने के लिए प्रकल्पित हो या जो ऐसा है कि जिससे जन सामान्य को या इस अधिनियम के अधीन पहले रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के सदस्यों का अन्यथा भ्रम होने की सम्भावना हो;
(ग) उस सोसाइटी, जिसका रजिस्ट्रीकरण इप्सित है, का एक या अधिक उद्देश्य धाराएँ 1 और 20 में उल्लिखित एक उद्देश्य नहीं है;
(घ) इसके उद्देश्य उतनी समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रतिकूल हैं।
इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया गया है जिसे हमेशा इसप्रकार से प्रतिस्थापित किया गया हुआ माना जाएगा-
‘‘परन्तु यह कि राज्य सरकार, आपवादिक परिस्थितियों में, कारण, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, के लिए किसी सोसाइटी को अपने नाम में ‘‘यूनियम (संघ)‘‘ शब्द या ‘‘गाँधी ‘ ‘ शब्द का प्रयोग करने के लिए स्वीकृति दे सकती है, और उसके आधार पर उस सोसाइटी के नाम में इस शब्द का प्रयोग ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करने का आधार नहीं होगा। ‘ ‘1
‘ ‘3-क. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का अपसार-(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन,धारा 3 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी की तिथि से दो वर्षा◌ेां की अवधि के लिए प्रभावी होगा-
परन्तु यह कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 (इसमें इसके पश्चात् इस धारा में उक्त अधिनियम के रूप में सन्दर्भित) के प्रारंभ होने के पहले जारी किया गया प्रमाण-पत्र उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और पहले संदत्त की गई फीस के
.....
उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2000 द्वारा शब्द ‘‘पांच सौ रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये प्रतिस्थापित हुआ जो 25नवम्बर 1999 से प्रभावी।
अन्तर का संदान करने पर ऊपर वर्णित प्रारंभ की तिथि से पाँच वर्षा◌ेां की अवधि के लिए प्रभावी होगा।2

(2) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले अथवा बाद में धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद एक माह के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन करके और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट फीस का संदान करके एक समय में पांच वषो3 के लिएं अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण कराने का हकदार होगी:
परन्तु यह कि उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी के मामलेमें रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करने से इंकार कर देगा, यदि इस इंकारी के विरूद्ध कारण दर्शाने का अवसर देने के बाद वह सन्तुष्ट हो जाता है कि धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार उसके बावत विद्यमान है।
(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ रजिस्ट्रार को निम्नानुसार संदेय होगा-

(4)''(क) धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के समान फीस या, दो सौ रूपये जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन-पत्र उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है:

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस खण्ड के अधीन संदेय फीस को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी कि इस प्रकार से बढ़ाई गई फीस, धारा 3के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक न हो;

1((ख) चालीस रूपये की अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो खण्ड (क) के अधीन संदेयफीस के एक बटा पाँच से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है; और

1((ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए बीस रूपये की दर पर अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर अतिरिक्त फीस प्रत्येक मास के लिए, जो खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के आधे सेअनधिक हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) मेंविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाता है। ' '

(4) प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के बाद अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के बाद चयनित प्रबंध निकाय के सदस्यों की सूची औरनवीकरण के लिए इप्सित प्रमाण-पत्र भी, जब तक कि इसके खो जाने या नष्ट होने या अन्य पर्याप्तकारण के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा अभिमुक्ति न दे दी गई हो, लगाया जायेगा।2

(5) जो सोसाइटी इस धारा के अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का, ऐसी अवधि, जिसके लिए प्रमाण-पत्र प्रभावी था, के समाप्त होने से एक वर्ष के भीतर नवीकरण कराने में विफल हो जाती है,अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जायेगी;

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारण के लिए 3('चार सौ रूपये की फीस या ऐसी उच्चतर फीस,जो उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के दसगुना से अनधिक हो और जिसे,राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये,') अदा करने पर नवीकरण के लिए किसी प्रमाण-पत्र को उस अवधि, जिसके लिए प्रमाण-पत्र प्रभावी था, के समाप्त हो जाने के बाद एक वर्ष से अधिक की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(6) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र का नवीकरण उपधारा (2) अथवा उपधारा (5) के अनुसार किया जाता है, वह नवीकरण उस अवधि के समाप्त होने की तिथि से प्रभावी होगा जिसके लिएप्रमाण-पत्र प्रभावी था। ' '

16-7-1979 के प्रभावी नई धारा 3-ख जोड़ी जाए जो निम्नानुसार है-

' '3-ख. राज्य सरकार को सन्दर्भन-यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोई सोसाइटी अपने को धारा 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कराने की हकदार है अथवा अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रधारा 3-क के अनुसार नवीकृत करने की हकदार है, तो मामले को राज्य सरकार को संदर्भित कर दिया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

4. प्रबन्ध निकाय की वार्षिक सूची का दाखिल किया जाना-प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन जब, सोसाइटी के नियमों के अनुसार, सोसाइटी की वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की जाती है,से चैदहवें दिन अथवा उससे पहले अथवा यदि नियमों में एक वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की व्यवस्था नहीं है, तो जनवरी माह में, सोसाइटी के कामकाज के प्रबन्धन से उस समय न्यस्त प्रबंधक,परिषद्, निर्देशक, समिति अथवा अन्य शासी निकाय के नामों, पतों और व्यवसायों की एक सूची संयुक्त स्टा ॅक कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-1958 में ''संयुक्त स्टा ॅक कम्पनी रजिस्ट्रार ' ' शब्दों के स्थान पर 25-8-1958 से प्रभावी ''रजिस्ट्रार ' ' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया। (1958 का यू0पी0 अधिनियम सं0 25 की धारा 2)।

1975 में प्रमुख धारा 4 को पुर्नसख्यांकित करके उपधारा (1) कर दिया गया और इस पुर्नसख्यांकन के बाद 10-10-1975 से प्रभावी नई उपधारा (2) और धारा 4-क जोड़ दी गई।

‘ ‘(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सूची के साथ, संगम ज्ञापन जिसमें धारा 12 के अधीन किए गएकोई परिवर्तन विस्तारण अथवा प्रयोजना का न्यूनन भी शामिल हैं और सोसाइटी के नियमों, जिसे अद्यतनरूप में सही किया गया हो और उक्त शासी निकाय के तीन से कम नहीं, सदस्यों द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, की एक प्रति और साथ में पूर्ववर्ती वर्ष के लेखा के तुलन-पत्र की भी एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रेषित की जाएगी। ‘ ‘

‘ ‘धारा 4-क. नियमों में परिवर्तन आदि के बारे में रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाए-प्रत्येक परिवर्तन यदि सोसाइटी के नियमों में किया गया हो, की एक प्रति और सोसाइटी के पताके प्रत्येक परिवर्तन की संसूचना, जिसे शासी निकाय के तीन से कम नहीं; सदस्यों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, इस परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाएगा। ‘ ‘

1984 में, उपधारा (1) में 30-4-1984 से प्रभावी एक परन्तुक जोड़ा गया। (1984 का यू0पी0अधिनियम सं0 11 की धारा 4)।

‘‘परन्तु यदि प्रबन्ध निकाय का निर्वाचन सूची के अन्तिम प्रस्तुतीकरण के बाद किया जाता है, तोपुराने सदस्यों का प्रति हस्ताक्षर, यथाशक्य, सूची पर अभिप्राप्त किया जायेगा। यदि पुराने पदधारक सूचीपर प्रति हस्ताक्षर नहीं करते, जो रजिस्ट्रार अपने विवेक से विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत आक्षेपों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस या ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझें, नोटिस जारी करसकेगा और उक्त अवधि के अन्तर्गत प्राप्त सभी आक्षेपों को विनिश्चित करेगा। ‘ ‘

4. सोसाइटी की सम्पत्ति का निहितीकरण-यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति न्यासियों में निहित नहीं है तो उसे तत्समय ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय के उचित अभिनाम से उक्त सम्पत्ति को वर्णित किया जाएगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-16-7-1979 से प्रभावी नई धारा 5-क जोड़ दी जाए जो निम्नलिखित है-

5. क. सम्पत्ति के अंतरण पर निर्बन्धन-किसी प्रतिकूल विधि, संविदा अथवा अन्य लिखत में कुछ भी होते हुए भी, यह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय अथवा इसके सदस्यों के लिए, न्यायालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसी सोसाइटी की किसी जंगम सम्पत्ति का अन्तरण करना विधि-सम्मत नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) का उल्लंघन करके किया गया प्रत्येक अंतरण अकृत होगा।

स्पष्टीकरण-। ‘‘न्यायालय ‘ ‘ शब्द का अर्थ वही होगा जो कि धारा 13 के अधीन उसे दिया गयाहै।

स्पष्टीकरण-।। ‘‘अन्तरण ‘ ‘ शब्द का अर्थ, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित होगा-

(क) बंधन, प्रभाकरण, विक्रय, दान अथवा विनिमय;

(ख) पाँच वर्षाेंं से अधिक की अवधि के लिए पट्टा; अथवा

(ग) ''अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति ' '- 1979 का यू0पी0 अधिनियम सं0 26, धारा 4 (16-7-1979)(1979 का यू0 पी0 अधिनियम सं0 26 की धारा 4)। ' '

6. सोसाइटी द्वारा और उसके विरूद्ध वाद लाया जाना-इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी के सभापति, अध्यक्ष अथवा मुख्य सचिव अथवा न्यासियों, जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार अवधारण किया जाएगा, के नाम से, और ऐसी अवधारणा में की गई चूक के मामले में इस प्रयोजन के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तिके नाम से, वाद ला सकती है अथवा वाद के अन्तर्गत लाई जा सकती है:

परन्तु यह कि सोसाइटी के विरूद्ध दावा अथवा माँग करने वाला व्यक्ति सोसाइटी के सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा मुख्य सचिव अथवा न्यासियों, यदि शासी निकाय को दिए गए आवेदन पर कोई अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति की बचाव करने वाले के रूप में नियुक्ति न की जाए, के विरूद्ध वाद लाने के लिए समर्थ होगा।

7. वाद का उपशमन न किया जाए-किसी सिविल न्यायालय में लाया गया कोई वाद अथवाकार्यवाही, उस व्यक्ति जिसके द्वारा अथवा जिसके विरूद्ध ऐसा वाद अथवा कार्यवाही लाया गया होगाअथवा जारी किया गया होगा, मृत्यु होने अथवा उस हैसियत के नाम को छोड़ने, जिससे उसके द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वाद लाया गया होगा, के कारण उपशमित अथवा बन्द नहीं किया जाएगा, किन्तुवही वाद अथवा कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम से अथवा उसके विरूद्ध जारी रखाजाएगा।

8. सोसाइटी के विरूद्ध निर्णय का प्रवर्तन-यदि कोई निर्णय सोसाइटी की ओर से नामित व्यक्ति अथवा अधिकारी के विरूद्ध प्रत्युद्धार किया जाएगा, ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति अथवा अधिकारी की सम्पत्ति, जंगम अथवा स्थावर के विरूद्ध अथवा उसके शरीर के विरूद्ध प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

निष्पादन याचिका में निर्णय उपवर्णित किया जाएगा जो उस पक्षकार, जिसके विरूद्ध इसकाप्रत्युद्धार किया गया होगा, के द्वारा केवल सोसाइटी की ओर से वाद लाने अथवा वाद लाए जाने के,जैसा मामला हो, वाद होगा, से संबंधित तथ्य होगा और उसमें सोसाइटी की सम्पत्ति के विरूद्ध निर्णयको प्रवर्तित किया जाना अपेक्षित किया जाएगा।

9. उपविधि के अधीन प्रोदभवमान शास्ति की वसूली-जहां कहीं,सोसाइटी के नियमों और विनियमोंके अनुसार सम्यक् रूप से विरचित विधि द्वारा, अथवा यदि नियमों में उपविविधांे की विरचना की व्यवस्थानहीं की गई है वहां, उस सोसाइटी के सदस्यों की इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई किसी साधारणबैठक में विरचित की गई किसी उपविधि (जिसकी विचरना के लिए ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों केतीन-पांचवे का सहमति मद दिया जाना आवश्यक है) द्वारा सोसाइटी के किसी नियम अथवा उपविधिको भंग करने के लिए कोई धनीय शास्तितअधिरोपित की जाती है, वहां ऐसी शास्ति, उसका प्रोदभावहोने पर, किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता उस स्थान पर है जहांप्रतिवादी निवास करता है अथवा जहां सोसाइटी अवस्थित है, जैसा कि उस सोसाइटी का शासी निकायसमीचीन समझेगा।

10. सदस्यों के विरूद्ध पर व्यक्ति के रूप में वाद लाया जायेगा -कोई सदस्य, जिसकी तरफकोई प्रतिश्रुति बकाया हो, जिसे सोसाइटी के अनुसार अदा करने के लिए वह बाध्य है, अथवा जोसोसाइटी की किसी सम्पत्ति का किसी रीति से अथवा ऐसे नियमों के तत्समय विरूद्ध स्वयं कब्जा करेगाअथवा निरूद्ध करेगा, अथवा सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को

क्षति करेगा अथवा नाश करेगा, उसके विरूद्ध इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से, ऐसी बकाया राशि के लिए अथवा सम्पत्ति के ऐसे निरोध,क्षति अथवा नाश से प्रोद्भूत नुकसानी के लिए वाद लाया जायेगा।

सफल प्रतिवादी द्वारा खर्च की वसूली न्यायनिर्णीत -किन्तु यदि वादी सोसाइटी केअनुरोध पर उसके विरूद्ध लाए गए किसी वाद अथवा अन्य न्यायिक कार्यवाही में सफल होगा और अपनेखर्च की वसूली करने के लिए न्यायनिर्णीत किया जायेगा, तो वह उसकी वसूली उस अधिकारी से,जिसके नाम से वाद लाया जायेगा अथवा उस सोसाइटी से करने के लिए कार्यवाही करने का विकल्पकर सकता है, और बाद वाले मामले में उपरोक्त वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के विरूद्ध वाद कार्यवाही की जाएगी।

11. अपराध के दोषी सदस्य पर व्यक्ति के रूप में दण्डनीय हैं -सोसाइटी का कोई सदस्यजो ऐसी सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति की चोरी करेगा, उसे हड़पेगा अथवा उसका गबनकरेगा, अथवा उसकी किसी सम्पत्ति को जान-बूझकर और विद्वेषतः नाश करेगा अथवा क्षति पहुंचायेगाअथवा किसी विलेख, बंधपत्र, धन के लिए प्रतिभूति, अथवा अन्य दस्तावेज की कूट रचना करेगा, जिसकेद्वारा सोसाइटी की निधियां हानि के लिए उच्छन्न हो जाएं, तो उसके विरूद्ध वही अभियोजन चलायाजाएगा और यदि उसे सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो उसे उसी ढंग से दण्डित किया जायेगा जैसा कि कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं है इसी प्रकार के अपराध के लिए अभियोजनीय होता और दण्डित कियागया होता।

12. सोसाइटियां अपने प्रयोजन का परिवर्तन, विस्तारण अथवा न्यूनन करने के लिए, समर्थहोंगी -जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी, जिसे विशिष्ट प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए गठित किया गया है, शासी निकाय को यह प्रतीत होगा कि ऐसे प्रयोजन कोअन्य प्रयजनों , जो उस अधिनियम की परिधि के भीतर शामिल हैं, से अथवा उनके लिए, परिवर्तन,विस्तारण अथवा न्यूनन किया जाना, अथवा ऐसी सोसाइटी को किसी अन्य सोसाइटी के साथ या तो पूरी तरह से अथवा या तो आंशिक रूप से समामेलन किया जाना बुद्धिमानी है, तो ऐसा शासी निकाय एकलिखित अथवा मुद्रित रिपोर्ट के माध्यम से उस सोसाइटी के सदस्यों को वह प्रतिपादना प्रस्तुत करसकता है और सोसाइटी के विनियमांे के अनुसार उस पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलासकता हैः

किन्तु कोई ऐसी प्रतिपादना तब क्रियान्वित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट, उस परविचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक के दस दिन पहले सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाएगी अथवा डाक द्वारा भेज नहीं दी जायेगी और न ही, जब तक किऐसी प्रतिपादना के लिए सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा परिदत्त किए गए उनकेतीन-पांचवे भाग के मत द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी और एक दूसरी विशेष बैठक जो शासी निकाय द्वारा पहली बैठक के बाद एक माह के पश्चात एक अन्तराल में बुलाई जाएगी, में उपस्थित सदस्यों केतीन-पांचवे भाग के मतों द्वारा पुष्टि नहीं की जाएगी।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-उत्तर प्रदेश में 10-10-1975 से प्रभावी 1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 6

के द्वारा निम्नलिखित नई धाराएँ 12-क, 12-ख, 12-ग, और 12-घ अंतःस्थापित की गई है-

''धारा 12-क. नाम का परिवर्तन-इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, अपनेसदस्यों की कुल संख्या दो तिहाई भाग से कम नहीं, की सम्मति प्राप्त करके, (और लिखित में रजिस्ट्रारका पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके), (16-7-1979 से प्रभावी 1979 से प्रभावी यू0 पी0 अधिनियम सं0 26 द्वाराअन्तःस्थापित) इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई एक साधारण बैठक में संकल्प पारित करके अपने नामको परिवर्तित कर सकती है।

12-ख. नाम अथवा उद्देश्यों के परिवर्तन का नोटिस-(1) सोसाइटी के सचिव और किन्हींतीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके, धारा 12 के अधीन किए गए उद्देश्यों के प्रत्येक परिवर्तन अथवाधारा 12 के अधीन नाम के प्रत्येक परितर्वतन का लिखित नोटिस रजिस्ट्रार को सम्प्रेषित किया जाएगा।

(2) जहां रजिस्ट्रार यह संतुष्ट हो जाता है कि सोसाइटी के उद्देश्यों अथवा नाम के संबन्ध मेंऔर उद्देश्यों के अथवा नाम के, जैसा कि मामला हो, परिवर्तन से संबधित इस अधिनियम में किए गएउपबंधों का अनुपालन किया परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण कर सकता है और वह ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तिथि से प्रभावी होगा।

12-ग. नाम अथवा उद्देश्यों के परिवर्तन का प्रभाव-किसी सोसाइटी के उद्देश्यों अथवानाम में परिवर्तन उस सोसाइटी के किन्हीं अधिकारों अथवा बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा और न हीउस सोसाइटी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लाई गई किसी विधिक कार्यवाही को दूषित करेगा और कोईविधिक कार्यवाही, जो उसके पुराने नाम से उसके द्वारा अथवा उसके विरूद्ध जारी की गई होती अथवाप्रारम्भ की गई होती, उसके नए नाम से उसके द्वारा अथवा उसके विरूद्ध जारी की जा सकती है अथवाप्रारम्भ की जा सकती है।

12-घ. कतिपय परिस्थितियोेंं में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति-(1)इस अधिनियम में कुछ भी अन्तर्विष्ट किए जाने पर भी, रजिस्ट्रार, निम्नलिखित आधारों में से किसी परकिसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण, लिखित में ओदश जारी करके रद्द कर सकता है-

(क) कि सोसाइटी का अथवा उसके नाम का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अथवा तत्समयलागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के विरूद्ध ''है ' '; (16-7-1979 से प्रभावी 1979 का उ0 प्र0 अधिनियमसं0 26 द्धारा ''था ' ' के स्थान पर यह शब्द प्र्रतिस्थापित किया गया);

(ख) कि इसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्तावित क्रियाकलाप, सोसाइटी के उद्देश्यों के लिएध्वंसात्मक अथवा लोक नीति के विरूद्ध रहे हैं अथवा हैं अथवा रहेंगे;

(ग) कि यह रजिस्ट्रीकृत अथवा नवीकरण का प्रमाण-पत्र दुव्र्यपदेशन अथवा कपट द्वारा अभिप्राप्तकिया गया है। (30-4-1984 से प्रभावी 1984 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 द्वारा जोड़ा गया)।

परन्तु यह कि किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आदेश तब तक जारीनहीं किया जाएगा जब तक कि सोसाइटी को अपने नाम अथवा उद्देश्य का परिवर्तन करने के लिए,अथवा इसके संबंध में प्रस्ताविक कार्यवाही के विरूद्ध कारण प्रदर्शित करने के लिए उचित अवसर न दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के विरूद्ध उस प्रभाग के आयुक्त के यहाँ, जिसकीअधिकारिता में सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, ऐसा आदेश सूचित किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर, अपील की जा सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। (30-4-1984 से प्रभावी 1984 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 द्वारा अन्तःस्थापित)। ‘ ‘

13. सोसाइटी का विघटन और उसके कार्यकलाप का समायोजन-किसी सोसाइटी के ऐसी किसी संख्या के सदस्य, जो उनकी कुल संख्या के तीन-पाँचवें भाग से कम न हो, यह निश्चय करसकते हैं कि उसे विघटित किया जाएगा और ऐसा करने पर, वह तत्क्षण, अथवा किसी समय, उतनीसमय जब कि सहमति की जाए, विघटित हो जाएगी, और सोसाइटी की सम्पत्ति और उसके दावों औरदेयताओं का, उन पर लागू होने वाले उक्त सोसाइटी के नियमों, यदि कोई हों, और यदि वे नहीं हैं, तोजैसा कि शासी निकाय समीचीन समझेगा, के अनुसार व्ययन और व्यवस्थापन करने के लिए सभीआवश्यक कदम उठाए जाएँगे, बशर्ते कि, उक्त शासी, निकाय और सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोईविवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, उसके कार्यकलाप का समायोजन उस जिला की मूल सिविलअधिकारिता के प्रधान न्यायालय को उसे सन्दर्भित कर दिया जाएगा जिसमें सोसाइटी का मुख्य भवन अवस्थित है; और वह न्यायालय इस मामले में ऐसा आदेश देगा जैसा कि वह अपेक्षित समझता हैः

परन्तु यह कि किसी सोसाइटी का विघटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई एक साधारण बैठक में सदस्यों का तीन-पाँचवाँ भाग इस विघटन के लिए वैयक्तिकरूप से अथवा परोक्षी के माध्यम से अपना मतदान परिदत्त करके अपनी इच्छा अभिव्यक्त नहीं कर दी होगी।

परन्तु यह कि जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी में कोई सरकार(पहले विद्यमान ‘‘जब कभी सरकार ‘ ‘ शब्द के स्थान पर अब 1-4-1937 से प्रभावी वर्तमान शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं-देखें-ए0 ओ0 1937) उसका एक सदस्य होती है, अथवा उसमें एकअभिदानकर्ता होती है, अथवा उसमें अन्यथा हितबद्ध होती है, ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के राज्य कीसरकार की सम्मति के बिना (पहले विद्यमान ‘‘सरकार की सम्मति के बिना ‘ ‘ शब्द के स्थान पर अब1-4-1937 से प्रभावी वर्तमान शब्द प्रतिस्थापन कर दिए गए हैं। देखें ए0 ओ0 1937) विघटित नहीं की जाएगी।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-(क) ‘‘सोसाइटी का मुख्य भवन ‘ ‘ शब्दों के स्थान पर 10-10-1975 से प्रभावी ‘ ‘सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृति कार्यालय ‘ ‘ शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जाएँ।

(ख) 10-10-1975 से प्रभावी नई धाराएँ, 13-क, और 13-ख, जोड़ दी जाएँ, जो इस प्रकार हैं-

‘ ‘13-क. विघटन के सम्बन्ध में उपर्याेजन करने के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति-

(1)जहाँ रजिस्ट्रार की राय में, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में यहविश्वास किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि धारा 13-ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) से(50) में दिए गए आधारों में से कोई आधार विद्यमान है तो वह सोसाइटी को एक नोटिस भेजेगा किसो सोसाइटी इस नोटिस में यथा-विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताए कि क्यों न सोसाइटी को विघटित कर दिया जाए।

(2)यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को अथवा उसके पहले अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतरजैसा कि रजिस्ट्रार अनुमति दें, सोसाइटी कोई कारण नहीं बता पाती है अथवा यदि बताया गया कारण रजिस्ट्रार द्वारा असंतोषजनक

समझा जाता है तो रजिस्ट्रार धारा 13 में सन्दर्भित न्यायालय में सोसाइटीके विघटन के लिए आदेश दिए जाने केलिए कार्रवाई कर सकता है।

13-ख. न्यायालय द्वारा विघटन-धारा 13-क के अधीन अथवा धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर अथवा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सदस्यों केदसवें हिस्से से कम नहीं, द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 13 में सन्दर्भित न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर सोसाइटी के विघटन के लिए आदेश कर सकता है अर्थात्-

(क) कि सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है और यह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण है कि सोसाइटी को विघटित कर दिया जाना चाहिए;

(ख) कि सोसाइटी के सदस्यों की संख्या घटकर सात से कम हो गई है;

(ग) कि सोसाइटी ने ऐसे आवेदन किए जाने की तिथि से तीन वर्ष पहले कार्य करना बन्द कर दिया है;

(घ) कि सोसाइटी अपने ऋणों का भुगतान करने और अपनी देयताओं को पूरा करने मे असमर्थ है;

(ड.) कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण धारा 12-घ के अधीन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्तावित क्रियाकलाप लोक नीति के विरूद्ध रहे हैं अथवा हैं अथवा होंगे।

(2) उपधारा (1) के अथवा धारा 12-घ के उपबन्धोेंं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,न्यायालय इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट के आवेदन पर, इस आधार पर सोसाइटी केविघटन के लिए एक आदेश दे सकता है कि सोसाइटी के कार्यकलाप लोक न्यूसेंस संघटित करते हैं अथवा अन्यथा लोक नीति के विरूद्ध हैं।

(3) जब उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन किसी सोसाइटी के विघटन के लिए, कोई आदेश किया जाता है तो सोसाइटी की सम्पत्ति के, उसके दावों और देयताओं के व्ययन और व्यवस्थापन और उसके कार्यकलाप के किसी अन्य समायोजन के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम न्यायालय द्वारा यथा-निर्देशित रीति से उठाए जाएँगे। ‘ ‘

14. विघटन हो जाने पर कोई सदस्य लाभ प्राप्त नहीं करेगा-यदि इस अधिनियम केअधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का विघटन हो जाने पर, उसके सभी ऋणों और देयताओं कीे तुष्टिकर देने के बाद, कुछ भी सम्पत्ति शेष रह जाएगी, तो उसे उक्त सोसाइटी के सदस्यों के मध्य अथवा उनमें से किसी को अदा अथवा संवितरित नहीं किया जाएगा, अपितु किसी अन्य सोसाइटी को दे दियाजाएगा, जिसका अवधारण, विघटन के समय उपस्थित सदस्यों के तीन-पाँचवें भाग से कम नहीं; द्वारा,वैयक्तिक रूप से अथवा परोक्षी द्वारा दिए गए मत द्वारा, अथवा उसके न होने पर उपरोक्त ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

खण्ड संयुक्त-स्टाॅक कम्पनियों पर लागू नहीं होगा-तथापि, यह खण्ड किसी ऐसी सोसाइटी पर लागू नहीं होगा जिसका संप्रवर्तन अथवा जिसकी स्थापना, शेयर धारकों के अभिदान द्वारा एक संयुक्त-स्टाॅक कम्पनी की प्रकृति में किया गया है।

उत्तर प्रदेश-10-10-1975 से प्रभावी नई धारा 14-क जोड़ दी गई-

‘ ‘14-क. किसी विघटित सोसाइटी की सम्पत्ति का व्ययन-धारा 14 में कोई बात अंतर्विष्ट होने पर भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे ऐसी सोसाइटी के विघटन के समय उपस्थित सदस्यों के वैयक्तिक रूप से अथवा परोक्षी द्वारा दिए गए मतों के बहुमत द्वारा यह अवधारित करें कि सभी

ऋणों और दयताओं की तुष्टि करने के बाद जो कुछ भी कोई सम्पत्ति शेष बचती है, को धारा 1 में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग किए जाने के लिए सरकार को दे दी जाएगी। ''- (1975 का उ0प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 9)(10-10-1975)।

15. सदस्य की परिभाषा, निरर्हित सदस्य-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसीसोसाइटी का सदस्य वह व्यक्ति होगा, जो उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित किए जाने के बाद, एक प्रतिश्रुत संदत्त कर दी होगी, अथवा उसके सदस्यों की नामावली अथवा सूची को हस्ताक्षरित कर दिया होगा, और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार त्यागपत्र नहीं दिया होगा , किन्तु इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में ऐसा कोई व्यक्ति मतदान करने अथवा गणना किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा उतनी समय जिसकी प्रतिश्रुति तीन माह से अधिक की अवधि से बकाया रही होगी।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-मूल धारा को उपधारा (1) के रूप में पुर्न संख्यांकित करके नई उपधारा (2) जोड़दी जाए (30-4-1984 से प्रभावी)।

‘ ‘(2) प्रत्येक सोसाइटी यथा विहित विशिष्टियाँ देने वाला सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी ‘ ‘, (1984का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 की धारा 6)।

16. शासी निकाय- परिभाषा-सोसाइटी का शासी निकाय प्रशासक परिषद्, निर्देशक, समिति,न्यासी अथवा अन्य निकाय, जिसे सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार उसके कामकाज के प्रबन्ध के लिए न्यस्त किया जाए, होगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-10-10-1973 से प्रभावी नई धारा 16-क जोड़ी जाए।

‘ ‘16-क. सोसाइटी में पद धारण करने के लिए निरर्हता-कोई व्यक्ति जो एक अनुन्मोचितदिवालिया है अथवा जिसे किसी सोसाइटी की, अथवा किसी निगम निकाय की विरचना, उसके सम्प्रवर्तन,प्रबन्धन अथवा उसके कामकाज के संचालन से संसक्त किसी अपराध अथवा नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, किसी सोसाइटी के शासी निकायके एक सदस्य के रूप में चुने जाने, उसका एक सदस्य बनने, अथवा सभापति, सचिव अथवा कोई अन्य पदाधिकारी बनने के लिए निरर्हित होगा। ‘ ‘ (1975 का उ0 प्र0. अधिनियम सं0 52 की धारा 10)

17. अधिनियम के पहले विरचित की गई सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण-किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित की गई और 1950 के अधिनियम सं0 43(1950 का अधिनियम सं0 43 अर्थात् संयुक्त स्टा॔क कम्पनीअधिनियम, 1850- जो भारतीयकम्पनी अधिनियम, 1866 की धारा 219 द्वारा निरसित कर दिया गया है- 1856 के पश्चाती अधिनियम के स्थान पर भी साम्प्रतिक कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं0 1) अधिनियमित किया गयाहै) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी अथवा सोसाइटी, अथवा इस अधिनियम को पारित किए जाने के पहले स्थापित और गठित, किन्तु 1850 के उक्त अधिनियम सं0 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न की गई,कोई

ऐसी सोसाइटी को एतद्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन एक सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है; परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कम्पनी अथवा सोसाइटी का तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह से रजिस्ट्रीकृत किए जाने की एक सम्मति,शासी निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई किसी साधारण बैठक में वैयक्तिक रूप से अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के तीन-पाँचवें बहुमत द्वारा न दी जाए।

1850 के अधिनियम सं0 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी अथवा सोसाइटी के मामले में निर्देशकों को इस तरह के शासी निकाय के रूप में समझा जाएगा।

यदि कोई सोसाइटी इस तरह से रजिस्ट्रीकृति नहीं है, यदि उस कम्पनी की स्थापना पर ऐसे निकाय का गठन किया गया होगा, तो उसके सदस्य सम्यक् नोटिस के आधार पर तत्पश्चात् सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए अपने लिए एक शासी निकाय की सृष्टि करने के्र लिए समर्थ होंगे।

18. ऐसी सोसाइटियां संयुक्त स्टाॅक कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां ज्ञापन आदि दाखिल करेंगी-पूर्वगामी अन्तिम धारा में उल्लिखित किसी ऐसी सोसाइटी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री अभिप्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त होगा कि शासी निकाय, सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का उद्देश्य और शासी निकाय के नाम, पते और व्यवसाय को दर्शाने वाला एक ज्ञापन और साथ ही, सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, जिसे धारा 2 में यथा उपबन्धित रूप में प्रमाणित किया गया हो और उस साधारण बैठक की कार्यवाही के रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए संकल्प लिया गया हो, संयुक्त स्टाॅक कम्पनी रजिस्ट्रार (यहां पर पहले विधमान शब्द और अंक 1857 केअधिनियम, 19 के अधीन निरसित कर दिये गये हैं- देखें निरसन अधिनियम, 1874 (1874 का अधिनियम सं0 16) अनुसूची भाग 1 के साथ पठित) के पास दाखिल करें।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-''संयुक्त स्टाॅक कम्पनी रजिस्ट्रार ' ' शब्दों के स्थान पर 25-8-1958 से प्रभावी ' 'रजिस्ट्रार ' ' शब्द प्रतिस्थापित किया जाये। (1958 यू0 पी0 अधिनियम सं0 25 की धारा 2)।

19. दस्तावेजों का निरीक्षण, प्रमाणित प्रतियाँ-कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण, प्रत्येक निरीक्षक के लिए एक रूपये की फीस अदा करके, कर सकता है; और कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज अथवा किसी दस्तावेज के किसी भाग की किसी प्रति अथवा उद्धरण को ऐसी प्रति अथवा उद्धरण के प्रत्येक सौ शब्दों के लिए दो आने अदा करके रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किए जाने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसी प्रमाणित प्रति उसमें अन्तर्विष्ट मामलों के लिए सभी विधिक कार्यवाहियों के लिए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-दो स्थानों पर, एक ''प्रत्येक निरीक्षण के लिए एक रूपये की फीस अदा करने पर ' ' और दूसरा ''ऐसी प्रति अथवा उद्धरण के प्रत्येक सौ शब्दों के लिए दो आने अदा करने पर ' ' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी फीस अदा करने पर जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित करे ' ' (6-10-1975 से प्रभावी) (1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 11)।

20. अधिनियम किन सोसाइटियों पर लागू होगा-इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है-

पूर्त सोसाइटियाँ, सेना अनाथ निधि अथवा भारत की विभिन्न प्रेसीडेंसियों में स्थापित की गई सोसाइटियाँ, विज्ञान, साहित्य अथवा ललित कला के संवर्द्धन के लिए, उपयोगी जानकारी के अनुदेश,प्रसार के लिए, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार (शब्द जोड़े गए- देखें सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, (संशोधन)अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम सं0 22) के लिए, सदस्यों के सामान्य उपयोग अथवा साधारण व्यक्तियों के उपयोग के लिए पुस्तकालयों अथवा वाचनालयों अथवा लोक संग्रहालयों और चित्रकलादीर्घाओं और अन्य कलाकृतियों के प्रतिष्ठापन अथवा अनुरक्षण, नैसर्गिक इतिहास के एकत्रण, यांत्रिक औरदार्शनिक आविष्कारों, दस्तावेज या परिकल्पना के लिए स्थापित की गई सोसाइटियाँ।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-"विज्ञान ' ' और "के सवंर्द्धन ' ' शब्दों के बीच में 30-4-1984 से प्रभावी ' ' खादी औरग्राम्य उद्योग, पंचायत उद्योग, ग्रामीण विकास ' ' शब्द जोड़े जाएँ। (1984 का अधिनियम सं0 11 की धारा7)।

नई धाराएँ

उत्तर प्रदेश-(क) 25-8-1958 से प्रभावी नई धारा 21 जोड़ी गई थी (1958 का उ0प्र0 अधिनियम सं0 25 की धारा 3 किन्तु बाद में 1979 के उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 की धारा 7 द्वारा पहले जोड़ी गई धारा 21 के स्थान पर साम्प्रतिक धारा प्रतिस्थापित कर दी गई) किन्तु बाद में 16-7-1979 से प्रभावी साम्प्रतिक धारा 21 प्रतिस्थापित की गई-

"21 इस अधिनियम में, "रजिस्ट्रार ' ' शब्द से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे इस रूप में राज्यसरकार द्वारा नियुक्त किया जाये और उसमें एक अपर रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार,अथवा सहायक रजिस्ट्रार, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की पूरी या कोई शक्तियाँ, राज्यसरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, शामिल हैं। ' '

(ख) बाद में 10-10-1975 से प्रभावी धाराएँ 22 से 23 जोड़ी गई हैं (1975 का उ0 प्र0 अधिनियमसं0 52 की धारा 12)।

(क) 30-4-1984 से प्रभावी 1984 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 की धारा 8 द्वारा संशोधित।

(ख) 27-2-1978 से प्रभावी 1978 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13 की धारा 4 द्वारा संशोधित

21. सूचना मँगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति-(1) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह लिखित रूप में ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज ऐसी समय-सीमा के भीतर भेजे, जो सामान्यतः उस सोसाइटी द्वारा उक्त आदेश को प्राप्त करने की तिथि से दो सप्ताह से कम की नहीं होती, जैसा कि वह सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा दाखिल किए गए किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जाने पर, सभापति सचिव अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का कत्तव्य होगा कि ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रेषित की जाए।

23. लेखा-परीक्षा-(1) धारा 4 की उपधारा (2) अथवा धारा 22 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप से आदेश देकर, किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष से सम्बन्धित अपना लेखा अथवाप्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति, जिसे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किया गया हो, प्रेषित करने की अपेक्षा कर सकता है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, सोसाइटी के अनुरोध पर, उसे ऐसे लेखा और विवरण को उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा कराने की उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में संदर्भित दस्तावेजों को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार समय-समय पर अनुमति प्रदान करे, प्रेषित करने में विफल होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष से संबंधित लेखा की लेखा-परीक्षा करवा सकता है और ऐसी लेखा-परीक्षा का खर्च उस सोसाइटी से वसूल सकता है।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा किए जाने के लिए अपने लेखा अथवाअन्य दस्तावलेज को उपलब्ध कराने से उपेक्षा अथवा इंकार करती है, अथवा रजिस्ट्रार की राय में लेखा-परीक्षा करने के लिए सम्यक् व्यय के साथ अपेक्षित अन्यथा सहूलियतें प्रदान करने में विफल होती है, तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

22. किसी सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण (1) जहाँ धारा 22 के अधीन अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना पर अथवा धारा 23 की उपधारा (3) में सन्दर्भित परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार की यह राय है कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कामकाज का संचालन इस तरह से किया जा रहा है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहे हैं अथवा कि सोसाइटी अथवा उसका शासी निकाय जिसका कोई भी नाम हो सकता है, अथवा कोई अधिकारी जो सोसाइटी का वास्तविक प्रभावी नियंत्रण रखता हो, उसके कामकाज का कुप्रबंध करने अथवा वैश्वासिक अथवा अन्य सदृश बाध्यताओं के किसी भंग का दोषी है, तो रजिस्ट्रार या तो स्वयं या तो इस निमित उसके द्वारा नियुकत किसी व्यक्ति के माध्यम से सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण अथवा अन्वेषण अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किएजाने पर सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी लेखा पुस्तक और सोसाइटी के अन्य अभिलेख अथवा उससे सम्बन्धित अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में हों, को प्रस्तुत करे और ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के संबंध में हर तरह की मदद करे।

(3) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी को बुला सकता है और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण कर सकता है और बुलाए जाने पर प्रत्येक अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षण के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो।

(3-अ) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति, यदि उसकी राय में निरीक्षण अथवा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा जरूरी है, तो सोसाइटी की लेखा-पुस्तिका सहित कोई अथवा सभी अभिलेखों का अभ्रिहण कर सकता है (30-4-1984 से प्रभावी 1984 के यू0 पी0 अधिनियम सं0 11की धारा 8 द्वारा संशोधित)।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिलेखों को अभिग्रहण किया जाता है ऐसे अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी प्रतियाँ बनाने का हकदार होगा।

(4) निरीक्षण अथवा अन्वेषण, जैसा कि मामला हो, की समाप्ति पर निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, अपने निरीक्षण अथवा अन्वेषण के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देगा।

(5) ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के बाद रजिस्ट्रार, सोसाइटी को अथवा उसके शासी निकाय कोअथवा उसके किसी अधिकारी को, यथा-विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किन्हीं कमियों अथवा अनियमितताओं को दूर करने के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने में की गई चूक की स्थिति में, रजिस्ट्रार धारा 12-घ अथवा 13-ख,जैसा कि मामला हो, के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

25. पदाधिकारियों के चुनाव से सम्बन्धित विवाद-(1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कम से कम एक-चैथाई सदस्यों द्वारा सन्दर्भन किए जाने पर, ऐसी सोसाइटी के पदाधिकारी के चुनाव अथवा उसे पद पर बने रहने से सम्बन्धित किसी संशय अथवा विवाद की सुनवाई कर सकता है और सारभूत ढंग से निर्णय कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

‘ ‘परन्तु यह कि किसी पदाधिकारी का चुनाव अपास्त कर दिया जाएगा जहाँ विहित प्राधिकारी यह सन्तुष्ट होता है-

(क) कि ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; अथवा

(ख) कि किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित ढंग से अस्वीकार किया गया है; अथवा

(ग) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक कि वह ऐसे पदाधिकारी से सम्बन्ध रखता है, नाम निर्देशन का अनुचित प्रतिग्रहण द्वारा अथवा किसी मत का अनुचित ग्रहण, इंकार अथवा अस्वीकृति द्वारा अथवा किसी ऐसे मत को ग्रहण करके जो कि शून्य है अथवा सोसाइटी के किन्हीं नियमों के उपबन्धों का कोई अनुपालन करके तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है।

स्पष्टीकरण- I&-किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण किया हुआ समझा जाएगा जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः स्वयं द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा-

(I) कपट, साशय दुव्र्यपदेशन, प्रपीड़न अथवा क्षति की धमकी द्वारा की मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने या किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से विरत होने अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है;

(ii) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान करने से विरत करने के लिए उत्प्रेरित करने की, अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से कोई धन अथवा मूल्यवान प्रतिफल, अथवा कोई स्थान या रोजगार या प्रस्ताव करता है या देता है, अथवा व्यष्टिगत फायदा अथवा किसी व्यक्ति के लाभ का कोई आश्वासन देता है;

(iii) खण्ड (i)और खण्ड (ii)में विनिर्दिष्ट कार्याेंं में किसी को किए जाने को (भारतीय दण्ड संहिता के अर्थ के भीतर) दुष्प्रेरित करता है;

(iv) किसी उम्मीदवार अथवा मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने के लिए प्रयास करता है कि वह, अथवा कोई व्यक्ति जिसमें यह हितबद्ध हो, दैवी अप्रसाद अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा की वस्तु बन जाएगा या हो जाएगा;

(v) जाति, समुदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संचायना करता है;

(vi) ऐसा अन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण होने के लिए विहित करे।

स्पष्टीकरण-II-व्यष्टिगत फायदा या किसी व्यक्ति को लाभ के आश्वासन में वह आश्वासन भी शामिल है जो उस व्यक्ति स्वयं को लाभ के लिए अथवा किसी उस व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध हो, को लाभ के लिए दिया जाए।

स्पष्टीकरण -III-राज्य सरकार ऐसे चुनाव के सम्बन्ध में संशयों अथवा विवादों के बारे में सुनवाई करने और निर्णय देने की प्रक्रिया विहित कर सकती है और ऐसे चुनावों से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के बारे में प्रावधान बना सकती है जिसके लिए इस अधिनियम में अथवा सोसाइटी के नियमों में अपर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा, कोई चुनाव अपास्त कर दिया जाता है अथवा किसी प्राधिकारी का हक अपने पद पर बने रहने के लिए नहीं रह जाता है अथवा जहाँ रजिस्ट्रार यह सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का कोई चुनाव उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं कराया गया है, तो वह ऐसे पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए ऐसी सोसाइटी के साधारण निकाय की एक बैटक बुला सकता हैऔर ऐसी बैठक का रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सभापतित्व किया जाएगा और उसे संचालित किया जाएगा और बैठकों और चुनावों से संबंधित सोसाइटी के नियमोंमें विद्यमान उपबंध आवश्यक उपान्तरों के साथ ऐसी बैठक और चुनाव पर लागू होंगे।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई बैठक बुलाई जाती हैे, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो सोसाइटी का पदाधिकारी होने का दावा करता हो, चुनाव के प्रयोजन लिए कोई अन्य बैठक नहीं बुलाई जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘‘विहित प्राधिकारी ‘ ‘ अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है कोई अधिकारी अथवा न्यायालय जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

26. अनुपालन किया जाने वाला दान का निबंधन-जहाँ कोई सोसाइटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से कोई दान अथवा धन या किसी तरह की सम्पत्ति अधिग्र्रहीत करती है,तो यह दान में दिए गए या संदान किए गए किसी धन अथवा अन्य सम्पत्ति या उसके किसी भाग काउपयोग रजिस्ट्रार की लिखित सम्मति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगी, जो (रजिस्ट्रार) यह सन्तुष्ट हो जाने पर ही वह प्रयोजन जिसके लिए दान दिया गया था सोसाइटी द्वारा निष्पादन किएजाने के लिए अशक्य है, पर ही सम्मति देगा अन्यथा उसे देने से इंकार कर देगा।

27. शास्तियाँ-कोई व्यक्ति जो-

(क) प्रबंध निकाय की सूची या धारा 4 के अधीन अथवा धारा 4-क के अधीन संप्रेषित किए जानेके लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना सम्प्रेषित करने में विफल होता है अथवा उक्त धारा 4 अथवा धारा4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली सूची में अथवा उससे, अथवा नियमों के या नियमों केपरिवर्तन के किसी विवरण अथवा प्रति अथवा अन्य सूचना में अथवा उससे जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि अथवा लोपन करता है अथवा करवाता है;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) में सन्दर्भित किसी लेखा अथवा विवरण को जान बूझकर नहीं भेजता अथवा उक्त धारा का अनुपालन करते हुए ऐसी प्रविष्टियाँ सम्प्रेषित करता है जो मिथ्या है और जिसे वह या तो जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, अथवा यह विश्वास नहीं करता है कि वे सत्य हैं;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेजों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराने की उपेक्षा करता है अथवा उससे इंकार करता है;

(घ) धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित किसी लेखा-पुस्तिका अथवा अन्य अभिलेखों को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करता है;

(ड.) रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष जान बूझकर उपस्थित नहीं होता अथवा धारा 24 की उपधारा (3) के उपबंधों का अन्यथा उल्लंघन करता है;

28. प्रक्रिया-इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा और न ही रजिस्ट्रार अथवाउसके द्वारा इस निमित्त साधारण अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर ही ऐसे अपराध का संज्ञान किया जाएगा अन्यथा नहीं।

29. अपराधों का शमन-(1) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 27 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है अथवा जिसके विरूद्ध उस धारा के अधीन एक अभियोजन संस्थापित किया गया है, उस अपराध के लिए समन फीस के रूप में कोई धनराश्ेि ा अभिग्रहण कर सकता है जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति पर संदेह किया गया है अथवा जिसे उसके द्वारा किए जाने के लिए अभिवाक् किया गया है।

(2) ऐसी समन फीस की अदायगी करने पर, संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचितकर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, और यदि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन संस्थापित किया गया है, तो यह समन उसकी दोषमुक्त का प्रभाव रखेगा।

30. फीस की अदायगी का तरीका-इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस ऐसे तरीके से संदत्त की जाएगी जैसा कि नियमों में विहित किया जाए।

31. क्षतिपूर्ति-सद्भावपूर्वक किए गए अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आशयित किए गए किसी कार्य के लिए, राज्य सरकार के विरूद्ध, रजिस्ट्रार अथवा धारा 24 के अधीन निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी।

32. रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस, आदि तामील करने का ढंग-(1) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाने वाले किसी सोसाइटी अथवा उसके शासी निकाय से सम्बन्धित कोई नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा उस सोसाइटी के सचिव को तामील किया जा सकता है, और सचिव को इस प्रकार से तामील किया जाना उसी तरह से प्रभावी होगा मानों उसे उस सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य अथवा जैसा किमामला हो, उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को तामील किया गया हो, जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देशित न करे।

(2) ऐसे नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा

उसके सचिव को प्रेषित किया जाना उसका सोसाइटी को पर्याप्तः तामील किए जाने के समान होगा।

33. नियमों को बनाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उन्हें बनाए जाने के बाद यथा शीघ्र, राज्यविधान मण्डल के दोनों सदनों में, जब उनका सत्र चल रहा होे, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो उसके एक अथवा एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो, रखे जाएँगे और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती तिथि नियत न की जाए, और ऐसे उपान्तरणों अथवा बालिती करणों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा उपान्तरण अथवा बालितीकरण उसके अधीन पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया हो, उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से, प्रभावी होंगे।

21. इस अधिनियम में ''रजिस्ट्रार ' ' शब्द से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस तरह से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और इसमें एक अपर रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार,अथवा सहायक रजिस्ट्रार, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी अथवा कोई शक्ति राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की गई हो, शामिल है (1979 के उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 द्वारा प्रतिस्थापित)।

उत्तर प्रदेश-(इस धारा 21 की टिप्पणी सं0 1 देखें)। 21 इस अधिनियम में, ''रजिस्ट्रार ' ' शब्द से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो, और इसमें एक अपर रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार अथवा सहायक रजिस्ट्रार, जिसे राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी अथवा कोई शक्तियाँ प्रदत्त की गई हों, शामिल हैं।

अधिसूचना

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम सं0 21) की धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सभी उप-समुत्थान और सोसाइटी रजिस्ट्रारों को पूर्व कथित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी शक्तियाँ अपने-अपने अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर प्रयोग किये जाने के लिए प्रदत्त करते हैं। (अधिसूचना सं0 लेखा-परीक्षा 4902/ग.605(46)-7 दिनांक जनवरी, 1982, उ0 प्र0 राजपत्र, असाधारण दिनांक 7 जनवरी, 1982 में पृष्ठ 2 पर प्रकाशित)।

22. सूचना मँगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति-(1) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से यह

अपेक्षा कर सकता है कि वह लिखित रूप में ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज ऐसी समय-सीमा के भीतर भेजे, जो सामान्यतः उस सोसाइटी द्वारा उक्त आदेश को प्राप्त करने की तिथि सेदो सप्ताह से कम की नहीं होती, जैसा कि वह सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा दाखिल किए गए किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जाने पर सभापति, सचिव अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का कत्र्तव्य होगा कि ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रेषित की जाए। (उ0प्र0 अधिनियम, धारा 22)।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-(टिप्पणी 1, धारा 21)।

‘ ‘22. सूचना मँगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति-(1) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह लिखित रूप में ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज ऐसी समय-सीमा के भीतर भेजे, जो सामान्यतः उस सोसाइटी द्वारा उक्त आदेश को प्राप्त करने की तिथि से दो सप्ताह से कम की नहीं होती, जैसा कि वह सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा दाखिल किए गए किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जाने पर सभापति, सचिव अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का कत्र्तव्य होगा कि ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रेषित की जाए।

टिप्पणी

उ0 प्र0 संशोधन-यह धारा रजिस्ट्रार को एक अन्य शक्ति प्रदत्त करती है जो अभी तक केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उसे अभिव्यक्त रूप में प्रदत्त नहीं की गई थी। इस शक्ति के न होने पर,रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में पर्याप्त और विश्वसनीय सूचना एकत्र नहीं कर सकता था अथवा वह कोई ऐसा दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकता था जिसे रजिस्ट्रार सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में अपेक्षित करता हो। तथापि, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी से कोई ऐसा दस्तावेज सम्प्रेषित करने के लिए कह सकता है जो कि रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा दाखिल किये गये किन्हीं दस्तावेजों अथवा उसके कामकाज के सम्बन्ध में वह अपेक्षित करे।

रजिस्ट्रार द्वारा अध्यपेक्षा की तामील की तिथि से कम से कम दो सप्ताह की समय-सीमा अनुज्ञातकी जायेगी। ऐसी अध्यपेक्षा की तामील होने पर सभापति, सचिव अथवा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति कर्तव्यबद्ध हो जायेगा कि अपेक्षित सूचना अथवा दस्तावेज भेज दिये जाएँ।

23. लेखा-परीक्षा-(1) धारा 4 की उपधारा (2) अथवा धारा 22 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप से आदेश देकर किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष से सम्बन्धित अपना लेखा अथवा प्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति, जिसे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से सम्परीक्षित किया गया हो, प्रेषित करने की अपेक्षा कर सकता है:

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, सोसाइटी के अनुरोध पर उसे ऐसे लेखा और विवरण को उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्परीक्षा कराने की उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में सन्दर्भित दस्तावेजों को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार समय-समय पर अनुमति प्रदान करे, प्रेषित करने में विफल होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष से सम्बन्धित लेखा की लेखा-परीक्षा करवा सकता है और ऐसी लेखा-परीक्षा का खर्च उस सोसाइटी से वसूल सकता है।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा किए जाने के लिए अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेज को उपलब्ध कराने से उपेक्षा अथवा इंकार करती है, अथवा रजिस्ट्रार की राय में, लेखा-परीक्षा करने के लिए सम्यक् व्यय के साथ अपेक्षित अन्यथा सहूलियतें प्रदान करने में विफल होती है, तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है। (1975 का उ0प्र0 अधिनियम सं0 62)।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 12 द्वारा - देखें टिप्पणी-1, धारा 21।

‘ ‘23. लेखा-परीक्षा-(1) धारा 4 की उपधारा (2) अथवा धारा 22 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप से आदेश देकर किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष से संम्बन्धित अपना लेखा अथवा प्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति, जिसे एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से सम्परीक्षित किया गया हो, प्रेषित करने की अपेक्षा कर सकता है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, सोसाइटी के अनुरोध पर, उसे ऐसे लेखा और विवरण को उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्परीक्षा कराने की उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में सन्दर्भित दस्तावेजों को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार समय-समय पर अनुमति प्रदान करे,प्रेषित करने में विफल होती है, तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष से सम्बन्धित लेखा की लेखा-परीक्षा करवा सकता है और ऐसी लेखा-परीक्षा का खर्च उस सोसाइटी से वसूल सकता है।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा किये जाने के लिए अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेज को उपलब्ध कराने से उपेक्षा अथवा इंकार करती है, अथवा रजिस्ट्रार की राय में लेखा-परीक्षा करने के लिए, सम्यक् व्यय के साथ अपेक्षित अन्यथा सहूलियतें प्रदान करने में विफल होती हैं, तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

टिप्पणी

उ0 प्र0 संशोधन-यह धारा रजिस्ट्रार को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदत्त करती है और वह कतिपयपरिस्थितियों में किसी सोसाइटी से अपने लेखा और प्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से सम्परीक्षित कराके सम्प्रेषित करने के लिए अपेक्षित कर सकता है।यदि सोसाइटी सम्यक् रूप से सम्परीक्षित लेखा रजिस्ट्रार को उसके द्वारा अनुज्ञात की गई समय-सीमा के भीतर सम्प्रेषित करने में विफल होती है तो रजिस्ट्रार स्वयं ही लेखों की सम्परीक्षा करवा सकता है,

इस अधिनियम (उ0 प्र0 संशोधन) की धारा 24 के अधीन कार्यवाही कर सकता है अर्थात् सोसाइटी के

कामकाज का अन्वेषण करवा सकता है, बाद में धारा 12-घ (उ0 प्र0 संशोधन) के अधीन कार्यवाही करसकता है अर्थात् सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है अथवा विधि के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13-ख (उ0 प्र0 संशोधन) के अधीन सोसाइटी का विघटन करवा सकता है।

24. किसी सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण-(1) जहाँ धारा 22 केे अधीन अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना पर, अथवा धारा 23 की उपधारा (3) में सन्दर्भित परिस्थितियों में रजिस्ट्रार की यह राय है कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कामकाज का संचालन इस तरह से किया जा रहा है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहे हैं अथवा कि सोसाइटी अथवा उसका शासी निकाय जिसका कोई भी नाम हो सकता है, अथवा कोई अधिकारी जो सोसाइटी का वास्तविक प्रभावी नियंत्रण रखता हो,उसके कामकाज का कुप्रबन्ध करने अथवा वैश्वासिक अथवा अन्य सदृश बाध्यताओं के किसी भंग का दोषी है, तो रजिस्ट्रार या तो इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त

किसी व्यक्ति के माध्यम से सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण अथवा अन्वेषण अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबन्धित किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किएजाने पर सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी लेखा पुस्तक और सोसाइटी के अन्य अभिलेख अथवा उससे सम्बन्धित अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में हों, को प्रस्तुत करे और ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के सम्बन्ध में हर तरह की मदद करे।

(3) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी को बुला सकता है और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण कर सकता है और बुलाए जाने पर प्रत्येक अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का यहकर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षण के लिए उसके समक्ष उपस्थित हों।

(3-अ) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति, यदि उसकी राय में निरीक्षण अथवा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा जरूरी है, तो सोसाइटी की लेखा-पुस्तिका सहित कोई अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण कर सकता है।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिलेखों को अभिग्रहण किया जाता है ऐसे अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी प्रतियाँ बनाने का हकदार होगा।

(4) निरीक्षण अथवा अन्वेषण, जैसा कि मामला हो, की समाप्ति पर निरीक्षण अथवा अन्वेषण केलिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, अपने निरीक्षण अथवा अन्वेषण के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देगा।

(5) ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के बाद रजिस्ट्रार सोसाइटी को यथा-विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किन्हीं कमियों अथवा अनियमितताओं को दूर करने के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने में की गई चूक की स्थिति में, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 12-घ अथवा 13-ख, जैसा कि मामला हो, के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश-(1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 12 द्वारा प्रति स्थापित या अन्तःस्थापित अथवा प्रभावी)।

‘ ‘24. किसी सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण-(1) जहाँ धारा 22 के अधीन अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना पर, अथवा धारा 23 की उपधारा (3) में सन्दर्भित परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार की यह राय है कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कामकाज का संचालन इस तरह से किया जा रहा है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहे हैं अथवा कि सोसाइटी अथवा उसका शासी निकाय जिसका कोई भी नाम हो सकता है अथवा उसका कोई अधिकारी जोसोसाइटी का वास्तविक नियंत्रण रखता हो, उसके कामकाज का कुप्रबन्ध करने अथवा वैश्वासिक अथवा अन्य सदृश्य बाध्यताओं के किसी भंग का दोषी है, तो रजिस्ट्रार या तो स्वयं या तो इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण अथवा अन्वेषण अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबन्धित किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किये जाने पर सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी लेखा-पुस्तक और सोसाइटी के अन्य अभिलेख अथवा उससे सम्बन्धित अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में हों, को प्रस्तुत करेऔर ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के सम्बन्ध में हर तरह की मदद करे।

(3) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी को बुला सकता है और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण कर सकता है, और बुलाए जाने पर प्रत्येक अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षण के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो।

(3-अ) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति, यदि उसकी राय में निरीक्षण अथवा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा जरूरी है, तो सोसाइटी की लेखा पुस्तिका सहित कोई अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण कर सकता है।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिेखों को अभिग्रहण किया जाता है, ऐसे अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उनकी प्रतियाँ बनाने का हकदार होगा।

(4) निरीक्षण अथवा अन्वेषण, जैसा कि मामला हो, की समाप्ति पर, निरीक्षण अथवा अन्वेषण केलिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति; यदि कोई हो, अपने निरीक्षण अथवा अन्वेषण के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देगा।

(5)ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के बाद रजिस्ट्रार, सोसाइटी को अथवा उसके शासी निकाय कोअथवा उसके किसी अधिकारी को, यथा-विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किन्हीं कमियों अथवा अनियमितताओं को दूर करने के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने में की गई चूक की स्थिति में, रजिस्ट्रार धारा 12-घ अथवा धारा13-ख, जैसा कि मामला हो, के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है। ‘ ‘

उ0 प्र0 संशोधन-जहाँ कोई सोसाइटी-

- इस तरह से संचाति की जाती है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल होते

हों; अथवा

- कुप्रबन्धित होती है; अथवा

- सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा

(i)वैश्वासिक भंग; अथवा

(ii)सदृश बाध्यताओं के भंग द्वारा क्षतिग्रस्त होती है;

- वहाँ रजिस्ट्रार को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह;

- सोसाइटी के कामकाज;

- अन्वेषण; अथवा

- सोसाइटी के किसी संस्था का निरीक्षण करे;

- शपथ के आधार पर सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का परीक्षण करने के लिए

उसे बुलाए।

- सोसाइटी के लेखा-पुस्तक सहित किन्हीं अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण करे।

- किसी कमी या अनियमितता को दूर करने के लिए कोई निर्देश दे, जिसे न करने पर रजिस्ट्रार धारा

12-घ अथवा 13-ख के अधीन कार्यवाही करसकता है।

25. पदाधिकारियों के चुनाव से सम्बन्धित विवाद-1;(1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रार द्धारा अथवा उ0 प्र0 में रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कम से कम एक-चैथाई सदस्यों द्वारा सन्दर्भन किए जाने पर, ऐसी सोसाइटी के पदाधिकारी के चुनाव अथवा उसके पद पर बने रहने से सम्बन्धित किसी संशय अथवा विवाद की सुनवाई कर सकता है और सारभूत ढंग से निर्णय कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

परन्तु यह कि किसी पदाधिकारी का चुनाव अपास्त कर दिया जाएगा जहाँ विहित प्राधिकारी यह सन्तुष्ट हो जाता है कि-

(क) कि ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई ट्रस्ट आचारण किया गया है; अथवा

(ख) कि किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित ढंग से अस्वीकार किया गया है; अथवा

(ग) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक कि वह ऐसे पदाधिकारी से सम्बन्ध रखता है, नाम निर्देशन का अनुचित प्रतिग्रहण द्वारा अथवा किसी मत का अनुचित ग्रहण, इंकार अथवा अस्वीकृति द्वारा अथवा किसी ऐसे मत को ग्रहण करके जो कि शून्य है अथवा सोसाइटी के किन्हीं नियमों के उपबन्धों का कोई अनपुपालन करके तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है।2

स्पष्टीकरण-।-किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण किया हुआ समझा जाएगा जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः स्वयं द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा-

(ii) कपट, साशय दुव्र्यपदेशन, प्रपीड़न अथवा क्षति की धमकी द्वारा किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने या किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से विरत होने अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है;

(ii) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से विरत करने के लिए उत्प्रेरित करने की, अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से कोई धन अथवा मूल्यवान प्रतिफल अथवा कोई स्थान या रोजगार का प्रस्ताव करता है या देता है, अथवा व्यष्टिगत फायदा अथवा किसी व्यक्ति के लाभ का कोई आश्वासन देता है;

(iii) खण्ड (i)और खण्ड (ii)में विनिर्दिष्ट कार्याेंं में से किसी को किए जाने को (भारतीय दण्डसंहिता के अर्थ के भीतर) दुष्प्रेरित करता है;

(iv) किसी उम्मीदवार अथवा मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने के लिए प्रयास करता है कि वह अथवा कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध हो, दैवी अप्रसाद अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा की वस्तु बन जाएगा या हो जाएगा;

(v) जाति, समुदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संयाचना करता है;

(vi) ऐसा अन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण होने के लिए विहित करे।

स्पष्टीकरण-II व्यष्टिगत फायदा या किसी व्यक्ति को लाभ के आश्वासन में वह आश्वासन भी शामिल है जो उस व्यक्ति स्वयं को लाभ के लिए, अथवा किसी उस व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध हो,को लाभ के लिए दिया जाए।

स्पष्टीकरण-III(1) राज्य सरकार ऐसे चुनाव के सम्बन्ध में संशयों अथवा विवादों के बारे में सुनवाई करने और निर्णय देने की प्रक्रिया विहित कर सकती है और ऐसे चुनावों से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के बारे में प्रावधान बना सकती है जिसके लिए इस अधिनियम में अथवा सोसाईटी के नियमों में अपर्याप्त उपबन्ध विद्यमान हैं।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा, कोई चुनाव अपास्त कर दिया जाता है अथवा किसी प्राधिकारीका हक अपने पद पर बने रहने के लिए नहीं रह जाता है अथवा जहाँ रजिस्ट्रार यह सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का कोई चुनाव उस सोसाइटीके नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं कराया गया है, तो वह ऐसे पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए ऐसी सोसाइटी के साधारण निकाय की एक बैठक बुला सकता हैऔर ऐसी बैठक का रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सभापतित्व किया जाएगा और उसे संचालित किया जाएगा, और बैठकों और चुनावों से संबंधित सोसाइटी के नियमों में विद्यमान उपबन्ध आवश्यक उपान्तरों के साथ ऐसी बैठक और चुनाव पर लागू होंगे।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई बैठक बुलाई जाती है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो सोसाइटी का पदाधिकारी होने का दावा करता हो, चुनाव के प्रयोजन लिए कोई अन्य बैठक नहीं बुलाई जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘‘विहित प्राधिकारी ‘ ‘ अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है कोई अधिकारी अथवा न्यायालय जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

26. अनुपालन किया जाने वाला दान का निबन्धन-जहाँ कोई सोसाइटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से कोई दान अथवा धन या किसी तरह की सम्पत्ति अधिग्रहीत करती है,तो यह दान में दिए गए या संदान किए गए किसी धन अथवा अन्य सम्पत्ति या उसके किसी भाग का उपयोग रजिस्ट्रार की लिखित सम्मति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगी, जो (रजिस्ट्रार)यह सन्तुष्ट हो जाने पर ही कि वह प्रयोजन जिसके लिए दान दिया गया था सोसाइटी द्वारा निष्पादन किए जाने के लिए अशक्य है, पर ही सम्मति देगा अन्यथा उसे देने से इंकार कर देगा।

26. शास्तियाँ-कोई व्यक्ति जो-

(क) प्रबन्ध निकाय की सूची या धारा 4 के अधीन अथवा धारा 4-क के अधीन सम्प्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना सम्प्रेषित करने में विफल होता है अथवा उक्त धारा 4 अथवा धारा 4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली सूची में अथवा उससे, अथवा नियमों के अथवानियमों के परिवर्तन के किसी विवरण अथवा प्रति अथवा अन्य सूचना में अथवा उससे जान-बूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि अथवा लोपन करता है अथवा करवाता है;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) में सन्दर्भित किसी लेखा अथवा विवरण को जान-बूझकर नही ंभेजता अथवा उक्त धारा का अनुपालन करते हुए ऐसी प्रविष्टियाँ सम्प्रेषित करता है तो मिथ्या है और जिसे वह या तो जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, अथवा यह विश्वास नहीं करता है कि वे सत्य हैं;

(ग) धरा 23 की उपधारा (2) द्वारा यथा-अपेक्षित अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेजों को लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध करने की अपेक्षा करता है अथवा उसे इंकार करता है;

(घ) धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित किसी लेखा-पुस्तिका अथवा अन्य अभिलेखों को जान-बूझकर प्रस्तुत नहीं करता है;

(ड.) रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष जान-बूझकर उपस्थित नहीं होता अथवा धारा 24 की उपधारा (3) के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करता है; वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है।

27. प्रक्रिया-इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायालय से अवर किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस निमित्त साधारण अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर ही ऐसे अपराध का संज्ञान किया जाएगा अन्यथा नहीं।

28. अपराधों का शमन-(1) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 27 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है अथवा जिसके विरूद्ध उस धारा के अधीन एक अभियोजन संस्थापित किया गया है, उस अपराध के लिए समन फीस के रूप में कोई धनराशि अभिग्रहण कर सकता है जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति पर संदेह किया गया है अथवा जिसे उसके द्वारा किए जाने के लिए अभिवाक् किया गया है।

(2) ऐसी समन फीस की अदायगी करने पर, संदिग्ध व्यक्ति यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचितकर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, और यदि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन संस्थापित किया गया है तो यह समन उसकी दोषमुक्त का प्रभाव रखेगा।

30. फीस की अदायगी का तरीका-इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस ऐसे तरीके सेसंदत्त की जाएगी जैसा कि नियमों में विहित किया जाए।

31. क्षतिपूर्ति-सद्भावपूर्वक किए गए अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आशयित किए गए कार्य के लिए, राज्य सरकार के विरूद्ध, रजिस्ट्रार अथवा धारा 24 के अधीन निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी।

32. रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस आदि तामील करने का ढंग-(1) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला किसी सोसाइटी अथवा उसके शासी निकाय से सम्बन्धित कोई नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा उस सोसाइटी के सचिव को तामील किया जा सकता है, और सचिव को इस प्रकार से तामील किया जाना उसी तरह से प्रभावी होगा मानों उसे, उस सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य अथवा जैसा कि मामला हो, उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को तामील किया गया हो, जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देशित न करे।

(2) ऐसे नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके सचिव को प्रेषित किया जाना, उसका सोसाइटी को पर्याप्ततः तामील किए जाने के समान होगा।

33. नियमों को बनाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना करके इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उन्हें बनाए जाने के बाद यथा शीघ्र, राज्यविधान मण्डल के दोनों सदनों में, जब उनका सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो उसके एक अथवा एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो, रखे जाएँगे और जब तक कि कोई पश्चातवर्ती तिथि नियत न की जाए, और ऐसे उपान्तरण में अथवा बालितीकरणों के अधीन रहते हुए,जैसा कि विधान मण्डल के दोनों सदनों, उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा उपान्तरण अथवा बालितीकरण उसके अधीन पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया हो, उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से, प्रभावी होंगे।

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत/नवीनीकृत की जाने वाली संस्थाओं से प्राप्त किए जाने वाला प्रपत्रों तथा फीस इत्यादि की सूचना।

1. नयी पंजीकृत की जाने वाली संस्थाओं/सोसाइटियों के प्राप्त प्रपत्रों तथा फीस का विवरण:-

1. संस्था/सोसाइटी को पंजीकरण करने हेतु संबंधित जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय को संबोधित, प्रस्तावित संस्था /सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा, प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र।

सोसाइटी पंजीकरण फीस रू0 5500 ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करा करके, चालान की एक मूल प्रति (शासनादेश सं0 04(1)/XXVII(6)-चार- 1545-2006/2015 के द्वारा, निर्धारित की गयी है।)

2. सोसाइटी पंजीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह फीस रू0 50 (शासनादेश सं0 04(1)/XXVII(6)-चार- 1545-2006/2015 के द्वारा, निर्धारित की गयी है।) इस श्रेणी के सोसाइटियों के पंजीकरण हेतु, प्रपत्रों को संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से संस्तुत कराने के उपरांत ही प्रपत्रों को संबंधित कार्यालय में, प्रस्तुत किया जाएगा।

3. अधिनियम की धारा 1 तथा 20 के अन्तर्गत उल्लेखित उद्देश्य, सोसाइटी का नाम, पता, कार्यक्षेत्र, प्रबन्ध समिति/शासी निकाय के पदाधिकारियों/सदस्यों के नामों, पतों, पदनाम तथा व्यवसायों का विवरण, एवं सोसाइटी के कुल सदस्यों, जो कि 7 से कम न हो के नाम, पतों एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरों सहित सोसाइटी को गठन करने की घोषणा के विवरण को अंकित करते हुए, टंकित स्मृति पत्र-2 प्रति।

4. अधिनियम के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत, सोसाइटी को संचालित किए जाने वाले नियमों को अंकित करते हुए, सोसाइटी की नियमावली/बाईलाॅज की टंकित प्रति-2 प्रति सचिव तथा दो अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर सहित।

5. सोसाइटी के पंजीकृत पते एवं स्मृति पत्र में अंकित समस्त सदस्यों के अंकित किए गए पते के फोटों युक्त स्वप्रमाणित प्रमाण।

6. सोसाइटी के कुल सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित सोसाइटी के नाम एवं उद्देश्यों सहित गठित किए जाने का पारित टंकित प्रस्ताव।

7. विभाग के द्वारा, निर्धारित कुल 13 बिन्दुओं का अध्यक्ष/सचिव के द्वारा स्व हस्ताक्षरित एवं स्वघोषित शपथ पत्र/प्रमाण-पत्र।

8. सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत, नामांकन करते हुए, सोसाइटी का नाम, पता तथा लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर सहित नामांकन प्रपत्र।

9. संस्था के पंजीकृत पते का एक साक्ष्य बिजली का बिल/अनापŸिा पत्र/किरायानामा आदि।

10. संस्था यदि आवासीय समिति है तो संस्था के उद्देश्यों में यह सम्मिलित किया जाए कि:-

"संस्था आवासीय समिति के अन्तर्गत, आने वाले सभी निवासियों के कल्याणार्थ समान रूप से कार्य करेगी" ।

11. संस्था का नाम तथा उद्देश्य ऐसे न हो जिससे सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निकाय आदि होने का बोध होता हो या अभिव्यक्ति होती हो अथवा उसके समान नाम की अन्य कोई सोसाइटी पूर्व में पंजीकृत हो।

12. उपरोक्त समस्त प्रपत्रों तथा फीस को प्राप्त करने के उपरांत, उनका परीक्षण कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत, परीक्षण के उपरांत प्रपत्रों के नियमानुसार पाने के उपरांत, सोसाइटी/मंगल दल/समूह के पंजीकरण प्रमाण-पत्र संबंधित सोसाइटी का प्रेषित कर दिया जाता है। प्रपत्रों में कोई कमी पाए जाने की दशा में कमियों को अंकित करते हुए, एक आपŸिा पत्र, संबंधित प्रस्तावित सोसाइटी/मंगल दल/समूह के पंजीकृत पते पर प्रेषित किया जाता है।

13. विभाग की वेबसाईट-**http://164.100.146.39/society/**पर आवेदन पत्र, स्मृति पत्र नियमावली आदि का प्रारूप डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध है तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 तथा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 भी उपलब्ध है।

14. पंजीकरण किए जाने वाले प्रकरण की प्रकृति के अनुसार, रजिस्ट्रार द्वारा, धारा-3 के अन्तर्गत कुछ अन्य सूचनाएं भी मांगी जा सकती है।

2. सोसाइटी/संस्थाओं के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रपत्रों तथा फीस इत्यादि का विवरण:-

1. संस्था/सोसाइटी को पंजीकरण करने हेतु, संबंधित जनपद के डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय को संबोधित, प्रस्तावित संस्था/सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा, प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र।

2. संस्था/सोसाइटी का पिछला मूल पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

3. निर्धारित विधिमान्यता की तिथि पर, नवीनीकरण करने हेतु नवीनकरण फीस रू0 1000 आनलाॅईन चालान (शासनादेश सं0 04(1)/XXVII(6)-चार-1545-2006/2015, दिनांक 27 अगस्त 2015 के द्वारा, निर्धारित की गयी है।)

4. निर्धारित समय पर नवीनकरण हेतु प्रपत्रों को जमा न कराए जाने की दशा में, विधिमान्यता की तिथि से एक माह के अन्दर कोई विलम्ब् शुल्क देय नहीं है। एक माह के उपरांत, प्रथम माह में रू0 200 तथा अनुवर्ती माहों में 100 रुपये प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगी। (शासनादेश सं0 04(1)/XXVII(6)-चार-1545-2006/2015 के द्वारा, निर्धारित की गयी है।) यह शुल्क भी आनलाॅईन चालान के माध्यम से देय होगा।

5. पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा नवीनीकरण प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के एक वर्ष के उपरांत संबंधित सोसाइटी अधिनियम की धारा 3क(5) के अन्तर्गत, अपंजीकृत श्रेणी में हो जाएगी। एक वर्ष के उपरान्त, नवीनीकरण हेतु आवेदन हेतु आवेदन करने पर, नवीनीकरण अनुमति शुल्क रू0 800/- आनलाॅईन चालान (शासनादेश सं0 04(1)/XXVII(6)-चार-1545-2006/2015, के द्वारा, निर्धारित की गयी है।)

6. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4 एवं 4क के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक पंजीकृत की गयी सोसाइटी के द्वारा, शासी निकाय के पदाधिकारी/सदस्यों के नाम, पतों , पदनाम तथा व्यवसायों को अंकित करते हुए एक सूची यदि कोई परिवर्तन है तो भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित अपने-अपने आडिटेड आय-व्यय विवरणों को शासी निकाय से सचिव तथा 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करके, संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा किए जाने का प्राविधान है। यदि किसी सोसाइटी के द्वारा, उक्त विवरणों के प्रत्येक वर्ष जमा नहीं कराया गया है तो नवीनीकरण के समय इन समस्त प्रपत्रों को, आवेदन के साथ विलम्ब शुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

7. सोसाइटी की चयनित प्रबन्ध समिति के गठन की चुनाव कार्यवाही तथा यदि कोई रिक्त स्थान की पूर्ति की गयी हो, उस कार्यवाही की मूल कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कार्यवाही की छाया प्रति तथा एक टंकित प्रति शासी निकाय के तीन सदस्यों के हस्ताक्षरों के सत्यापित करा करके प्रस्तुत किया जाएगा।

8. यदि सोसाइटी के द्वारा, पंजीकरण के समय सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय के पते तथा पदाधिकारी/सदस्यों के पते के प्रमाणों को नहीं प्रस्तुत किया गया है तो सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण तथा पदाधिकारी/सदस्यों के स्व प्रमाणित फोटोयुक्त पते के प्रमाण। यदि पदाधिकारियों/सदस्यों की सूची में कोई परिवर्तन किया गया हो, तो नवीनतम अन्तिम सूची के पदाधिकारी/सदस्यों के पतो ंके स्वप्रमाणित फोटोयुक्त पते के प्रमाण।

9. सोसाइटी को समस्त óोतों के प्राप्त देशी अथवा विदेशी दान/अनुदान का स्वहस्ताक्षरित/स्व प्रमाणित शपथ पत्र तथा उक्त शपथ पत्र में सोसाइटी में चल रहे किसी विवाद अथवा सोसाइटी को काली सूची में डाले जाने का विवरण इत्यादि का विवरण (यदि कोई हो तो) का उल्लेख किया जाएगा।

10. सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत नामांकन करते हुए सोसाइटी का नाम, पता तथा लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर सहित नामांकन प्रपत्र यदि पंजीकरण के समय सोसाइटी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है।

11. प्रकरण की प्रकृति के अनुसार, रजिस्ट्रार द्वारा कुछ अन्य सूचनाएं भी मांगी जा सकती है।

12. उपरोक्त समस्त प्रपत्रों तथा फीस को प्राप्म करने के उपरान्त उनका परीक्षण कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 3क के अन्तर्गत, परीक्षण के अन्तर्गत, परीक्षण के उपरांत सोसाईटी/मंगल दल/समूह के पंजीकरण को नवीनीकृत करते हुए, नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है। प्रपत्रों में कोई कमी पाए जाने की दशा में कमियों को अंकित करते हुए एक आपÝि◌ा पत्र, संबंधित प्रस्तावित सोसाइट/मंगल दल/समूह के पंजीकृत पते पर प्रेषित किया जाता है। अपंजीकृत सोसाइटी की नवीनीकरण अनुमति हेतु विगत वर्षों में किए गए क्रिया कलापों की जाँच किए जाने हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 22 एवं 24 के अन्तर्गत, मूल कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कैश बुक, लेजर बुक इत्यादि की जाँच की जा सकती है। जाँच के उपरान्त, क्रिया कलापों से सही एवं संतोषजनक पाए जाने की दशा सोसाईटी को नवीनीकरण की अनुमति दिए जाने के बारे में विचार किया जा सकता है। अपंजीकृत सोसाइटी को नवीनीकरण अनुमति दिए जाने की दशा में, बिन्दु सं0 3 एवं 4 में उल्लेखित अतिरिक्त फीस को जमा कराने की सूचना, संबंधित सोसाइटी को दी जाती है।

नोट: टाइपिंग त्रुटि हो सकती है अतः नियमावालियों/शासनादेशों/एक्ट को मूल प्रकाशनों से मिलान करना

आवश्यक होगा।

<u>सोसाइटी पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र</u>

मूल्य रू0 50/-

पंजीकरण हेतु प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रार्थना-पत्र/ कम्प्यूटर डाटा शीट

1. संस्था का नाम (हिन्दी में) - .....

2. संस्था का पता (हिन्दी में) - .....

3. प्रस्ताव का तिथि
(संलग्न प्रारूप के अनुसार)

4. कार्यक्षेत्र - क्षेत्रीय/जनपदीय/राज्य स्तरीय/अखिल भारतीय

5. फीस - चालान द्वारा

6. चालान संख्या तथा दिनांक

7. जारी करने वाले बैंक का नाम/
चालान जमा करने का स्थान

8. देय बैंक का नाम

9. प्रबन्धकारिणी समिति के मुख्य पदाधिकारी (स्मृति पत्र के बिन्दु सं0 5 के अनुसार)

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पता	व्यवसाय
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

10. आवेदन कर्ता का नाम व पदनाम

12. गणपूर्ति - नियमावली के अनुसार

11. सदस्यता का वर्ग - सामान्य/विंशिष्ट/आजीवन/संरक्षक/पदेन सदस्य

13. खाते का (पदनाम) .....

संचालन 1.
2.
3.

14. सदस्यता की समाप्ति -मृत्यु, दिवालिया होने पर पागल होने पर, त्याग पत्र देने पर,शुल्क न देने पर , संस्था विरोधी कार्य करने पर।

15. कार्य समिति का कार्यकाल

16. संस्था का प्रकार- धर्मार्थ/वैज्ञानिक/साहित्यिक/ललित कला/शैक्षिक/उपयोगी जानकारी के प्रसार/ राजनीतिक शिक्षा के प्रसार/क्लब/सांस्कृतिक/राजकीय/जलागम/सामान्य/

ऐतिहासिक/ग्रामीण विकास/मंगल दल आदि

17. अगले चुनाव की तिथि

उपरोक्त विवरणानुसार सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु निम्न संलग्नक सहित प्रपत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं यह भी प्रमाणित किया जाता कि उपरोक्त तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सत्य व सही है।

दिनांक

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

संलग्नक-
1. स्मृति पत्र- दो प्रतियां
2. नियमावली- दो प्रतियां
3. स्वप्रमाणित/स्वघोषित अथवा नोटरी शपथपत्र- एक प्रति
4. शुल्क चालान द्वारा - नम्बर, दिनांक एवं धनराशि
6. प्रस्ताव की संलग्न प्रतिया की संख्या - दो प्रतियां
7. संस्था के पंजीकृत कार्यालय का पता, साक्ष्य तथा अनापŸिा प्रमाण पत्र
8. सदस्यों के पता साक्ष्य तथा फोटो ग्राफ, स्व हस्ताक्षरित किया गया

कार्यालय उपयोग हेतु

1. पंजीकरण सं0-

2. पत्रावली सं0 -

3. फीस रसीद/बैंक ड्राफ्ट/चालान सं0 -

शपथ पत्र

समक्ष -उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, 3/23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड देहरादून।

1. यह कि मेरा नाम .... पुत्र श्री...पता -... संस्था .... का अध्यक्ष/सचिव हूँ।

2. मेरी जानकारी में इस नाम की संस्था पूर्व में पंजीकृत नहीं है अगर पंजीकृत पायी जाती है तो मैं इस संस्था के नाम परिवर्तन की कार्यवाही करूंगा।
3. स्मृति पत्र तथा नियमावली में दिये गये विवरण एवं किये गये हस्ताक्षर सभी सही हैं।
4. स्मृति पत्र तथा नियमावली मूल रजिस्टर की ही सत्यप्रतिलिपि है।
5. स्मृति पत्र तथा नियमावली की सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को जानकारी है।

6. समिति में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। .....

7. स्मृति पत्रतथा नियमावली में कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

8. स्मृति पत्रतथा नियमावली में किये गये संशोधनों की सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को जानकारी है।

9. संस्था के समस्त उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसार पूर्णरूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होगें।

10. संस्था धारा 1 व 20 में वर्णित .....प्रयोजनार्थ पंजीकृत की जारही है।

11. संस्था द्वारा लाभ के उददेश्य से कार्य नहीं किया जायेगा। संस्था द्वारा स्मृति पत्र में वर्णित उददेश्यों के अनुसार साहित्यिक, वैज्ञानिक या धमार्थ कार्य किये जायेगें।

12. इस समिति को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व विदेश से कोर्स दान मिलना प्रस्तावित नही है यदि शासकीय से ऐसा कोई अनुदान संस्था को मिलता है तो उसकी सूचना उपनिबन्धक कार्यालय को दी जाएगी तथा उसका उल्लंघन आय-व्यय लेखों से किया जाएगा।

13. विदेश से प्राप्त होने वाले अनुदान/दान हेतु थ्ण्ब्ण्त्ण्। में पंजीकरण कराया जाएगा।

शपथकर्ता

सत्यापन

इस शपथ पत्र की क्रम संख्या 1 से लेकर 11 तक मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं। कोई भी बात छुपाई नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्ता

नोट:- शपथ पत्र अध्यक्ष अथवा सचिव में से किसी एक के द्वारा दिया जाना चाहिये तथा स्वप्रमाणित/ स्वहस्ताक्षरित नोटरी होना चाहिये।

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम (हिन्दी में) -

2. संस्था का पूरा पता (हिन्दी में) -

3. संस्था का कार्यक्षेत्र - क्षेत्रीय/समस्त उत्तरांचल/भारत

4. संस्था का उद्देश्य - संस्था के सभी उद्देश्य चेरिटेबिल तथा अव्यवसायिक है। संस्था केाई राजनैतिक ट्रेड यूनियन तथा संघ की गतिविधियां संचालित नहीं करेगी।

I)पूर्त (Charitable)प्रयोजन के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

II)विज्ञान, साहित्य या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये शिक्षण के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

III) उपयोगीजानकारी के प्रसार, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

IV) सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिए या जनता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण के लिए कार्य करेंगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(सभी पदाधिकारियो/सदस्यों के हस्ताक्षर)

V) रंग चित्रांे और कला कृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

VI) नैसर्गिक (Natural)इतिहास के संकलन के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

VII) यांत्रिक(Mechanical) तथा दार्शनिक(Philosophical) अविष्कारों, दस्तावेजों या अभिकल्पनाओं के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

VIII) संस्था खादीएवं ग्रामोद्योग, पंचायत उद्योग एवं ग्राम्य विकास के लिये कार्यकरेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

संस्था के उपरोक्त सभी उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसारपूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होगें तथा यूनियन, ट्रेड यूनियन, राजनैतिक व संघीय गतिविधियां संचालित नहीं करेगी।

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद, तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक ..... सत्य प्रतिलिपि (सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम सहित)

नोट:- प्रबन्धकारिणी में कम से कम 07 पदाधिकारियों/सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर नाम, पद सहित होने आवश्यक है। सभी प्रपत्र मोटे/अच्छे कागज पर एक ओर टंकित होने चाहिए। यदि संस्था अवासीय समिति है तो यह उद्देश्य सम्मिलित किया जाए - "संस्था आवासीय समिति के अन्तर्गत आने वाले सभी निवासियों के कल्याणार्थ समान रूप से कार्य करेगी "।

नियमावली

1. संस्था का नाम (हिन्दी में) -

2. संस्था का पूरा पता (हिन्दी में) -

3. संस्था का कार्यक्षेत्र - क्षेत्रीय/समस्त उत्तरांचल/भारत

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

(क)आजीवन सदस्य

.....
.....
.....आजीवन सदस्य कहलायेगा।

(ख) विशिष्ट सदस्य-

.....
..... विशिष्ठ सदस्य कहलायेगा।

(ग) सामान्य सदस्य-

.....
..... सामान्य सदस्य कहलायेगा।

सदस्यता की समाप्ति:- निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(क) मृत्यु हो जाने पर ।
(ख) पागलपन हो जाने पर ।
(ग) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
(घ) दिवालिया होने पर।
(ड) सदस्यता शुल्क न देने पर।
(च) संस्था विरोधी कार्य करने पर।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियेां के हस्ताक्षर)

5. संस्था के अंग:- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभा:-

(अ) गठन:- सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा को गठन होगा।

(ब) बैठकें:- सामान्य बैठक वर्ष में ..... बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर .....बार/कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि:-सामान्य बैठक हेतु ..... दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा बिशेष बैठक हेतु ..... दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(ग) गणपूर्ति:- बैठक हेतु ..... सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(य) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि:- विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में ..... बहुमत से तय की जायेगी।

(र) साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।

प्रबन्धकारिणी समितिः-

(अ) गठनः-साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा ..... सदस्य होंगे।

(ब) बैठकः- सामान्य बैठक वर्ष में ..... बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधिः-सामान्य बैठक हेतु .....दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा बिशेष बैठक हेतु ..... दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) गणपूर्तिः-बैठक की गणपूर्ति हेतु ..... पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्तिः- ..... पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानो की पूर्ति कर सकेगी।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियेां के हस्ताक्षर)

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार:- संस्था के सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनायें तैयार करना, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति, दान-अनुदान स्वीकार करना।

(ल) कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल .....वर्ष होगा।

7. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः-

(क) अध्यक्ष/ः:- प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/ अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करवाना आदि।

(ख) उपाध्यक्ष/.....:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना।

(ग) सचिव/ः:- कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टड एकाउन्टेन्ट से आडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध न हो।

(घ) कोषाध्यक्ष/.....:- संस्था के कोष का रखरखाव तथा खाते का संचालन करना।

(ड़) सदस्य:- प्रबन्धकारिणी में ..... सदस्य होंगे जो कोरम की पूर्ति करेगें व पदाधिकारियों को संस्था के कार्यो में सहायोग करेगें।

8. संस्था के नियम/विनियमों में सं◌ा◌ोघन की प्रक्रियाः-संस्था के विधान में परिर्वतन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिर्वतन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4ए तथा नियम 5 के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संशोधित नियमावली प्रस्तुत की जायेगी। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

9. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):- संस्था को कोष किसी बैक अथवा डाकघर में रखा जायेगा।खाते से धन का आहरण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव अथवा प्रबन्धकारिणी द्वारा नामित व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।

1. प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र - प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

2. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:-आय-व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टैन्ट से करवाया जायेगा।

3. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरूद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा-6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के ..... का होगा।

4. संस्था के अभिलेख:-

(क) सदस्यता रजिस्टर।

(ख) कार्यवाही रजिस्टर।

(ग) स्टाक रजिस्टर।

(घ) कैश बुक।

(ड) रसीद बुक।

(च) ऐजेण्डा रजिस्टर आदि।

5. संस्था के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक ..... (सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियेां के हस्ताक्षर)

प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि

आज दिनांक ..... को .....(स्थान), में अधोहस्ताक्षरित व्यक्तियों ने .....(संस्था का नाम) नामक समिति के गठन का संकल्प (Resolve)निम्नलिखित उददेश्यों की पूर्ति हेतु कियागयाः-

1.....
.
2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

उक्त बैठक की अध्यक्षता श्री ..... द्वारा की गयी।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया कि उपरोक्त संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860के अन्तर्गत, उप निबन्धक, फम्र्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, में पंजीकरण कराया जाये।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नामित प्राधिकारी

.....(संस्था का नाम)

क्र0 सं0	नामित प्राधिकारी क्रम	प्राधिकारी का पदनाम	टिप्पणी
1	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
2	लोक सूचना अधिकारी		
3	अपीलीय अधिकारी		

दिनांक:

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सदस्य

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1,खण्ड(क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 मार्च,2019 ई0

फाल्गुन 16, 1940 रूक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 66 / xxxvi(3) / 2019 / 12(1) / 2019

देहरादून,07 मार्च, 2019

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल नें उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित भारतीय भागीदारी(उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2019 पर दिनांक 05 मार्च, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 05 वर्ष, 2019 के रूप में सर्व- साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2019)

उत्तराखण्ड राज्य में अपनी प्रवृति के संबंध में भारतीय अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 09 वर्ष 1932) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता हैः-

सं्क्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय भागीदारी(उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की णारा 58 निम्नवत् प्रतिस्थापितकर दी जायेगी , अर्थातः-

धारा 58 का प्रतिस्थापन **58 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**-(1) फर्म का रजिस्ट्रीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, जिसमें उस फर्म के कारोबार का कोई स्थान स्थित है या स्थित किया जाना प्रतिस्थापित है, निर्धारित आॅंानलाईन प्रारूप में और विहित फीस सहित ऐसा कथन जिसमें निम्नलिखित कथित हों, में वेबसाईट पर अपलोड करके किसी भी समय कराया जा सकेगा-

(क) फर्म का नाम,

(ख) फर्म के कारोबार का स्थान या मुख्य स्थान,

(ग) उन अन्य स्थानों के नाम जिनमें फर्म कारोबार चलाती है,

(घ) वह तारीख जिसको हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ,

(ड) भागीदारों के पूरे नाम और स्थायी पतें, तथा

(च) फर्म की अस्तित्वावधि।

यह कथन सब भागीदारों द्वारा या उनके ऐसे अभिकर्ताओं जो इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत हों द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) कथन को हस्ताक्षरित करनें वाला आवेदक उपधारा-(1) में वर्णित आनलाईन प्रारूप में अंकित कथनों को रू0 10/- के नाॅंन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र में सत्यापित करतें हुए वेबसाईट पर अपलोड भी करेगा।

(3) आवेदक, आॅंनलाईन आवेदन के साथ वांछित संलग्नकों को भी वेबसाईट पर अपलोड करेगा।

(4) फर्म नाम में यूनियन(संघ), स्टेट(राज्य),लैण्ड माॅंगेज(भूमि बंधक),लैण्ड डेवलपमेंन्ट (भूमि विकास), कोअपरेटिव(सहकारी),गाॅंधी रिजर्व बैंक या ऐसे शब्दो को, जिनसे सरकार की मंजूरी, अनुमोदन या प्रतिश्रय अधिव्यक्त या विवक्षित होता हो, उपयोग न किया जाएगा सिवाय जबकि राज्य सरकार में फर्म नाम के भाग स्वरूप ऐसे शब्दों के उपयोग के लिए अपनी सम्मति लिखित आदेश द्वारा दे दी हो।

(5) फर्म के रजिस्ट्रार के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण हेतु आॅंनलाईन स्वीकृति दिये जानें के उपरांत, निर्धारित फीस को आॅंंनलाईन जमा कराया जाऐगा।

(6) निर्धारित फीस को जमा कराने के उपरान्त डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त फर्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को आवेदक के द्वारा, वेबासाईट से डाउनलोड किया जा सकेगा।

3 मूल अधिनियम की धारा 67 निम्नवत् प्रतिस्थापित दी जायेगी, अर्थातः-

धारा 67 का प्रतिस्थापन **67 प्रतियों का दिया जाना**- किसी भी व्यक्ति का उसके आॅंनालाईन आवेदन पर रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की गई हो, फर्म के रजिस्ट्रर की किसी भी प्रविष्टि या उसके किसी भी भाग को अपने डिजीटल हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति देगा।

4 मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः-

धारा 68(1) का संशोधन **68 साक्ष्य के नियम** -(1) फार्मो के रजिस्टर में अभिलिखित या टिप्पणित कोई भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना उसमें कथित किसी भी तथ्य का निश्चायक सबूत उस व्यक्ति के विरूद्व होगी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा कथन, प्रज्ञापना या सूचना डिजीटल हस्ताक्षरित की गई थी ।

आज्ञा से,
डी0पी गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 66/XXXVI(3)/2019/12(1)/2019

Dated Dehradun, march 07,2019

Notification

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution of india, the governor is pleased to order the publication of the following engilish translation of **"The Indian Partnership (Uttarakhand Amendment) Act,2010'(Act No. 05 of 2019)**.

As passed by the uttarakhand legislative assembly and assented to by the governor on 05 march, 2019.

THE INDIAN PARTNERSHIP (UTTARAKHAND AMENDMENT) ACT,2019

(Uttarakhand Act No. 05 of 2019)

An

Act

Further to amend the Indian partnership act, 1932 (Act no. 09 of 1932) in its application to the state of uttarakhand.

II IS HEREBY enacted by the uttarakhand state legislative assembly in the seventieth year of the republic of india as follows:-

Short title, extent and commencement 1. (1) This Act may be called the Indian partnership (Uttarakhand amendment) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the state of uttarakhand.
(3) it shall come into force at once.

2. In the Indian partnership act, 1932, (hereinafter referred to as the principal act) section 58 shall be substituted as follows, namely-

Substitution of section 58 58. Application for registration:

(1) the registration of a firm may be effected at any time by uploading on the website following statement in the prescribed online form and accompanied with prescribed fees to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, stating –
(a) the firm name,
(b) the place or principal place of business of the firm,
(c) the name of any other place where the firm carries on business,
(d) the date when each partner joined the firm,
(e) the names in full and permanent addresses of the partners, and
(f) the duration of the firm.

The statement shall be digitally signed by all the partners or by their agents specially authorized in this behalf.

(2) The applicant, signing the statement shall also upload to the website, verifying the statement recorded in the online format mentioned in sub-section (1), verifying it in the affidavit certified by the notary on the non-judicial stamp paper of Rs. 10/-.

(3) The desired enclosure shall also be uploaded on website, by the applicant.

(4) A firm name shall not contain the word union, state, land mortgage, land development, cooperative, Gandhi, reserve bank or any of the words expressing or implying the sanction, approval or patronage of Government, except when the state Government signifies its consent to the use of such word as part of the firm name by order in writing.

(5) The prescribed fee of registration shall be submitted online after the online approval given by the registrar.

(6) After submitting the prescribed registration fee the digitally signed registration certificate may be downloaded from the website by the applicant.

3. In principal act, section 67 shall be substituted as follows, namely-

Substitution of section 67 67. Grant of copies:-

The registrar shall on online application furnish to any person, on payment of such fee as may be prescribed, a copy digitally certified under his hand of any entry or portion thereof in the register of firms.

4. In principal act, sub section (1) of section 68 shall be substituted as follows, namely-

Amendment of section 68 68. Rules of Evidence:-

(1) Any statement, intimation or notice recorded or noted in the register of firms shall, as against any person by whom or on whose behalf such statement, intimation or notice was digitally signed, be conclusive proof of any fact therein stated.

भारतीय भागीदारी अधिनियम,1932 में संशोधन किये जाने विषयक ज्ञापन

कारण एंव उद्देश्य

1 Ease of doing business के अंर्तगत वर्तमान में फम्र्स, सोसाइटीज एंव चिट्स के कार्यो को आॅनलाईन किया जा चुका है, जिस कारण वर्तमान में भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत फम्र्स के पंजीकरण से संबंधित आदि कार्यो को आॅनालाईन करते हुए पेपरलेस किये जानें एंव प्रमाण पत्र तथा दाखिल प्रपत्रो की प्रमाणित प्रतिलिपियों को उपयोगकर्ता के द्वारा अपनें स्तर से डाउनलोड किये जानें की व्यवस्था की जानी है, जिस हेतु भागीदारी अधिनियम, 1932 के कतिपय प्राविधान को संशोधित कियाा जाना आवश्यक है, जिस कारण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया ंजा रहा है।

2 प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति करता है।

प्रकाश पंत

मंत्री

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

(1932 का अधिनियम संख्यांक 9)

भागीदारी से सम्बन्धित विधि को परिभाशित

और संषोधित करने के लिए

अधिनियम

भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाशित और संषोधित करना समीचीन है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता हैः-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार 2जम्मू-कष्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत पर है।,

(3) यह सन्1932 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रव्त होगा, सिवाय धारा 69 के, जो सन्1933 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाशाएं - इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विशय या संन्दर्भ में विरूद्ध न हो-

(क) "फर्म का कार्य' ' से फर्म के सब भागीदारों या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है सिसे फर्म के द्वारा या विरूद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता हैय

(ख) "कारबार' ' के अन्तर्गत हर व्यापार, अपजीविका और वृत्ति आती हैय

(ग) "विहित' ' से इस अधिकनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैय

(घ) "पर-व्यक्ति' ' पद से जब वहा किसी फर्म या उसके किसी भागीदार के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया गया है ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फर्म में भागीदर नही हैय तथा

(ङ) उन मदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु इसमें परिभाशित नहीं हैं और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) में परिभाशित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदिश्ट हैं।

3. **1872 के अधिनियम संख्यांक 9 के उपबन्धों का लागू होना** - भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनिरसित उपबन्ध वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों से असंगत हैं, फर्मों को लागू होते रहेंगे।

अध्याय 2

भागीदारी की प्रकृति

4. **"भागीदारी' ' , "भागीदार' ' , "फर्म' ' और "फर्म नाम' ' की परिभाशा** - "भागीदारी' ' उन व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है, जिन्होंने किसी ऐसे कारबार के लाभों में अंष पाने का करार कर लिया है जो उन सब के द्वारा या उनमें से ऐसे किन्ही या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है।

वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, व्यश्टितः "भागीदार' ' और सामूहिक रूप से "फर्म' ' कहलाते हैं, और जिस नाम से उनका कारबार चलाया जाता है, वहा "फर्म नाम' ' कहलाता है।

5. **भागीदारी प्रास्थिति से सृश्ट नहीं होती** -भागीदारी सम्बन्ध संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नहीं है।

और विषेशकर हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य, जो उस हैसियत में कौटुम्बिक कारबार चलाते हैं, या बर्मी बौद्ध पति और पत्नी, जो उस हैसियत में कारबार चलाते हैं, ऐसे कारबार में भागीदार नहीं है।

6. **भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग** -यह अवधारण करने में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है या नहीं, पक्षकारों के बीच के उस वास्तविक सम्बन्ध का ध्यान रखा जाएगा जो सब सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्षित होता हो।

स्पश्टीकरण 1 - सम्पत्ति से उद्भूत लाभों या कल प्रत्यागमों का उस सम्पत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंष पाना स्वयंमेव ऐसे व्यक्तियों को भागीदर नहीं बना देता।

स्पश्टीकरण 2 - किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारबार के लाभों में से किसी अंष की या किसी कारबार में लाीा उपार्जित होने पर समाश्रित,या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटनें बढ़ने वाले किसी संदाय की प्राप्ति स्वयंमेव उसे उस कारबार को चलाने वालों का भागीदार नहीं बना देती

और विषिश्टतया-

(क) ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारबार में लगे हुए या लगने ही वाले हों,

(ख) किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में,

(ग) किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य वार्शिकी के रूप में, अथवा

(घ) कारबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारबार के गुडविल या अंष के विक्रय के प्रतिफलस्वरूप,

ऐसे अंष या संदाय को प्राप्ति पाने वाले को उस कारबार काके चलाने वाले व्यक्तियों को स्वंयमेव भागीदार नहीं बना देती।

7. **इच्छाधीन भागीदारी** - जहां कि भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्वावधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, वहां वह भागीदारी "इच्छाधीन भागीदारी' ' है।

8. **विषिश्ट भागीदारी** - कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विषिश्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा।

अध्याय 3

भागीदारों के एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध

9. **भागीदारों के साधारण कर्तव्य** -भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विष्वासपरायण और वफादार रहने, तथा हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है।

10. **कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य** -हर भागीदार उस हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई हो।

11. **भागीरारों के अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा-व्यापार अवरोधी करार** -(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि फर्म के भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा किया जा सकेगा और ऐसी संविदा अभिव्यक्त हो सकगी या व्यवहार चर्या से विवक्षित हो सकेगी।

ऐसी संविदा में फेरफार सब भागीदारों की सम्मति से किया जा सकेगा और ऐसी सम्मति अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या से विवक्षित हो सकेगी।

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संविदाएं उपलबन्ध कर सकेंगी कि कोई भागीदार, जब तक वह भागीदार रहे, फर्म के कारबार के सिवाय कोई और कारबार नहीं करेगा।

12. **कारबार का संचालन** -भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि-

(क) हर भागीदार को कारबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है,

(ख) हर भागीदार आबद्ध है कि वह कारबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक पालन करे,

(ग) कारबार से संसक्त मामूली बातों के बारे में उद्‌भूत किसी भी मतभेद का विनिष्चय भागीदारों के बहुमत से किया जा सकेगा और हर भागीदार को इससे पहले कि मामले का विनिष्चय हो अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा, किन्तु कारबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली सब भागीदारों की सम्मति के बिना नहीं की जा सकेगी, तथा

(घ) हर भागीदार को फर्म की बहियों में से किसी भी बही तक पंहुच का और उसका निरीक्षण और उसकी नकल करने का अधिकार है।

13. **पारस्परिक अधिकार और दायित्व** -भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि-

(क) भागीदार कारबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है,

(ख) भागीदार उपार्जित लाभ में समानतः अंष पाने के हकदार हैं फर्म को हुई हानियों में समानतः अभिदाय करेंगे,

(ग) जहां कि कोई भागीदार अपनी लगाई हुई पंूजी पर ब्याज पाने का हकदार है, वहंा ऐसा ब्याज केवल लाभों में से ही संदय होगा,

(घ) कोई भी भागीदार जो ऐसी पूंजी के अतिरिक्त, जिसे लगाने का करार उसने उस कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया है, कोई संदाय या अधिदाथ करता है, उस पर छह प्रतिषत प्रतिवर्श की दर से ब्याज पाने का हकदार है,

(ड़) भागीदार द्वारा निम्नलिखित में किए गए संदायों या उपगत दायित्वों की बाबत फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगी-

(1) उस कारबार का मामूली और उचित संचालनय तथा

(2) हानि से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से आपात में ऐसा कार्य करना जैसा मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में किया जाता हैय तथा

(च) भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को कारित हुई हो।

14. **फर्म की सम्पत्ति** -भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि फर्म की सम्पत्ति के अन्तर्गत फर्म के स्टाक में मूलतः लाई गई या फर्म द्वारा या फर्म के लिए या फर्म के कारबार के प्रयोजनार्थ और अनुक्रम में क्रय द्वाराया अन्यथा अर्जित सब सम्पत्ति और सम्पत्ति में के अधिकार और हित आते हैं और इसके अन्तर्गत कारबार का गुडविल भी आता है।

जब तक कि तत्प्रतिकूल आषय प्रतीत न हो, फर्म के धन से अर्जित सम्पत्ति और सम्पत्ति में के अधिकार और हित फर्म के लिए ही अर्जित समझे जाते हैं।

15. **फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन-** भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि फर्म की सम्पत्ति भागीदारों द्वारा अनन्यतः कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोजित की जाएगी।

16. **भागीदारों द्वारा उपार्जित वैयक्तिक लाभ** -भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि -

(क) यदि कोई भागीदार फर्म के किसी संव्यवहार से या फर्म की सम्पत्ति या कारबारी सम्गन्ध या फर्म नाम के उपयोग से अपने लिए कोई लाभ व्युत्पन्न करता है तो वह उस लाभ का लेाखा-जोखा फर्म को देगा और उस लाभ का संदाय फर्म को करेगा।

(ख) यदि कोई भागीदार फर्म के बराबर की ही प्रकृति का और प्रतियोगी कोई कारबार चलाता है, तो वह उस कारबार में अपनें को हुए सब लाभों का लेखा-जोखा फर्म को देगा और उन सब लाभों का फर्म को संदाय करेगा।

17 भागीदारो के अधिकार और कर्तव्य - फर्म में तब्दीली होने के पश्चात-फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात, और- जहां कि अतिरिक्त उपक्रम किए गए हो- भागीदारों के बीच की संविदा के अघ्यधीन यह है कि -

(क) जहां के फर्म के गठन में कोई तब्दीली घटित होती है, वहां पुनर्गठित फर्म में भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य यावत्शक्य वैसे ही बने रहतें है जैसे वे उस अव्यवहित पूर्व थे

(ख) जहां कि नियत अवधि के लिए गठित फर्म उस अवधि के अवसान के पश्चात कारबार चलाती रहती है, वहां भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य जहां तक कि वे इच्छाधीन भागीदारी की प्रसंगतियों से संगत हो वैसे ही बनें रहते है जैसे वे अवसान के पूर्व थे तथा

(ग) जहां कि एक या अधिक प्रोद्यम या उपक्रम चलाने के लिए गठित फर्म अन्य प्रोद्यम या उपक्रम चलाती है, वहां उन अन्य प्रोद्यमो या उपक्रमों के बारें में भागीदारों के वे पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य होते है जो मूल प्रोद्यमों या उपक्रमो के बारे में हों।

अध्याय 4

पर - व्यक्तियों से भागीदरों के सम्बन्ध

18 भागीदार फर्म का अभिकर्ता -इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन यह है कि भागीदार फर्म के कारबार फर्म के कारबार के प्रयोजनों के लिए फर्म अभिकर्ता होता है।

19 भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नातें विवक्षित प्राधिकार -(1) धारा 22 के उपबंधो के अध्यधीन यह है कि भागीदार का ऐसा कार्य, जो उस किस्म के कारबार को, जैसा फर्म चलाती है, प्रायिक रीति में चलाने के लिए किया गया है, फर्म को आबद्ध करता है।

फर्म को आबद्ध करने का भागीदार का प्राधिकार जो इस धारा द्वारा प्रदत्त है, उसका विवक्षित प्राधिकार कहलाता है।

2 व्यापार की किसी तत्प्रतिकूल प्रथा या रूढ़ि के अभाव में , भागीदार का विवक्षित प्राधिकार उसे सशक्त नही करता है कि वह-

(क) फर्म के कारबार से सम्बन्धित विवाद को माध्यस्थम् के लिए निवेदित करे,

(ख) फर्म की ओर से बैंक में स्वयं अपनें नाम में खाता खोले,

(ग) फर्म द्वारा किए गए किसी दावे या दावे के किसी भाग का समझौता करे या उसें त्याग दें,

(घ) फर्म की ओर से फाइल किए गए वाद या कार्यवाही का प्रत्याहरण करें,

(ड) फर्म के विरूद्ध किसी वाद या कार्यवाही में कोई दायित्व स्वीकृत करें,

(च) फर्म की ओर से स्थावर सम्पत्ति अर्जित करे,

(छ) फर्म की स्थावर सम्पत्ति अन्तरित करें अथवा

(ज) फर्म की ओर से भागीदारी में सम्मिलित हो।

20 भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तार और निर्बन्धन - फर्म के भागीदार भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा किसी भी भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण या निर्बन्धन कर सकेंगे।

ऐसे किसी निर्बधन के होते हुए भी भागीदार द्वारा फर्म की ओर से किया गया कोई भी कार्य जो कोई भी कार्य जो उसके विवक्षित प्राधिकार में आता है , फर्म को आबद्ध करता है, जब तक कि वह व्यक्ति जिसके साथ वह भागीदार व्यौहार कर रहा है उस निर्बन्धन को जानता न हो या यह ज्ञान या विö ास रखता हो कि वह भागीदार, भागीदार है।

21 भागीदार का आपात में प्राधिकार - भागीदार का आपात में यह प्राधिकार है के वह हानि से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से ऐसे सब कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपनें निजी मामलें में वैसी ही परिस्थितियों में कार्य करते हुए जातें और ऐसे कार्य फर्म को आबद्ध करते है।

22 फर्म को आबद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग - इसलिए कि वह फर्म को आबद्ध करे, फर्म की ओर से भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या निद्वादित लिखित फर्म नाम में या किसी ऐसे अन्य प्रकार से, जिससे फर्म को आबद्ध करनें का आशय अभिव्यक्त या विवक्षित होता हो, किया जाएगा या निद्वादित की जाएगी।

23 भागीदार द्वारा स्वीकृतियों का प्रभाव - भागीदार द्वारा फर्म के मामलों से सम्पृक्त स्वीकृति या व्यपदेशन फर्म के विरूद्ध साक्ष्य है, यदि वह कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हों।

24 कार्यकारी भागीदार को दी गई सूचना का प्रभाव - जो भागीदार फर्म के कारबार में अभ्यासतः कार्य करता रहता है, उसे फर्म के मामलों से सम्बन्धित किसी बात की सूचना फर्म को दी गई सूचनाका प्रभाव रखती है सिवाय उस दशा के, जब कि उस भागीदार द्वारा या उसकी सम्मति से फर्म से कपट किया गया हो।

25 फर्म के कार्यो के लिए भागीदार का दायित्व - हर भागीदार,फर्म के ऐसे सब कार्यो के लिए जो उसके भागीदा रहते हुए किए जाते है, अन्य सब भागीदारो के साथ संयुक्ततः दायी है और पृथक्तः भी।

26 भागीदार के सदोष कार्यो के लिए फर्म का दायित्व - जहां कि किसी फर्म के कारबार के मामूली अनुक्रम में या अपने भागीदारो के प्राधिकार से कार्य करते हुए भागीदार के सदोष कार्य या लोप किसी पर व्यक्ति को हानि या क्षति कारित होती है या कोई शास्ति उपगत होती है, वहा फर्म उसके लिए उसी विस्तार तक दायी है जहां तक कि वह भागीदार है।

27 भागीदारो द्वारा दुरूपयोजन के लिए फर्म का दायित्व - जहां कि-

(क) भागीदार अपने दुश्यमान प्राधिकार में अन्दर कार्य करते हुए किसी व्यक्ति से धन या सम्पत्ति प्राप्त करता है और दुरूपयोजन करता है, अथवा

(ख) फर्म अपने कारबार के अनुक्रम में किसी पर व्यक्ति से णन या सम्पत्ति प्राप्त करती है और भागीदारों मे सें कोई उस धन या सम्पत्ति का, जबकि वह फर्म की अभिरक्षा में है, दुरूपयोजन करता है,

वहां फर्म की हानि की प्रतिपर्ति करनें के लिए दायी है।

28 व्यपदेशन -(1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दो द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किया जानें देता है कि वह किसी फर्म के भागीदार है, वह उस फर्म के भागीदार के नाते ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति दायी है जिसनें ऐसे किसी व्यपदेशन के भरोसे उस फर्म को प्रत्यय दिया है, चाहे वह व्यक्ति जिसनें अपनें भागीदार होनें का व्यपदेशन किया है या ा जिसके भागीदार होने का व्यपदेशन किया गया है यह ज्ञान रखता हो या नही कि वह व्यपदेशन ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक पहुचा है।

(2) जहां कि किसी भागीदार की मृत्यु कि पश्चात् वही पुरानें फर्म नाम से चालू रखा जाता है, वहां उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का उस कारबार के भागरूप् उपयोग किए जातें रहना स्वयंमेव उस मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि या उसकी सम्पदा को फर्म के ऐसे कार्य के लिए, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् किया गया हो, दायी नही बना देगा।

29 भागीदार के हित के अन्तरिती के अधिकार -(1) किसी भागीदार द्वारा फर्म में अपनें हित का आत्यन्तिक रूप से या बन्धक द्वारा, या ऐसे हित पर अपने द्वारा किसी भार के सृजन द्वारा किया गया अन्तरण अन्तरिती को फर्म के चालू रहने तक यह हक नही देता ि कवह फर्म के कारबार के संचालन में हस्तक्षेप रिं या लेखा अपेक्षित करे या फर्म की बहियों का निरीक्षण करे, किन्तु वह अन्तरिती को केवल यह हक देता है ि कवह अन्तरक भागीदार के लाभों का अंश प्राप्त करे तथा भागीदारो द्वारा माना गया लाभो का लेखा अन्तरिती प्रतिगृहीत करेगा।

(2) यदि फर्म विघटित कर दी जाती है या अन्तरक-भागीदार, भागीदार नही रह जाता, तो अन्तरिती शेष भागीदारो के मुकाबले फर्म की आस्तियों में से वह अंश जिसका अन्तरक-भागीदार हकदार है, पाने का और इस प्रयोजन से कि उस अंश को अभिनिश्चित किया जाए फर्म के विघटित होनें की तारीख से लेखा लेने का हकदार है।

30 अप्राप्तवयों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना- (1) वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है, अप्राप्तवय है फर्म में भागीदार नही हो सकेगा, किन्तु सब तत्समय भागीदारों की सम्मति से उस भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) ऐसे अप्राप्तवय का अधिकार है कि वह फर्म की सम्पति और लाभों का ऐसा अंश पाए जैसे का करार किया गया हो और फर्म के लेखाओ में किसी भी लेखे तक उसकी पहुंच हो सकेगी और वह उनमें से किसी का भी निरीक्षण और नकल कर सकेगा।

(3) ऐसे अप्राप्तवय का अंश फर्म के कार्यो के लिए दायी है किन्तु वह अप्राप्तवय ऐसे कार्य के लिए वैयक्तिक रूप से दायी नही है।

(4) ऐसा अप्राप्तवय फर्म की सम्पति या लाभों में के अपने अंश के लेखे या संदाय के लिए भागीदारो पर वाद नही ला सकेगा सिवाय जब िकवह फर्म से अपना सम्बन्ध विच्छेद करता हो और ऐसी दशा में उसके अंश की रकम का अवधारण ऐसे मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा जो यावत्सम्भव धारा 48 में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार किया गया होः

परन्तु ऐसे वाद में फर्म के विघटन का निर्वाचन, सब भागीदार एक साथ कार्य करते हुए या फर्म का विघटन करने का हकदार कोई भी भागीदार दूसरं भागीदारो को सूचना देकर कर सकेगा और तदुपरि न्यायाय उस वाद में ऐसे कार्यवाही करेगा मानों वह वाद विघटन के लिए और भागीदारो के बीच परिनिर्धारण के लिए हो और अप्राप्तवय के अंश की रकम को भागीदारो के अंशो के साथ-साथ अवधारित किया जाएगा।

(5) उसके प्राप्तवय हो जानें की तारीख और यह ज्ञान िकवह भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है अभिप्राप्त हो जानें की तारीख में से जो भी पश्चात की तारीख हो उसके छह मास के अन्दर किसी भी समय ऐसा व्यक्ति यह लोक सूचना दे सकेगा कि उसने फर्म में भागीदार होने का निर्वाचन या न होने का निर्वाचन कर लिया है और ऐसी सूचना उसकी फर्म विषयक स्थिति का अवधारण करेगीः

परन्तु यदि वह ऐसी सूचना देने में असफल रहता है तो वह उक्त छह मास के अवसान होते ही फर्म में भागीदार हो जाएगा।

(6) जहां कि कोई व्यक्ति एक अप्राप्तवय के तौर पर फर्म की भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है , वहां इस तथ्य को उस व्यक्ति को ऐसे सम्मिलित किए जाने का ज्ञान उसके अप्राप्तवय हो जानें से छह मास के अवसान के पश्चात किसी विशिष्ट तारीख तक नही था, साबित करने का भार उस तथ्य का प्राख्यान करने वाले व्यक्तियों पर होगा।

(7) जहां कि ऐसा व्यक्ति भागीदार हो जाता है, वहां-

(क) अप्राप्तवय के नाते उसके अधिकार और दायित्व उस तारीख तक बने रहते है जिस तारीख को वह भागीदार होता है किन्तु वह उन सब फर्म के कार्यो के लिए जो भागीदारी के फायदों में उसके सम्मिलित किए जानें के समय से किए गए है, पर व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी भी हो जाता है, तथा

(ख) फर्म की सम्पत्ति और लाभों में उसका अंश वह अंश होगा जिसका वह अप्राप्तवय के तौर पर हकदार था।

(8) जहां कि ऐसा व्यक्ति भागीदार न होने का निर्वाचन करता है, वहां-

(क) उसके अधिकार और उसके दायित्व उसके द्वारा लोक सूचना दिए जानें की तारीख तक वे ही बने रहेंगे जो अप्राप्तवय के इस धारा के अधीन है,

(ख) उसका अंश सूचना की तारीख के पश्चात किए गए फर्म के किन्ही भी कार्यो के लिए दायी नही होगा, तथा

(ग) सम्पत्ति और लाभों में के अपने अंश के लिए वह भागीदारों पर उपधारा (4) के अनुसार वाद लानें का हकदार होगा।

(9) उपधाराओं (7) और(8) की कोई भी बात धारा 28 के उपगन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय 5

अन्दर आनें वालें और बाहर जाने वाले भागीदार

31 भागीदार का प्रविष्ट किया जाना -(1) भागीदारो के बीच की संविदा और धारा 30 के उपबन्धो के अध्यधीन यह है कि कोई व्यक्ति सब वर्तमान भागीदारो की सम्मति के बिना फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट नही किया जाएगा।

(2) धारा 30 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया गया है तद्वारा वह उसके भागीदार होने से पूर्व किए गए किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नही हो जाता।

32 भागीदार का निवृत्त होना- (1) भागीदार-

(क) अन्य सब भागीदारों की सम्मति से,

(ख) भागीदारो के अभिव्यक्त करार के अनुसार, या

(ग) जहां कि भागीदारी इच्छाधीन है, वहां अन्य सब भागीदारो को अपनें निवृत्त होनें के आशय की लिखित सूचना द्वारा, निवृत्त हो सकेगा।

(2) निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन से पहले किए गए फर्म के कार्यो के लिए किसी पर व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व से ऐसे करार द्वारा,जो ऐसे पर व्यक्ति और पुनर्गठित फर्म के भागीदारो के साथ उसने किया हो, उन्मोचित किया जा सकेगा और ऐसा करार ऐसे पर व्यक्ति को उस निवर्तलन का ज्ञान होने के पश्चात की उसकी और पुनर्गठित फर्म के बीच की व्यवहार-चर्या से विवक्षित हो सकेगा।

(3) फर्म से किसी भागीदार के निवृत्त होने पर भी जब तक कि निवृत्त होने की लोक सूचना न दे दी गयी हो, वह और भागीदार उनमें से किसी के द्वारा भी किए गए ऐसे कार्य के लिए जो उस निवर्तन के पहले किए जानें पर फर्म का कार्य होता, पर व्यक्तियों के प्रति भागीदारों के तौर पर दायी बने रहतें हैः

परन्तु निवृत्त भागीदार किसी ऐसे पर व्यक्ति के प्रति दायी नही होगा जो फर्म के साथ यह न जानते हुए व्यवहार करता है िकवह भागीदार था।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचनाएं निवृत्त होने वाले भागीदार द्वारा या पुनर्गठित फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी।

33 भागीदार का निष्कासन- (1) भागीदारो के बीच की संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भावपूर्वक प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में सें भागीदारो की किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नही किया जा सकेगा।

(2) धारा 32 की उपधाराओं(2),(3) और (4) के उपबन्ध निष्कासित भागीदार को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह निवृत्त भागीदार हो।

34 भागीदार का दिवाला- (1) जहां कि फर्म का कोई भागीदार दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया जाता है, वहां वह उस तारीख से जिसको न्यायनिर्णयन का आदेश हुआ हो भागीदार नही रहेगा चाहे तदद्वारा फर्म विघटित हो या न हो ।

(2) जहां कि किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णित किए जाने पर फर्म भागीदारो के बीच की संविदा के अधीन विघटित नही होती, वहां ऐसे न्यायनिर्णित भगीदार की सम्पदा फर्म के किसी कार्य के लिए और फर्म उस दिवालिए के किसी ऐसे कार्य के लिए दायी नही है जो उस तारीख के पश्चात किया गया हो जिस तारीख को न्यायनिर्णयन का आदेश दिया गया है।

35 मृत भागीदार की सम्पदा का दायित्व- जहां कि किसी भागीदार की मृत्यु द्वारा भागीदारो के बीच की संविदा के अधीन फर्म विघटित नही होती, वहा मृत भागीदार की सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए , जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो, दायी नही है।

36 बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगी कारबार चलाने का अधिकार -व्यापार अवरोधी करार-(1) बाहर जाने वाले भागीदार फर्म के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा, और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा, किन्तु तत्प्रतिकूल संविदा के अध्यधीन वह-

(क) फर्म नाम का उपयोग न कर सकेगा,

(ख) अपने को फर्म का कारबार चलानें वाला व्यपदिष्ट न कर सकेगा,

(ग) उन व्यक्तियों से जो उसकी भागीदारी का अन्त हो जानें के पूर्व फर्म से व्यौहार करते थे अपने साथ व्यौहार करने की याचना न करेगा।

(2) काई भागीदार अपने भागीदारो के साथ यह करार कर सकेगा कि भा ागीदार न रहनें पर किसी विनिर्दिष्ट कालवधि तक या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश कोई कारबार नही चलाएगा और यदि अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त हो, तो भारतीय संविदा अधिनियम,1872 (1872 का 9) की धारा 27 मे किसी बात के होते भी ऐसा करार विधिमान्य होगा।

37 कुछ दशाओं में बाहर जाने वाले भागीदार का पश्चात्वर्ती लाभों में अंश पानें का अधिकार - जहां कि फर्म का कोई सदस्य मर गया हो या अन्यथा भागीदार न रह गया हो और उत्तरजीवी या बने रहे भागीदार अपने और बाहर जाने वाले भागीदार या उसकी सम्पदा के बीच लेखाओं का अन्तिम परिनिर्धारण किए बिना फर्म की सम्पत्ति से कारबार चलाते रहे, वहां बाहर जाने वाला भागीदार या उसकी सम्पदा,तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उक्त भागीदार या उसके प्रतिनिधियो के विकल्प पर या तो उन लाभों का, जो उसके भागीदार न हर जानें के पश्चात् हुए हो ऐसा अंश जो फर्म की सम्पत्ति में के उसके उपयोग के कारण हुआ माना जा सके या फर्म की सम्पत्ति में के उसके अंश की रकम पर छह प्रतिशत ब्याज पानें की हकदार होगीः

परन्तु जहां कि भागीदारो के बीच की संविदा के द्वारा उत्तरजीवी या बने रहे भागीदारो की मृत या बाहर जानें वाले भागीदार का हित खरीद लेने का विकल्प किया गया हो और उस विकल्प का सम्यक रूप से प्रयोग किया गया हो वहां, यथास्थिति,मृत भागीदार की सम्पदा अथवा बाहर वाले भागीदार या उसकी सम्पदा को लाभो का कोई अपर या अन्य अंश पाने का हक न होगा किन्तु यदि कोई भागीदार उस विकल्प का प्रयोग करने की धारणा से कार्य करते हुए सब ताम्तिक पहलुओं में उसके निबन्धनों का अनुवर्तन न करे, तो वह इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन लेखा देने का दायी होगा।

38 चलत प्रत्याभूति का फर्म में तब्दीली होनें से प्रतिसंहरण -फर्म को या फर्म के संव्यवहारो के बारे में पर व्यक्ति को दी गई चलत प्रत्याभूति, तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, उस तारीख से, जिसकों फर्म के गठन में कोई तब्दीली हुई हो, फर्म के भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहृतहो जाती है।

अध्याय 6

फर्म का विघटन

39 फर्म का विघटन - फर्म के सब भागीदारो के बीच भागीदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है।

40 करार द्वारा विघटन - फर्म सब भागीदारो की सम्पत्ति से या भागीदारो के बीच की संविदा के अनुसार विघटित की जा सकेगी।

41 वैवश्यक विघटन- फर्म विघटित हो जाती है -

(क) सब भागीदारो के या एक के सिवाय अन्य भागीदारो के दिवालिया न्यायनिर्णित हो जानें से, अथवा

(ख) किसी ऐसी घटना के घटित होने से, जिससे फर्म का कारबार चलना या भागीदारो का उसे भागीदारी में चलाना विधिरूद्व हो जाएः

परन्तु जहां कि फर्म द्वारा एक से अधिक पृथक प्रोद्यम या उपक्रम चलाए जा रहें हों, वहां किसी एक या अधिक की अवैधता मात्र फर्म के विधिपूर्ण प्रोद्यमों और उपक्रमों के बारे में फर्म का विघटन कारित नही करेगी।

42 किन्ही आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन - भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि फर्म विघटित हो जाती हैः-

(क) यदि वह किसी नियत अवधि के लिए बठित की गई हो, तो उस अवधि के अवसान से,

(ख) यदि वह एक या अधिक प्रोद्यमों या उपक्रमांे को चलानें के लिए गठित की गई हो तों उसके या उनके पूर्ण हो जानें से,

(ग) किसी भागीदार की मृत्यु हो जानें से , और

(घ) किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से ।

43 इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन -(1) जहां कि भागीदारी इच्छाधीन है, वहां भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारो के फर्म विघटित करने के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने द्वारा किया जा सकेगा।

(2) फर्म उस तारीख से, जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी हुए है या यदि कोई तारीख नही दी हुई है, तो उस तारीख से , उसको सूचना संसूचित की गई है, विघटित को जाती है।

44 न्यायालय द्वारा विघटन - किसी भागीदार के वाद पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर फर्म को विघटित कर सकेगा, अर्थातः-

(क) यह कि कोई भागीदार विकृतचित हो गया है, जिस दशा में उस व्यक्ति के , जो विकृतचित हो गया है, वदर मित्र द्वारा वाद वैसे ही लाया जा सकेगा जैसे किसी दूसरे भागीदार द्वारा,

(ख)यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदार के तौर पर अपनें कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है,

(ग) यह कि कोई भागीदार जो वाद लानें वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे आचरण का दोषी है जिससे कारबार की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए उस कारबार के चलानें पर प्रतिकूल प्रभाव पडना सम्भाव्य है,

(घ) यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे करारों का भंग जानबूझकर या बार बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबन्ध या फर्म के कारबार के संचालन से संबंधित हो या अन्यथा उस कारबार से सम्बन्धित बातों में अपना ऐसा आचरण रखता है कि उसके साथ भागीदारी में वह कारबार करना दूसरे भागीदारो के लिए युक्तियुक्ततः साध्य नही है,

(ड) यह कि किसी भागीदार ने जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो फर्म में का अपना संपूर्ण हित किसी पर व्यक्ति को किसी प्रकार से अन्तरित कर दिया है, या अपने अंश को सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 49 के अधीन भारित हो जानें दिया है अथवा अपने द्वारा शोध्य भू-राजस्व की बकाया की या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली किन्ही शोध्यों की वसूली में बिक जानें दिया है,

(च) यह कि फर्म का कारबार हानि उठाए बिना नही चलाया जा सकता, अथवा

(छ) किसी अन्य ऐसे आधार पर जिसने इस बात को न्यायसंगत और साम्यापूर्ण बना दिया हो कि फर्म विघटित कर दी जाए।

45 विघटन के पश्चात किए गए भागीदारो के कार्यो के लिए दायित्व -(1) फर्म का विघटन हो जाने पर भी, जब तक विघटन की लोक सूचना न दे दी जाए, भागीदार उनमे से किसी के द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए, जो विघटन से पहले किया जानें पर फर्म का कार्य होता पर व्यक्तियों के प्रति भागीदार के नाते दायी बने रहेंगेः

परन्तु जो भागीदार मर जाता है या दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या भागीदार उसका भागीदार होना फर्म के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को ज्ञात न होते हुए फर्म से निवृत्त को जाता है, उसकी सम्पदा उसके भागीदार न रहने की तारीख के पश्चात किए गए कार्यो के लिए इस धारा के अधीन दायी न होगी।

उपधारा (1) के अधीन सूचनांए किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी।

46. विघटन के पश्चात कारबार का परिसमापन कराने का भागीदारो का अधिकार - फर्म के विघटन पर हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि को अन्य सब भागीदारो या उनके प्रतिनिधियों के विरूद्ध यह हक है कि वह फर्म की सम्पत्ति को फर्म के ऋणो और दायित्वों के संदाय में उपयोजित कराए और अधिशेष को भागीदारो या उनके अधिकारों के अनुसार वितरित कराए।

47 परिसमापन के प्रयोजनो के लिए भागीदारो का सतत प्राधिकार -हर एक भागीदार का फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार और भागीदारो के अन्य पारस्परिक अधिकार और बाध्यताएं फर्म का विघटन हो जानें पर भी फर्म के विघटन के पश्चात वहां तक बनें रहते है जहां तक िकवे फर्म के कामकाज के परिसमापन के लिए और आरम्भ किए गए किन्तु विघटन के समय अधूरे रह गये संव्यवहारो को पूरा करनें के लिए आवश्यक हो, किन्तु अन्यथा नहीः

परन्तु फर्म किसी ऐसे भागीदार के कार्यो द्वारा जो दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है किसी दशा में भी आबद्ध नही है किन्तु यह परन्तुक किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नही डालता जिसनें उस

न्यायनिर्णयन के पश्चात अपनें करे इस दिवालिया का भागीदार होना व्यपदिष्ट किया है या जानते हुए व्यदिष्ट किया जाने दिया है।

48 भागीदारो के बीच लेखा परिनिर्धारण का ढंग - विघटन के पश्चात फर्म के लेखा परिनिर्धारण में भागीदारो द्वारा किए गए करार के अध्यधीन निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा-

(क) हानियां जिनके अन्तर्गत पंूजी की कमियां भी आती है प्रथमतः लाभों में सें तत्पश्चात पंूजी में से अन्त में यदि आवश्यक हो भागीदारो द्वारा व्यष्टितः उसी अनुपात में संदत्त की जाएगी जिनमें वे लाभों का अंश पाने के लिए हकदार थे।

(ख) फर्म की आस्तियां जिनके अन्तर्गत पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए भागीदारो द्वारा अभिदत्त की गई रकम भी आती है, निम्नलिखित प्रकार और क्रम से उपयोजित की जाएंगी-

(i)फर्म पर हर व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करने में,

(ii) हर एक भागीदार को फर्म द्वारा उसे शोध्य उन अधिदायों का जो पूंजी से सुभिन्न हों, अनुपाती संदाय करने में,

(iii) हर एक भागीदार को पूंजी लेखे जो कुछ शोध्य हो उसका अनुपाती संदाय करने में, तथा

(iv) अवशिष्ट, यदि कुछ रहे तो वह भागीदारो में उस अनुपात में, जिसमें वें लाभों का अंश पाने के हकदार थे, बांट दिया जाएगा।

49 फर्म के ऋणों और पृथक् ऋणो का संदाय - जहां कि फर्म द्वारा शोध्य संयुक्त ऋण है और किसी भागीदार द्वारा शोध्य पृथक ऋण भी है, वहां फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन प्रथमतः फर्म के ऋणों के संदाय में किया जाएगा और यदि कुछ अधिशेष रहे तो उसमें का हर एक भागीदार का अंश उसके पृथक ऋणों के संदाय में उपयोजित किया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा। किसी भी भागीदार की पृथक सम्पत्ति का उपयोजन पहले उसके पृथक ऋणो के संदाय में और , यदि कुछ अधिशेष रहे तो फर्म के ऋणो के संदाय में किया जाएगा।

50 विघटन के पश्चात उपार्जित वैयक्तिक लाभ - भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि धारा 15 के खंड (क) के उपबन्ध उन संव्यवहारो को लागू होगें जिनका उपक्रम किसी भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो जाने के पश्चात और उसके सब कामकाज का पूर्ण रूप से परिसमापन होने के पूर्व किसी उत्तरजीवी भागीदार द्वारा या किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया होः

परन्तु जहां कि किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है वहां इस धारा की कोई भी बात फर्म नाम के उपयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नही डालेगी।

51 समयपूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी - जहां कि किसी भागीदार ने भागीदारी में किसी नियत अवधि के लिए प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम दिया है और उस अवधि का अवसान होने के पूर्व वह फर्म किसी भागीदार की मृत्यु के सिवाय किसी अन्य कारण से विघटित हो जाती है वहां वह भगीदार उस प्रीमियम के या उसके ऐसे भाग का प्रतिसंदाय पाने का हकदार होगा जो उन निबन्धनों को जिन पर वह

भागीदार बना था और उस समय की लम्बाई को जिसके दौरान वह भागीदार रहा ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हो जब तक कि –

(क)विघटन मुख्यतया उसके अपने अवचार के कारण न हुआ हो अथवा

(ख) विघटन ऐसे करार के अनुसरण मे न हुआ हो जिससे उस प्रीमियम या उसके किसी भाग कि वापस करने के विषय में कोई उपबन्ध अन्तर्विष्ट नही है।

अधिकार जहां कि भागीदारी की संविदा कपट या दुव्र्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है-जहां कि भागीदारी सृष्ट करने वाली संविदा उसके पक्षकारों में से किसी के कपट या दुव्र्यपदेशन के आधार पर विखंडित कर दी जाती है, वहां विखण्डित करने का हक रखने वाला पक्षकार अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित का हकदार होगा-

(क) फर्म के अंश क्रय के निमित अपनें द्वारा दी गई किसी राशि के लिए और अपनें द्वारा अभिदत्त किसी पूंजी के लिए फर्म के उस अधिवेष या आस्तियों पर जो फर्म के ऋणों के संदाय के पश्चात अवशिष्ट हो धारणाधिकार का या उनके प्रतिधारण के अधिकार का,

(ख) फर्म के ऋणों मद्धे अपने द्वारा किए गए किसी संदाय के बारे में फर्म के लेनदारो की पंक्ति में रखें जाने का, तथा

(ग) फर्म के सब ऋणों की बाबत क्षतिपूर्ति उस भागीदार या उन भागीदारो से पानें का जो उस कपट या दुव्र्यपदेशन के दोषी हो।

53 फर्म नाम या फर्म की सम्पत्ति को उपयोग में लानें से अवरूद्ध करने का अधिकार - फर्म के विघटित हो जाने के पश्चात हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि, भागीदारो के बीच की किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में किसी भी अन्य भागीदार को या उसके प्रतिनिधि को तब तक के लिए फर्म नाम में समरूप कारबार करने से या फर्म की किसी सम्पत्ति को अपने निजी फायदे के लिए उपयोग में लानें से अवरूद्ध कर सकेगा जब तक फर्म के कामकाज का पूरी तरह परिसमापन नही हो जाताः

परन्तु जहां कि किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है वहां इस धारा की कोई बात फर्म नाम के उपयोग में लानें के उसके अधिकार पर प्रभाव नही डालेगी।

54 व्यापार अवरोधी करार - फर्म के विघटन पर या विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार यह करार कर सकेंगे कि उनमें से कुछ या वे सब किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कारबार नही चलाएंगे और यदि अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त हो, तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा।

55 विघटन के पश्चात का गुडविल का विक्रय।गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार। व्यापार अवरोधी करार- (1) विघटन के पश्चात फर्म के लेखा पारिनिर्धारण में गुडविल, भागीदारो के बीच की संविदा के अध्यधीन रहते हुए आस्तियों में सम्मिलित किया जाएगा और वह या तो पृथक रूप से या फर्म की अन्य सम्पत्ति के साथ साथ बेचा जा सकेगा।

(2) जहां कि फर्म का गुडविल विघटन के प्श्चा ात बेचा जाता है वहां भागीदार क्रेता के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा किन्तु अपने और क्रेता के बीच के करार के अध्यधीन वह निम्नलिखित न कर सकेगा-

(क) फर्म नाम का उपयोग में लाना,

(ख) यह व्यपदिष्ट करना ि कवह फर्म का कारबार चला रहा है, अथवा

(ग) जो व्यक्ति फर्म के विघटन से पूर्व फर्म से व्यौहार करते थे उनसें अपनें साथ व्यवहार करने की याचना।

(3) कोई भी भागीदार फर्म के गुडविल के विक्रय पर क्रेता से यह कारबार कर सकेगा कि ऐसा भागीदार किसी विनिर्दिष्ट कालावधि कि या स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश कोई कारबार नही चलाएगा और यदि अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त हो तो भारतीय संविदा अध्नि ियम 1872 (1872 की धरा 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा।

अध्याय 7

फर्मो का रजिस्ट्रीकरण

56 इस अध्याय के लागू होने से छूट देने की शक्ति- किसी राज्य की राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध 2 उस राज्य को या उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसके किसी भाग को लागू नही होगें।

57 रजिस्ट्रारो की नियुक्ति -(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फर्मो के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकेगी जिनमें वें अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) हर रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ मे लोक सेवक समझा जाएगा।

58 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन- (1) फर्म का रजिस्ट्रीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को जिसमें उस फर्म के कारबार का कोई स्थान स्थित है या स्थित किया जाना प्रस्थापित है, विहित प्ररूप में और विहित फीस सहित ऐसा कथन जिसमें निम्नलिखित कथित हो, डाक द्वारा भेज कर या परिदत्त करके किसी भी समय कराया जा सकेगा-

(1) फर्म नाम

(2) फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान

(3) उन अन्य स्थानों के नाम जिनमें फर्म कारबार चलाती है

(4) वह तारीख जिसकों हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ

(5) भागीदारो के पूरे नाम और स्थायी पते तथा

(6) फर्म की अस्तित्वावणि।

यह कथन सब भागीदारो द्वारा या उनके ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा जो इस निमित विशेषतया प्राधिकृत हो हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) कथन को हस्ताक्षरित करने वाला हर एक व्यक्ति विहित प्रकार से उसे सत्यापित भी करेगा।

(3) फर्म नाम मे निम्नलिखित शब्दो में से किसी का भी अर्थात-

क्◌्राउन,एम्परर,एम्प्रेस,एम्पायर,एम्पीरियल, किंग,क्वीन,रायल, या ऐसे शब्दों का जिनसे सरकार की मंजूरी,अनुमोदन या प्रतिश्रय अभिव्यक्त या विवक्षित होता हो, उपयोग न किया जाएगा सिवाय जबकि राज्य सरकार ने फर्म नाम के भाग स्वरूप ऐसे शब्दों के उपयोग के लिए अपनी सम्मति लिखित आदेश द्वारा दे दी हो।

59 रजिस्ट्रीकरण- जब कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि धारा 58 कि उपबन्धों का सम्यक रूप से अनुवर्तन हो गया है, तब वह फर्मा◌े का रजिस्टर में उस कथन की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और उस कथन को फाइल कर देगा।

60 फर्म नाम मे और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख -(1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के फर्म नाम में या कारबार के मुख्य स्थान की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाए, तब विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास एक ऐसा कथन भेंजा जा सकेगा जिसमें उस परिवर्तन का विनिर्देश हो और जो धारा 58 के अधीन अपेक्षित प्रकार से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो।

(2) जबकि रजिस्ट्रार का सह समाधान हो जाए कि उपधारा (1) के उपबन्धों का सम्यक् रूप् से अनुवर्तन हो गया है तब वह फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि को उस कथन के अनुसार संशोधित करेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उसे फाइल कर देगा।

61 शाखओ के बन्द करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना- जबकि कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म किसी ऐसे स्थान पर अपना कारबार बन्द या चलाना आरम्भ करे जो उसके कारबार का मुख्य स्थान न हो तब उस फर्म का कोई भागीदार या अभिकर्ता उसकी प्रज्ञापना रजिस्ट्रार को भेज सकेगा या जो फर्म संबंधी प्रविष्टि में ऐसी प्रज्ञापना का टिप्पण कर लेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उस प्रज्ञापना को फाइल कर देगा।

62 भागीदारो के नामो और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना - जबकि रजिस्ट्रीकृत फर्म का कोई भागीदार अपने नाम या स्थायी पते में कोई परिवर्तन करे, तब फर्म के किसी भी भागीदार या अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को उस परिवर्तन की प्रज्ञापना भेजी जा सकेगी और रजिस्ट्रार उससे उसी प्रकार बरतेगा जैसा धारा 61 में उपबन्धित है।

63 फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन। अप्राप्तवय के प्रत्याहरण का अभिलेखन- (1) जबकि किसी रजिस्ट्ररकृत फर्म के गठन में कोई तब्दीली हो तब अन्दर जानें वाला बना रहने वाला या

बाहर जाने वाला कोई भी भागीदार और जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म का विघटन हो, तब कोई भी व्यक्ति जो विघटन से अव्यवहित पहले भागीदार रहा हो या किसी ऐसे भागीदार या व्यक्ति का इस निमित विशेषतया प्राधिकृत अभिकर्ता रजिस्ट्रार को ऐसी तब्दीली या विघटन की तारीख का विनिर्देश करते हुए उसकी सूचना देगा और रजिस्ट्रार फर्मो के रजिस्टर मे उस फर्म संबंधी प्रविष्टि में उस सूचना का अभिलेखन करेगा और सूचना को धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंणी कथन के साथ फाइल की देगा।

(2) जब कि कोई अप्राप्तवय जो किसी फर्म में भागीदारी के फायदो में सम्मिलित कर लिया गया हो प्राप्तवय हो जाए और भागीदार बनने का या न बननें का निर्वाचन कर ले और फर्म हो तब वह या इस निमित विशेषता प्राधिकृत उसका अभिकर्ता रजिस्ट्रार को यह सूचना दे सकेगा कि वह भागीदार बन गया है कि नही बना और रजिस्ट्रार उस सूचना से उसी प्रकार बरतेगा जैसे उपधारा (1) में उपबन्धित है।

64 भूलो का परिशोधन -(1) रजिस्ट्रार को यह शक्ति हर समय होगी कि फर्मो के रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि को जो किसी भी फर्म से संबंधित हो इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेजो के अनुरूप बनानें के लिए किसी भी भूल का परिशोधन करे।

(2) उन सब पक्षकारों के आवेदन पर जिन्होने इस अध्याय के अधीन फाइल की गई फर्म संबंधी किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है रजिस्ट्रार ऐसी किसी भी भूल का परिशोधन कर सकेगा जो ऐसी दस्तावेज में या फर्मो के रजिस्टर में किए गए उसके अभिलेख या टिप्पणी में हो।

65 न्यायलय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन- रजिस्ट्रीकृत फर्म से संबंधित किसी भी मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायलय यह निदेश दे सकेगा कि रजिस्ट्रार फर्मो के रजिस्टर में ऐसी फर्म से संबंधित प्रविष्टि में ऐसा कोई भी संशोधन करे जो उसके विनिश्चय के परिणामस्वरूप और रजिस्ट्रार तद्नुसार उस प्रविष्टि का संशोधन करेगा।

66 रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजो का निरीक्षण- (1) फर्म का रजिस्टर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) इस अध्याय के अधीन फाइल किए गए सब कथन सूचनाएं ऐसी शर्तो के अध्यधीन और ऐसी फाीस के संदाय पर जैसी विहित की जाए निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

67 प्रतियो का दिया जाना- किसी भी व्यक्ति को उसके आवेदन पर रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की गई हो फर्म के रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि या उसके किसी भी भाग की अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति देगा।

68 साक्ष्य के नियम- (1) फर्मो के रजिस्टर में अभिलेखित या टिप्पणित कोई भी कथन प्रज्ञापना या सूचना उसमें कथित किसी भी तथ्य का निश्चायक सबूत उस व्यक्ति के विरूद्ध होगी जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा कथन प्रज्ञापना या सूचना हस्ताक्षरित की गई थी।

(2) फर्मो के रजिस्टर में की किसी फर्म से संबंधित किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति उस फर्म के रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के तथा उसमें अभिलिखित या टिप्पणित किसी भी कथन प्रज्ञापना या सूचना की अन्तर्वस्तु के सबूत में पेश की सकेगी।

69 रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव-(1) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त करानें के लिए लाया जाए किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरूद्ध या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ओर से उस फर्म के विरूद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति कि विरूद्ध जिसका फर्म में भागीदार होना या रहा होना अधिकथित हो, किसी भी न्यायालय में संस्थित नही किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मो के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित न हो या दर्शित न रह चुका हो।

(2) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत करानें के लिए लाया जाए फर्म द्वारा या की और से किसी भी न्यायालय में किसी पर व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित न किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाले व्यक्ति फर्मो के रजिस्टर में फर्म के भागीदारो के तौर पर दर्शित न हो या दर्शित न रह चुके हो।

(3) उपधाराओं (1) और (2) के उपबन्ध किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त करानें के लिए लाए जानें वाले मुजराई के दावे या अन्य कार्रवाई को भी लागू होगे, किन्तु निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगें,-

(क) किसी फर्म के विघटन के लिए या किसी विघटित फर्म का लेखा लेने के लिए, वाद लानें के किसी अधिकार के या किसी विघटित फर्म की सम्पत्ति प्राप्त करनें के किसी भी अधिकार या शक्ति के प्रवर्तन पर, अथवा

(ख) किसी दिवालिया भागीदार की सम्पत्ति को प्राप्त करने की किसी शासकीय समनुदेशिती, रिसीवर या न्यायालय की प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम,1909 (1909 का 3) या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम ,1920)1920 का 5) के अधीन शक्तियों पर।

(4) यह धारा निम्नलिखित को लागू न होगी-

(क) ऐसी फर्मो को या फर्मो के भागीदारो को जिनके कारबार का कोई स्थान उन राज्यक्षेत्रो में नही है।जिन पर अधिनियम का विस्तार है। या जिनके कारबार के स्थान उक्त राज्यक्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जिनको धारा 56 के अधीन की गई अधिसूचना के कारण यह अध्याय लागू नही है अथवा

(ख) मूल्य में सौ रूपए से अनधिक के किसी भी ऐसे वाद या मुजराई के दावे को जो न प्रेसिडेंसी नगरो में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887(1887 का 9) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्म कस न हो अथवा निष्पादन में की किसी भी कार्यवाही को जो ऐसे वाद या दावे से आनुषंगिक या उद्भूत हो।

70 मिथ्या विशिष्टियां देने के लिए शास्ति- कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे कथन,संशोधक कथन,सूचना या प्रज्ञापना को हस्ताक्षरित करेगा, जिसमें कोई ऐसी विशिष्टि अन्तर्विष्ट है, जिसका मिथ्या होना वह जानता हे, या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नही करता अथवा जिसमें ऐसी विशिष्टियां है जिनका अपूर्ण होना वह जानता है या जिनके पूर्ण होने का वह विश्वास नही करता वह कारावास से, जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

71 नियम बनाने की शक्ति- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो वह फीस विहित करेगे जो फर्मो के रजिस्ट्रार को भेजी जानें वाली दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी या उन दस्तावेजो के निरीक्षण के लिए जो फर्मो के रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में हो या फर्मो के रजिस्टर में की प्रतियों के लिए संदेय होगीः

परन्तु ऐसी फीसें अनुसची 1 में विनिर्दिष्ट अधिकतम फीसों से अधिक न होगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे नियम भी बना सकेगी जो-

(क) धारा 58 के अधीन दिए जाने वाले कथन और उसके सत्यापन का प्ररूप विहित करेगें,

(ख) यह अपेक्षित करेगें कि धाराओं 60,61,62 और 63 के अधीन कथन, प्रज्ञापनाएं और सूचनाए विहित प्ररूप में जिस ढंग से ऐसी प्रविष्टियां संशोणित की जानी है, या उनमें टिप्पण किए जाने है, विहित करेगें,

(ग) फर्मो के रजिस्टर का प्ररूप और वह ढंग से फर्मो जिस ढंग से फर्मो संबंधी प्रविष्टियां उसमें की जानी है तथा वह ढंग जिस ढंग से ऐसी प्रविष्टियां संशोधित की जानी है, या उनमें टिप्पण किए जाने , विहित करेगें,

(घ) विवादों के उद्भूत होने पर रजिस्ट्रार द्वारा अनूवर्तनीय प्रक्रिया विनियमित करेगें,

(ड) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त दस्तावेजो का फाइल किया जाना विनियमित करेगें,

(च) मूल दस्तावेजो के निरीक्षण के लिए, शर्ते विहित करेगें,

(छ) प्रतियों का दिया जाना विनियमित करेगें,

(ज) रजिस्टरो और दस्तावेजों की छटाई विनियमित करेगें,

(झ) फर्मो के रजिस्टर की अनुक्रमणिका का रखा जाना और उसका प्ररूप उपबन्धित करेगें, तथा

(´) साधारणतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए होंगे।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होगें।

(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जानें पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 8

अनुपूरक

72 **लोक सूचना देने का ढंग-इस अधिनियम के अधीन लोक सूचना-**

(क) जहां िकवह किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म से किसी भागीदार की निवृत्त या निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के विघटन से या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म मे ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदे में अप्राप्तवय के तौर पर सम्मिलित कर लिया गया था प्राप्तवय होने पर भागीदार बन जाने के या न बनने के निर्वाचन से, सम्बन्धित है, वहां फर्मो के रजिस्ट्रार को धारा 63 के अधीन सूचना देकर और शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचारपत्र में, जिसका परिचालन उस जिले में हो, जिसमें उस फर्म का जिसमें वह सूचना सम्बन्धित है कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है, प्रकाशन द्वारा दी जाती है, तथा

(ख) किसी भी अन्य दशा में शासकीय राजपत्र में देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचारपत्र में, जिसका परिचालन उस जिले में हो, जहां फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है, प्रकाशन द्वारा दी जाती है।

73 निरसन- निरसन अधिनियम,1938(1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

74 व्यावृत्तियां- इस अधिनियम की एतद्वारा किए गए ककिसी निरसन में की कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगी और न प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई भी अधिकार,हक,हित,बाध्यता या दायित्व, अथवा

(ख) ऐसे किसी भी अधिकार,हक,हित,बाध्यता या दायित्व के बारे में या किसी भी ऐसी बात के बारे मे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई हो कोई विधिक कार्यवाही या उपचार, अथवा

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की गई या सहन की गई कोई भी बात अथवा

(घ) भागीदा सम्बन्धी कोई भी अधिनियमित जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त स्प से निरसित नही की गई है अथवा

(ड) भागीदारी से सम्बन्धित दिवाले का कोई भी नियम, अथवा

(च) विधि का कोई भी नियम जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

अनुसूची 1

अधिकतम फीस

धारा 71 की उपधारा(1) देखिए

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस देय है	अधिकतम फीस
धारा 58 के अधीन कथन	तीन रूपए
धारा 60 के अधीन कथन	एक रूपया
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक रूपया
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	एक रूपया
धारा 63 के अधीन सूचना	एक रूपया
धारा 64 के अधीन आवेदन	एक रूपया

धारा 66 की उपधारा(1) के अधीन फर्मो के रजिस्टर का निरीक्षण रजिस्टर की एक जिल्द कि निरीक्षण के लिए आठ आना

धारा 66 की उपधारा(2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजो का निरीक्षण एक फर्म से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो के निरीक्षण के लिए आठ आना

फर्मो के रजिस्टर में से प्रतियां प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए चार आना।

अनुसूची 2

अधिनियमितियां निरसित - निरसन अधिनियम 1938(1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

भारतीय भागीदारी फर्मो की पंजीकरण/संशोधन इत्यादि के शुल्क का विवरणः-

शासनादेश सं0 240/ xxvii(6)2013 वित्त अनुभाग-6,दिनांक 23 अप्रैल 2013 के संलग्नक सरकारी गजट उत्तराखण्ड जन असाधारण देहरादून शुक्रवार 22 मार्च 2013 चैत्र 01,1935 शक सम्वत वित्त अनुभाग-6 संख्या-177/ xxvii(6)/2013 दिनांक 22 मार्च 2013 के द्वारा,भागीदारी फर्मो संबंधी फीस निम्न प्रकार से पुनरक्षित की गई है:-

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड भारतीय भागीदारी अधिनियम (प्रथम संशोधन) नियमावली 2013

नियम 14 का संशोधन यू0पी0 इण्डियन पार्टनरशिप रूल्स 1933 के विघमान नियम 14 के स्तम्भ 2 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58,60,63,64,66 और 67 के उपबंधों के अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियाॅं देने के लिए निम्नलिखित फीस उदगृहीत की जायेगी:-

1- नियम 12 के अन्तर्गत प्रत्येक निरीक्षण के लिए - फम्र्स से संबंधित रजिस्टर के एक जिल्द या समस्त दस्तावेजों के लिए 200/-

2-नियम 13 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिए - प्रति पृष्ठ के लिए 60/-

3-रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के लिए - एक सौ रूपये

4-धारा 58 के अधीन कथन(फर्म पंजीकरण फीस) - पांॅच हजार रूपये

5-धारा 60 के अधीन कथन फर्म के नाम, कारोबार के मुख्य स्थान में परिवर्तन के लिए - एक सौ पचास रूपये

6-धारा '61 के अधीन कथन शाखाओं के खोलने एवं बंद करने हेतु - एक सौ पचास रूपये

7-धारा 62 के अधीन कथन भागीदारों के नाम एवं पतों में परिवर्तन हेतु -एक सौ पचास रूपये

8-धारा 63 के अधीन कथन फर्म में तब्दीलियों और उसके विधटन हेतु - एक सौ पचास रूपये

9-धारा 64 के अधीन कथन भूलों के परिशोधन हेतु - एक सौ पचास रूपये

10-धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मो के - एक सौ रूपये

रजिस्टर का निरीक्षण

11-धारा66 की उप धारा(2)के अधीन फर्मो के दस्तावेजो का निरीक्षण - दो सौ रूपये

12 फर्मो के रजिस्टर से प्रतियाॅं प्रति पृष्ठ के लिए साठ रूपये

आज्ञा से

राधा रतूडी

प्रमुख सचिव

नोट - नियमावलियों तथा एक्ट में टाइपिंग त्रुटि हो सकती है। कृपया मूल एक्ट व नियमावली से मिलान कर लिया जाए।

फार्म नं0 - 1 का प्रारूप

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा - 58(1) के अन्तर्गत भागीदारी फर्म के पंजीकरण का विवरण

1- फर्म का नाम (हिन्दी में)

2- फर्म के व्यवसाय का प्रधान स्थान (हिन्दी में)

3- फर्म के व्यापार का अन्य स्थान

4- भागीदारी की तिथि

5- भागीदारो के पूरे नाम, पिता/पति का नाम, पता व आयु

6- फर्म की अवधि

7- रिमार्क

8- फर्म का व्यवसाय

सभी भागीदारों के हस्ताक्षर

सत्यापन

हम उपरोक्त भागीदार शपथ पूर्वक बयान करते है कि उक्त विवरण हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य एवं सही है।

आज दिनांक ..... को स्थान ..... को सत्यापित किया गया है।

सभी साझोदारों के हस्ताक्षर

फर्म का नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 - 2

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा - 60(1) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म के नाम परिवर्तन करने हेतु विवरण पत्र

फर्म का पूर्व नाम (हिन्दी में)	फर्म का प्रस्तावित परिवर्तित नाम (हिन्दी में)	नाम परिवर्तन की तिथि	व्यवसाय का प्रधान स्थान

दिनाँक हस्ताक्षर

नोट: - उपरोक्त विवरण एक्ट की धारा 58 के प्राविधानों के तहत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया जाना है।

फर्म व्यवसाय के प्रधान स्थान परिवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 -3

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा - 60(1) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म के व्यवसाय का प्रधान स्थान परिवर्तित करने हेतु विवरण पत्र

फर्म का पूर्व नाम (हिन्दी में)	फर्म व्यवसाय का पूर्व प्रधान स्थान (हिन्दी में)	परिवर्तित प्रधान स्थान	परिवर्तित प्रधान स्थान की तिथि

दिनाँक

हस्ताक्षर

फर्म व्यवसाय के प्रधान स्थान के अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थान पर व्यवसाय करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 - 4

पंजीकृत फर्म द्वारा प्रधान स्थान के अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थान पर व्यवसाय करने हेतु जारी सूचना (भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा-61 के अन्तर्गत)

फर्म का नाम (हिन्दी में)

प्रस्तुतकर्ता द्वारा पूर्ण करने हेतु

निबन्धक, फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स उŸाराखण्ड

मैं हस्ताक्षरकर्ता

फर्म का साझेदार ..... की हैसियत से आपको सूचित करता हूँ कि फर्म .....का अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थान पर व्यवसाय दिनाँक..... से संचालित होगा।

दिनाँक हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

हम उपरोक्त भागीदार शपथ पूर्वक बयान करते है कि उक्त विवरण हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य एवं सही है।

आज दिनांक ..... को स्थान ..... को सत्यापित किया गया है।

भागीदार के नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 -5

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा - 60(1) एवं 62 के अन्तर्गत भागीदार के नाम में परिवर्तन होने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र

सेवा में,

रजिस्ट्रार
फम्र्स, सोसाईटीज एवं चिट्स,
देहरादून उŸ०राखण्ड।

धारा-62 के तहत सूचना का प्रेषण:-

फर्म .....जिसका प्रधान स्थान.....है के भागीदार के नाम परिवर्तन की सूचना निम्न प्रकार से है:-

भागीदार का पूर्व नाम	भागीदार का वर्तमान नाम	नाम परिवर्तन की तिथि	परिवर्तित प्रधान स्थान की तिथि

उक्त सूचनाएं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित की गई।

दिनांक **भागीदारों के हस्ताक्षर**

फर्म की मोहर सहित

भागीदार के स्थायी निवास के पते में परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 - 6

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा - 60(2) एवं 62के अन्तर्गत भागीदार स्थायी पता परिवर्तन का नोटिस

सेवा में,

रजिस्ट्रार

फम्र्स, सोसाईटीज एवं चिट्स,

देहरादून उŸाराखण्ड।

धारा-62 के तहत सूचना का प्रेषण:-

उक्त उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत फर्म के भागीदार श्री.....है, का पता परिवर्तन किया गया।

पूर्व पता	वर्तमान पता	पता परिवर्तन की तिथि

उक्त सूचनाएं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित की गई।

दिनांक **फर्म के भागीदारों के हस्ताक्षर**

फर्म के विधान में परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 - 7

भारतीय सहभागिता अधिनियम 1932 की धारा - 63(1) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म के विधान में परिवर्तन करने की सूचना

सेवा में,

निबन्धक
फम्र्स सोसाईटीज एवं चिट्स
देहरादून।

मैं..... (फर्म का भागीदार अथवा अधिकृत प्रतिनिधि) निम्न प्रकार सूचित करता हूँ:-

(फर्म में विधान परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख किया जाये)

नोट:- फर्म के विधान परिवर्तन की नई एग्रीमेन्ट डीड की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की जाये।

दिनांक **भागीदारों के हस्ताक्षर**

फर्म के विघटन हेतु आवेदन पत्र

फार्म नं0 - 8

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा - 63(1) के अन्तर्गत फर्म विध्टान हेतु नोटिस

सेवा में,

निबन्धक

फम्र्स सोसाईटीज एवं चिट्स

देहरादून।

मैं.....फर्म का भागीदार (या अधिकृत एजेण्ट) फर्म.....के विघटन हेतु दिनांक ..... को सूचित करता हूँ कि फर्म .....पता..... दिनांक.....को विघटित कर दी गई है।

फर्म के लेन-देन की तथा विघटन डीड की सत्यापित प्रति संलग्न की जा रही है।

सत्यापन

दिनांक **भागीदारों के हस्ताक्षर**

आवश्यक होने वाले अथवा न होने वाले भागीदार के द्वारा दी जाने वाली सूचना

फार्म नं0 - 9

(भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा - 63(1) के अन्तर्गत फर्म के भागीदार के द्वारा अव्यस्क होने अथवा न होने की सूचना)

स्मक्षः○ः निबन्धक, फम्र्स सोसाईटीज एवं चिट्स, उŸ○राखण्ड

मैं.....का.....भागीदारों के लाभ को प्राप्त करने हेतु फर्म..... में शामिल हो गया हूँ। फर्म का मुख्य कारोबारी स्थान.....पर मैं यह नोटिस प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैने व्यस्कता प्राप्त कर ली है।

श्री.....पुत्र.....पता.....उम्र.....नामक व्यक्ति फर्म में भागीदार बन गया है/नहीं बना है।

भागीदार/अधिकृत प्रतिनिधि

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है।

दिनांक भागीदार/अधिकृत प्रतिनिधि

(मैनुअल संख्या-6)

ऐसे दस्तावेजों के जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है ,प्रवर्गो Categories मे के अनुसार विवरण

इस संगठन द्वारा सोसाइटियों से सम्बन्धित निम्न लिखित दस्तावेज रखे जाते हैं-

सोसाइटियों का रजिस्टर।

नवीनीकरणों का रजिस्टर।

दैनिक प्राप्तियों का रजिस्टर।

रसीद बही।

निरीक्षण रजिस्टर।

जारी की गयी प्रतियों का रजिस्टर।

सोसाइटियों एवं फर्मों की पत्रावलियां।

कार्यालय में प्रायः दो श्रेणी के अभिलेख रखे जाते हैंः-

दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख (फाइल, सोसाइटी पंजीकरण, नवीनीकरण, सोसाइटी प्रतिलिपि रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, फर्म पंजीकरण, चिट फण्ड पंजीकरण, विवाद, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाइल, कार्य विवरण चार्ट इत्यादि)

अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेख जैसे संस्थाओं की मूल पत्रावलियां, सोसाइटी व फर्म के पंजीकृत अभिलेख आदि।

कार्यालय में रखे जाने वाले अन्य अभिलेख/ पंजिकायें आदि निम्नलिखित हैंः-

पंजिकाओं की पंजिका।

उपस्थिति पंजिका।

आकस्मिक अवकाश पंजिका ।

डाक प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका।

पत्रावलियों की पंजिका।

नवीनीकरण पत्रावली अनुक्रमणिका पंजिका।

भण्डारण अनुक्रमणिका पंजिका।

अधिष्ठान आदेश पंजिका।

डैड स्टाक पंजिका।

के जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है ,प्रवर्गो ब्ंजमहवतपमे

लेखन समाग्री पंजिका।

सरकारी वाहन हेतु लाॅग पंजिका।

आॅडिट आपŸिा पंजिका।

वेतन बिल पंजिका।

कोषागार पंजिका।

फार्म दो (सी) पंजिका।

कैश बुक।

खर्चो पर नियंत्रण के लिए फार्म बी0एम0-8 पंजिका।

जी0पी0एफ0 लेजर एवं पास बुक।

कागज का अपना जीवन काल होता है अतः स्थायी अभिलेखों की भी अधिकतम अवधि 35 वर्ष निर्धारित है। शासनादेश संख्या 244/ XXXI (2)G/2005 दिनांक 23 अप्रैल 2005 द्वारा अभिलेखों को अभिलेखन (रिकाॅर्डिंग) करने एवं उन्हे नष्ट करने के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि का विवरण दिया गया है। इस विभाग से सम्बन्धित मुख्य अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाय।
1	2	3
क. सामान्य पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां		
1	उपस्थिति पंजी	एक वर्ष
2	आकस्मिक अवकाश पंजी	समाप्त होने के एक वर्ष बाद
3	आडिट/महालेखाकार द्वारा की गयी आडिट पत्रावलियां	आपत्ति◌ायों के अंतिम समाधान के बाद अगले आॅडिट होने तक
4	आय.व्यय अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष
5	सरकारी धन, भण्डार का आहरण, निष्प्रयोज्यवस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियां	अंतिम निर्णय व वसूली, राइट आॅफ के पश्चात तीन वर्ष
6	डेड स्टाक, क्षय शील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तिकों आदि के पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां	स्टाक बुक में प्रतिष्टिए विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी आॅडिट आपत्ति◌ायों के समाधान के पश्चात एक वर्ष
7	निरीक्षण टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र.व्यवहार की पत्रावलियां	उठाए गए बिन्दुओं, दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक
8	अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियां	स्थाई रूप से
9	प्रपत्रों के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावलियां	आॅडिट आपत्ति◌ायों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात

		एक वर्ष
10	लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग.पत्र ;इन्डेन्ट)	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद, जो भी पहले हो, किन्तु यदि निर्धारित हो
11	दौरों के कार्यक्रम तथा टूअर डायरी, यदि कोई	कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्ध हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद
12	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी
13	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/ प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित	हो जाने के एक वर्ष
14	विधान सभा/लोक सभा व राज्य सभा के पांच वर्ष,	किन्तु आश्वासन समितियों को दिये
15	प्रश्नों की पत्रावलियं ा	आश्वासनों की पूर्ति के पांच वर्ष बाद
16	नियमावलियों, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया पद्धति तथा उनकी व्याख्या तथा नियमों में संशोधन संबंधी पत्रावलियां	स्थाई रूप से
17	कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी	स्थाई रूप से
18	शासकीय एवं विभागीय आदेश वीडिंग शेडयूल/ अभिलेख नियंत्रण नियम/सूची	पुर्नसंशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक
19	शासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्ड फाईलें	स्थाई रूप से
20	स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थाई रूप से
21	पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20, 21, 26 आदि)	पच्चीस वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज अस्थाई रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद
22	स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थाई रूप से
23	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं.51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
24	आवधिक/सामयिक विवरण.पत्रों का रजिस्टर समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक सूची (लिस्ट आफ पीरियाडिकल रिर्पोटस एण्ड रिटर्नस)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक
25	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं.समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें 52) अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें समाधान के पश्चात एक वर्ष
26	सरकारी गजट डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर, जहां गजट स्थायी रूप से रखा जाता है,	शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक
27	सरकारी वाहनों की लाग.बुक तथा रनिंग वाहन के निश्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा रजिस्टर निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पश्चात	एक वर्ष बाद तक, यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो
28	गार्ड फाईल्स	स्थायी रूप से
ख. स्थापना/अधिष्ठान सम्बन्धी पत्रावलियों एवं रजिस्टर		

1	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियां (व्यक्तिगत पत्रावलियां)	पेंशन की अन्तिम स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक
2	अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थनपत्रों/प्राप्त आवेदन-पत्रों की पत्रावलियां	पांच वर्ष (चुने गये/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना.पत्रों को छोड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे)
3	वाहन, साइकिल, गृह निर्माण, सामान्य भविष्य अग्रिम की राशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, तो निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य उसके भुगतान के पश्चात एक वर्ष ।	अग्रिमों से सम्बन्धित पत्रावलियां
4	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर पेंषन, ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पांच वर्ष नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां बाद ।	पेंशन, ग्रेच्युटी आदि की स्वीकृति के पांच वर्ष
5	सेवा पुस्तिकाये/सेवा नामावलियां वित्तीय नियम-संग्रह	खण्ड दोए भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136-ए के अनुसार
6	स्थापना आदेश पंजीस्थायी रूप से	
	गोपनीय चरित्र पंजिकायें/गोपनीय आख्यायें	सेवा निवृत्ति/पद त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बाद
7	कैश बुक आॅडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई	आॅडिट आपत्ति◌ा निस्तारण हेतु अवशेष न हो
8	अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर	सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष तक
9	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर (1) लेजर (2) ब्राडशीट (3) इन्डेक्स (4) पासबुकें	सभी दर्ज कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के मामले अवषेष न रह गये हों । तदैव तदैव तदैव (सेवा निवृत्ति के बाद संबंधित कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर दे दी जाय) स्थायी रूप से

10	सेवाओं में आरक्षण (1) विभिन्न संवर्गों के रोस्टर्स	
ग. बजट एवं लेखा संबंधी पत्रावलियां/रजिस्टर		
1	यात्रा भत्ता प्रकरण आडिट हो जाने के	एक वर्ष बाद
2	टी0ए0 बिल तथा टी0ए0 चैक रजिस्टर आडिट हो जाने के	तीन वर्ष बाद
3	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राषियों की महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व समायोजन पत्रावली हो जाने के	एक वर्ष बाद
4	प्रासंगिक व्यय पंजीआडिट के पांच वर्ष बाद यदि कोई आडिट	आपत्ति का निस्तारण अवषेष न हो
5	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेन्स पैंतीस वर्ष । वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच रोल)	भाग-एक का पैरा 138, फार्म, 11 बी)

	(वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड पांच, भाग एक का पैरा 85, परिशिष्ट 16 के अनुसार	
6	बिल रजिस्टर 11 सी वित्तीय नियम.संग्रह, आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद	खण्ड पांच, भाग.एक का पैरा 139
7	कैष बुक आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई	आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो
8	टे[a]जरी बिल रजिस्टर ;राजाज्ञा संख्या 2158/ पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष	सोलह(71)/68 डी.टी. दिनांक 7.5.1970 द्वारा बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो निर्धारित)
9	टेलीफोन टं[a]ककाल रजिस्टरपूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा	कोई बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दशा में एक वर्ष
10	मासिक व्यय पंजी/पत्रावलीव्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम	समायोजन के पष्चात दो वर्ष
11	बिल इनकेषमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट	खण्ड पांच भाग एक का पैरा 47 ए आपत्ति निस्तारण हेतु अवषेष न हो और किसी धनराशि के अपहरण, चोरी, डकैती आदि की घटना घटी हो
12	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निर्धारित	एलाटमेंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो
13	रसीद बुक, ईषू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं. 385 दस वर्ष, यदि किसी रसीद बुक के खो जाने वित्तीय नियम संग्रह,	खण्ड पांच भाग एक का या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न होंपैरा 26) तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो

(मैनुअल संख्या-7)

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं-

--शून्य--

(मैनुअल संख्या-8)

ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रुप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅंच होगी।

इस संगठन में इस प्रकार के बोर्ड, परिषद, समिति अथवा निकाय का कोई गठन नहीं किया गया है।

(मैनुअल संख्या-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(The directory of its officers and employees)

- कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी है। यह नियमावली शासन द्वारा अनुमोदित है तथा कार्यालय में उपलब्ध है।

मंुख्यालय एंव क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा पताः-

नाम/पदनाम	पता	फोन नं0		
		कार्यालय	आवास	मोबाईल
1	2	3	4	5
श्री भूपेश चन्द्र तिवारी निबन्धक	अनिकेत विहार, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून	9410789438	–	–
श्री संजीव कुमार सिंह उप निबंधक	उपरोक्त	9410789438	–	–
श्री रामकुमार सिंह प्रशासनिक अधिकारी	उपरोक्त	9410789438		
श्री संतोष पाण्डे आशुलिपिक	उपरोक्त	9410789438	–	–
श्री शंकर सिंह गब्र्याल प्रधान सहायक	उपरोक्त	9410789438	–	–
श्री पवन सिंह नेगी कनिष्ठ सहायक	उपरोक्त	9410789438	–	–
श्रीमती गैन्दा देवी, अनुसेवक	उपरोक्त	9410789438	–	–

क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा पताः-

नाम/पदनाम	पता	फोन नं0		
		कार्यालय	आवास	मोबाईल
1	2	3	4	5
श्रीमती शिवानी पाण्डें उपनिबन्धक	हीरा नगर, निकट विद्युत कार्यालय एवं उत्थान मंच, मुखानी, हल्द्वानी।	05946254301	–	–

श्री दिगम्बर सिंह प्रधान सहायक	उपरोक्त	05946254301	–	–
श्री आशीष पाण्डे वरिष्ठ सहायक	उपरोक्त	05946254301	–	–
श्री दिनेश पुरी अनुसेवक	उपरोक्त	05946254301	–	–
श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट अनुसेवक	उपरोक्त	05946254301	–	–

-

(मैनुअल संख्या-10)

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

(The monthly remunerations received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulation)

(क) कार्यालय निबन्धक तथा कार्यालय उप-निबन्धक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतनमान तथा कुल वेतन का विवरण:-

नाम	पदनाम	वेतनमान रूपये
1-श्री भूपेश चन्द तिवारी	निबन्धक	144200-218200 लेवल 15
2-श्री संजीव कुमार सिंह	उप निबन्धक (मुख्यालय)	67700-206700 लेवल 15
4-श्री रामकुमार सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	47600-151100, लेवल 8
5-श्री संतोष पाण्डे	आशुलिपिक	47600-151100, लेवल 8
6- श्री शंकर सिंह गब्र्याल	प्रधान सहायक	35400-112400, लेवल 6
7-श्री पवन सिंह नेगी	कनिष्ठ सहायक	21700-69100, लेवल 3
8- श्रीमती गैन्दा देवी	अनुसेवक	19900-63200, लेवल 2

(ख) कार्यालय उप-निबन्धक क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतनमान तथा कुल वेतन का विवरण:-

	नाम	पदनाम	वेतनमान तथा ग्रेड वेतन
1.	श्रीमती शिवानी पाण्डें	उपनिबन्धक	67700-206700 लेवल 11
2.	श्री दिगम्बर सिंह	प्रधान सहायक	35400-112400 लेवल 6
3.	श्री आशीष पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक	29200-92300, लेवल 5
4.	श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट	फो0म0आप0	29200-92300 लेवल 5
5.	श्री दिनेश पुरी	अनुसेवक	25500-81100, लेवल 4

(मैनुअल संख्या-11)

विŸ०ा०ीय वर्ष 2018-19 में बजट, प्राविधान/आवंटन एवं व्यय का विवरण (रूपये में) अनुदान सं0 07, विŸ०ा, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखा शीर्षक 2047 अन्य राजकोषीय सेवायें उप लेखा शीर्ष 00
लघु शीर्षक 800 अन्य व्यय
विस्तृत शीर्षक 00
उप शीर्षक 03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट् फण्डस अधि0

मानक	प्राविधान	कुल आवंटन	कुल व्यय	समर्पित बजट
01 वेतन	89,26,000	88,00,000	7752330	1047670
02 मजदूरी	44,000	44,000	36400	7600
03 मंहगाई भत्ता	77,1000	77,1000	620346	150654
04 यात्रा व्यय	55,000	55,000	45799	9201
06 अन्य भत्ते	7,93,000	4,000	410605	289395
07 मानदेय	40,000	25,0000	30900	9100
08 कार्यालय व्यय	2,50,000	11,0000	249756	244
09 विद्युत व्यय	11,0000	25,000	70982	49018
10 जलकर/जल प्रभार	25,000	100000	14752	10248
11 लेखन सामग्री एंव फार्मो की छपाई	1,00,000	5,0000	99484	516
12 कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण	50,000	85,000	21240	28760
13 टेलीफोन पर व्यय	85,000	400000	53067	31933
15 गाड़ियों का अनुरक्षण	4,00,000	4,00,000	342749	57251
16 व्यावसायिक सेवा	12,95,000	14,64,000	1380646	83354
17 किराया उपशुल्क	8,70,000	8,70,000	806098	63902
27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	20,20,000	20,20,000	1707362	312638
42 अन्य व्यय	12,000	12,000	11935	65
46 कम्पूयटर क्रय	50,000	50,000	0	50000
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण	1,30,000	1,30,000	7299	2701
योग	**1,60,26,000**	**15,97,6000**	**13,78,1750**	**2194250**

(मैनुअल संख्या- 12)

सहायिक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंवटित राशि, और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है

- इस संगठन द्वारा अनुदान/राज सहायता से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा कोई भी योजनायें क्रियान्वित नहीं की जाती हैं।

(मैनुअल संख्या-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरणः

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it)

- इस संगठन द्वारा किसी प्रकार की रियायतें अनुज्ञापन तथा प्राधिकार प्रदान नहीं किये जाते हैं। सभी कार्य-कलाप अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाते हैं। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की छूट या परमिट निर्गत करने का कार्य नहीं किया जाता है।

(मैनुअल संख्या-14)

किसी इलैक्ट्रानिक रुप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

ं(मैनुअल संख्या-15)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण

The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of the Library or reading room, if maintained for public use)

- संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में नागरिकों की जानकारी हेतु सोसाइटी आदि के पंजीकरण के लिये आवश्यक औपचारिकतायें तथा नियमों को सूचना-पटों पर प्रमुख रूप से लिखकर उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी, फर्म, चिट से सम्बन्धित अधिनियमों की प्रतियां भी हमेशा कार्यालय में उपलब्ध रहती है। इन्हें कोई भी नागरिक कार्यालय अवधि के दौरान देख सकता है।
- सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे नागरिकों तथा आगन्तुकों को वांछित सूचनायें जो उनके पास उपलब्ध हैं उन्हें सहज रुप से दे तथा नागरिकों से मधुर व्यवहार करें।
- कोई भी नागरिक अधिनियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करके पत्रावलियों का निरीक्षण कर सकता है तथा अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर सकता है।
- विभाग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तगत सभी मैनुअल तैयार किये गये हैं। इनका संकलन कार्यालय में उपलब्ध है तथा इन्हें विभाग की वेबसाइट http://164.100.146.39/society/Society/SocietyDiaryDispatch.aspx पर भी उपलब्ध कराया गया है।
- इसके अतिरिक्त विभाग में पंजीकृत संस्थाओं, फर्मों आदि का विवरण भी विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- वर्तमान समय में कार्यालय भवन में जगह की कमी की वजह से पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की व्यवस्था अलग से नहीं की गयी है। परन्तु नागरिकों को नियमानुसार सभी सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

पुस्तकालय अभिलेखागार तथा वाचनालय की समुचित व्यवस्था की गई है।

मैनुअल संख्या-16

The names designations and other particulars of the public information officers

जनपदीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है:--

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

क्र.स.	अधिकारी का नाम	ढाॅंचे के अनुसार स्वीकृत पद नाम	कार्यालय का पता/दूरभाष
1	श्री राम कुमार सिंह	लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी	अनिकेत विहार, दून यूनिवर्सिटी रोड देहरादून 9410789438, मेल - drfscddn@gmail.com
2	श्री शंकर सिंह गब्र्याल	लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सहायक	हीरा नगर,निकट विद्युत कार्यालय एवं उत्थान मंच मुखानी हल्द्वानी 05946-254301
3	श्री सुशील कुमार गुप्ता	लोक सूचना अधिकारी/ लेखाकार	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, हरिद्वार 01334-239581
4	श्री रोमिल चैधरी	उपनिबंधक/लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, टिहरी 01376-232612
5	श्री लखेन्द्र ढा॓ठियाल	उपनिबंधक/लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, पौ॓ड़ी 01368-222396
6	कु0 हिमानी स्नेही	प्रभारी उपनिबंधक निबंधक/लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, उत्तरकाशी 01374-222308
7	श्रीमती शशि सिंह	उपनिबंधक निबंधक/लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, रूद्रप्रयाग 01364-233544
8	श्री सत्य प्रकाश गौड़	लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, चमोली 01372-252333
9	श्री गिरीश चन्द्र आर्य	लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, ऊधमसिंह नगर 05944-250426
10	श्री चितरजंन प्रसाद वर्मा	लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, अल्मोड़ा 05962-230187
11	श्री सुन्दर बोनाल	लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, बागेश्वर 05963-220543
12	डा0 पंकज कुमार शुक्ला	उप निबंधक /लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, पिथौरागढ़ 05964-225331
13	श्री हेमेन्द्र गंगवार	उप निबंधक /लोक सूचना अधिकारी	जनपद कार्यालय, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, कोषागार, चम्पावत 05965-230440